सत्यमेव जयते

31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला

31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला

अनुक्रमणिका

विवरण	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	**-**	**v**
विहंगावलोकन	**-**	**vii-xi**
भाग-क **पंचायती राज संस्थाएं**		
अध्याय-1 **पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा**		
पृष्ठभूमि	1.1	1
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश	1.2	1-2
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	1.3	2-4
वित्तीय रूपरेखा	1.4	5-8
पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली	1.5	9
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	1.6	9
पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा	1.7	10
तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	1.8	10-12
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.9	12
अनुपालना हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा परिच्छेद	1.10	12-13
अध्याय-2 **पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम**		
लेखांकन प्रणाली	2.1	15-24
राजस्व	2.2	24-27
निधियों का अवरोधन	2.3	27-32
14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अप्रयुक्त निधियां	2.4	32-34
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निधियों का अवरोधन	2.5	34
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	2.6	34-37

संदिग्ध व्यय	2.7	38
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न करना	2.8	38-39
बजट आंकलन तैयार न करना	2.9	39
सामग्री की अनियमित खरीद	2.10	39-40
सरकारी धन का अनियमित भुगतान	2.11	40-41
अनियमित भुगतान	2.12	41-42
भाग-ख शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय-3 शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा		
पृष्ठभूमि	3.1	43
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.2	43
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	3.3	43-45
वित्तीय रूपरेखा	3.4	45-48
शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	3.5	48
शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा एवं आतंरिक लेखापरीक्षा	3.6	48-49
तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	3.7	49-50
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3.8	50
अनुपालना हेतु लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियां	3.9	51
अध्याय-4 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम		
लेखांकन प्रणाली	4.1	53-54
बजट तैयार न करना	4.2	54-55
कोटेशन आमंत्रित किए बिना सामग्री की खरीद	4.3	55-56
अभिलेखों का अनुरक्षण न करना	4.4	56-57
राजस्व	4.5	57-67
निधियों का अवरोधन	4.6	67-75
निधियों का व्यपवर्तन	4.7	75-76
अलाभकारी व्यय तथा लाभार्थी अंश की वसूली न करना	4.8	76-77
अलाभकारी व्यय	4.9	77

अलाभकारी व्यय एवं भारत सरकार के अनुदान का व्यपगत होना	4.10	78
वेतन पर व्यर्थ व्यय	4.11	79
अधिभार सहित विद्युत के बिलों की देयता	4.12	79-80
नियमों का उल्लंघन - कार्यों का विभाजन	4.13	80
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	4.14	80-81
तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना हुआ अनियमित व्यय	4.15	81-82
अग्रिमों का समायोजन न करना	4.16	82-83
फर्मों को अनुचित लाभ	4.17	83-84
सामग्री का लेखांकन न करना	4.18	84
स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करना	4.19	84-85
परिशिष्ट		
विवरण	**परिशिष्ट**	**पृष्ठ**
संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूचियों से सूचीबद्ध कार्यक्रमों का विवरण	1	87-88
पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए 15 लाईन विभागों का ब्यौरा	2	89
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र- 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों का विवरण	3	90-95
पीआरआईएसॉफ्ट में रोकड़ बही तैयार न करना, राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में संपत्ति का अनुरक्षण न करना एवं तीन आदर्श लेखांकन प्रणाली पंजिकाओं का अनुरक्षण न करना	4	96-97
2016-17 के दौरान बैंक पासबुक एवं पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड की गई शेष राशि के आंकड़ों के मध्य अंतर एवं 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों तथा पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के मध्य अंतर	5	98-101
महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना	6	102-105
बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के मध्य अंतर का समाधान न करना	7	106-110
खाता 'क' में शराब उपकर जमा न करना	8	111

2017-18 के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री का लेखांकन न करने का विवरण	9	112
भौतिक सत्यापन न करना	10	113-114
संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा आवास कर की वसूली न करने का विवरण	11	115-118
दुकानों के बकाया किराए का विवरण	12	119-120
ग्राम पंचायत क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना/ नवीकरण हेतु शुल्क की वसूली न होने का विवरण	13	121-122
टी.डी.एस. की कटौती न करना	14	123
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रारंभ न करने के कारण निधियों का अवरोधन	15	124-125
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य पूर्ण न करने के कारण निधियों का अवरोधन	16	126-128
13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण	17	129
अपूर्ण कार्यों के कारण 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण	18	130-132
कार्य प्रारंभ न होने के कारण 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण	19	133
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अप्रयुक्त रहे निधियों का विवरण	20	134
मनरेगा योजना के तहत भुगतान जारी करने में विलम्ब का विवरण	21	135
सामग्री की अनियमित खरीद	22	136-139
सरकारी धन का अनियमित भुगतान	23	140-141
2014-17 एवं 2015-18 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन एवं वास्तविक व्यय का विवरण	24	142-147
शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में बकाया आवास कर का विवरण	25	148-149
दुकानों/ बूथों/ स्टालों से किराए की वसूली न करने का विवरण	26	150-151
शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में मोबाइल टावरों की स्थापना/ नवीकरण हेतु शुल्क की वसूली न करने का विवरण	27	152-153
अधिकारियों/ विभागों को दिए गए बकाया अग्रिमों का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा जो दिसंबर 2017 एवं दिसंबर 2018 तक समायोजित नहीं किए गए	28	154-156

प्रस्तावना

31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों हेतु यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अनुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संबंधित विभागों सहित राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान तथा पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आए परन्तु विगत प्रतिवेदनों में स्थान न पा सके प्रकरणों को भी यथावश्यक रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है जिसमें चार अध्याय हैं। अध्याय-1 एवं अध्याय-2 पंचायती राज संस्थाओं से और अध्याय-3 एवं अध्याय-4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार दिया गया है।

भाग-क: पंचायती राज संस्थाएं

संविधान (तेहतरवें संशोधन) अधिनियम, 1992 में निहित प्रावधानों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत तीन स्तरीय पंचायती राज सरंचना स्थापित की गयी। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 15-लाईन विभागों से सम्बंधित कार्य सौंपे गये।

अध्याय-1: पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

- पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग (एच.पी एस.ए.डी) द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा सौंपी है (मार्च 2011)।

(परिच्छेद 1.2)

- मार्च 2019 तक राज्य में 12 जिला परिषदें, 78 पंचायत समितियां एवं 3,226 ग्राम पंचायतें हैं।

(परिच्छेद 1.3)

- पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न संवर्गों में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मी है। पंचायती राज संस्थाओं में मार्च 2019 तक कुल संस्वीकृत पदों 9465 के प्रति 413 रिक्त पद थे।

(परिच्छेद 1.3.2)

- विकास गतिविधियों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं के मूल संसाधनों में (क) केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, (ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान, (ग) केंद्र सरकार अनुदान तथा विकास (घ) राज्य सरकार अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में पंचायती राज संस्थाओं को क्रमशः ₹ 1457.99 करोड़ एवं ₹ 1757.57 करोड़ की निधियां आवंटित की गयी।

(परिच्छेद 1.4.1)

- पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में आदर्श लेखांकन संरचना के अनुसार लेखों के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित पीआरआईए सॉफ्ट नामक सॉफ्टवेयर अपनाया गया था (मार्च 2011)।

(परिच्छेद 1.5)

- वर्ष 2017-19 के दौरान 457 पंचायती राज संस्थाओं की हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई जबकि उक्त वर्षों के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा विंग द्वारा 4,843 पंचायती राज संस्थाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित की गयी।

(परिच्छेद 1.7)

अध्याय-2: पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रमशः तीन जिला परिषदों, नौ पंचायत समितियों एवं 45 ग्राम पंचायतों तथा तीन जिला परिषदों, सात पंचायत समितियों एवं 103 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की गयी। पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के मुख्य बिंदु निम्न है:

- प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों एवं पीआरआईए सॉफ्ट में अपलोड किए गए आंकड़ों के बीच अंतर।

(परिच्छेद 2.1.2)

- बैंक विवरणी के साथ रोकड़ बही की शेष राशि का मिलान न होना।

(परिच्छेद 2.1.4)

- खाता- 'क' में ₹ 12.26 लाख की राशि का शराब उपकर जमा न करना।

(परिच्छेद 2.1.6(ii))

- कार्य प्रारंभ न करने के कारण ₹ 1.37 करोड़ की निधियां अव्ययित रही।

(परिच्छेद 2.3.1)

- कार्य पूर्ण न होने के कारण ₹ 1.95 करोड़ की निधियां अव्ययित रही।

(परिच्छेद 2.3.2)

- 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹ 5.12 करोड़ की निधियां कार्य प्रारंभ न होने, अपूर्ण कार्यों तथा निधियां जारी न करने के कारण अप्रयुक्त रही।

(परिच्छेद 2.3.3)

- 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹ 8.16 करोड़ की निधियां कार्यों के पूर्ण न होने के कारण अप्रयुक्त रही।

(परिच्छेद 2.4.1)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिकों को ₹ 57.11 लाख की मजदूरी के भुगतान में 15 से 518 दिनों के मध्य की अवधि का विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 2.6)

- एक सौ बाईस पंचायती राज संस्थाओं ने कोटेशन/ निविदाएं आमंत्रित किए बिना ₹ 8.74 करोड़ की लागत से सामग्री खरीदी।

(परिच्छेद 2.10)

- 35 ग्राम पंचायतों में ₹ 72.39 लाख के सरकारी धन का अनियमित भुगतान।

(परिच्छेद 2.11)

भाग-ख: शहरी स्थानीय निकाय

74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण एवं शहरी स्थानीय निकायों को निधियों तथा अधिक कार्यों के हस्तांतरण एवं सुपुर्दगी का मार्ग प्रशस्त किया। शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके अधीन क्षेत्रों की जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 एवं हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया। हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को 17 कार्य हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

अध्याय-3: शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

- शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी है (मार्च 2011)।

(परिच्छेद 3.2)

- 31 मार्च 2019 तक राज्य में दो नगर निगम, 31 नगर परिषदें एवं 21 नगर पंचायतें हैं।

(परिच्छेद 3.3)

- शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न संवर्गों में मार्च 2019 तक कुल संस्वीकृत पदों 3,749 के प्रति 1,230 रिक्त पद थे।

(परिच्छेद 3.3.2)

- विभिन्न विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु शहरी स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में मुख्यतः (क) केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान (ग) केंद्र सरकार अनुदान तथा (घ) राज्य सरकार अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। इसके

अतिरिक्त करों, किरायों, शुल्कों इत्यादि के रूप में भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व जुटाया जाता है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः ₹ 433.52 करोड़ एवं ₹ 794.91 करोड़ की निधियां आवंटित की गयी।

(परिच्छेद 3.4.1)

- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा क्रमशः 25 एवं 26 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की गई जबकि शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए निदेशक, शहरी विकास के नियंत्रण में पृथक एवं स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा एजेंसी का कोई प्रावधान नहीं है।

(परिच्छेद 3.6)

अध्याय-4: शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रमशः दो नगर निगम, छः नगर परिषदों, चार नगर पंचायतों तथा दो नगर निगम, सात नगर परिषदों, पांच नगर पंचायतों की लेखापरीक्षा की गयी। अन्य बातों के साथ साथ शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के मुख्य बिंदु निम्न है:

- अप्रभावी निगरानी के कारण 17 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 11.80 करोड़ के आवास कर राजस्व की वसूली नहीं की गई।

(परिच्छेद 4.5.1 (क))

- 21 शहरी स्थानीय निकायों में दुकानों, बूथों एवं स्टालों से ₹ 14.75 करोड़ के बकाया किराए की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 4.5.2)

- नगर निगम शिमला, दुकानों व स्टालों से ₹ 1.74 करोड़ की लीज राशि की वसूली करने में विफल रहा।

(परिच्छेद 4.5.5)

- अमृत के तहत ₹ 8.97 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹ 2.67 करोड़ एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ₹ 1.00 करोड़ की निधियों का अवरोधन।

(परिच्छेद 4.6)

- तीन शहरी स्थानीय निकायों में 13वें व 14वें वित्त आयोग एवं चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत ₹ 4.75 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही।

(परिच्छेद 4.6.4)

- कार्य पूर्ण/ प्रारंभ न करने के कारण बारह नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 14.52 करोड़ की राशि अव्ययित रही।

(परिच्छेद 4.6.5)

- दो शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज योजनाओं हेतु प्राप्त ₹ 4.41 करोड़ की निधियों का अवरोधन जिससे जनता सीवरेज सुविधाओं से वंचित रही।

(परिच्छेद 4.6.6)

- नगर परिषद् नालागढ़ में 73 आवास आवंटित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.12 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ तथा ₹ 1.36 करोड़ के लाभार्थी अंश की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 4.8)

- दो शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 3.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये गये।

(परिच्छेद 4.14)

- छः शहरी स्थानीय निकायों ने 2015-18 के दौरान पिछले अग्रिमों का समायोजन किए बिना ₹ 32.21 करोड़ के अग्रिम स्वीकृत किए।

(परिच्छेद 4.16)

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

भाग-क
पंचायती राज संस्थान

अध्याय-1
पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

1.1 पृष्ठभूमि

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा नियमित चुनावों एवं वित्त आयोगों के माध्यम से निधियों के प्रवाह के साथ ग्रामीण स्तर पर स्व-शासित संस्थाओं का एक ढांचा स्थापित किया। यह अधिनियम अप्रैल, 1993 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 को अधिनियमित किया तथा इन संस्थाओं को सरकार के तृतीय स्तर के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, सकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली, 2002 तैयार की। राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे इन निकायों को निधियां, कार्य तथा पदाधिकारी सौंपेगें ताकि वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों **(परिशिष्ट-1)** को पंचायती राज संस्थाओं को निधियों व पदाधिकारियों के साथ हस्तांतरित किया जाना था। पंचायती राज संस्थाओं से सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु योजना, विशेष रूप से संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करना एवं कार्यान्वयन अपेक्षित था।

15 लाईन विभागों के कार्यों, निधियों एवं पदाधिकारियों के हस्तांतरण के लिए गतिविधि मानचित्र को अधिसूचना संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (3)/9/2006, दिनांक 19 अक्तूबर, 2009 द्वारा अधिसूचित किया गया था। यद्यपि इन 15 लाईन विभागों **(परिशिष्ट-2)** से संबंधित सभी 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए गए, फिर भी पंचायती राज संस्थाओं[1] को समनुरूप निधियां एवं पदाधिकारी उपलब्ध नहीं करवाए गए।

1.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश

[1] निदेशक पंचायती राज ने बताया (जुलाई 2019)।

राज्य लेखापरीक्षा विभाग (एच.पी एस.ए.डी) द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा सौंपी है (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणामों को वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 के अनुसार राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना होता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन 29 अगस्त 2019 को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा गया।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा

मार्च 2019 तक राज्य में 12 जिला परिषदें, 78 पंचायत समितियां एवं 3,226 ग्राम पंचायतें हैं। नीचे दिया गया चार्ट जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग एवं पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचे को दर्शाता है।

संगठनात्मक ढांचा

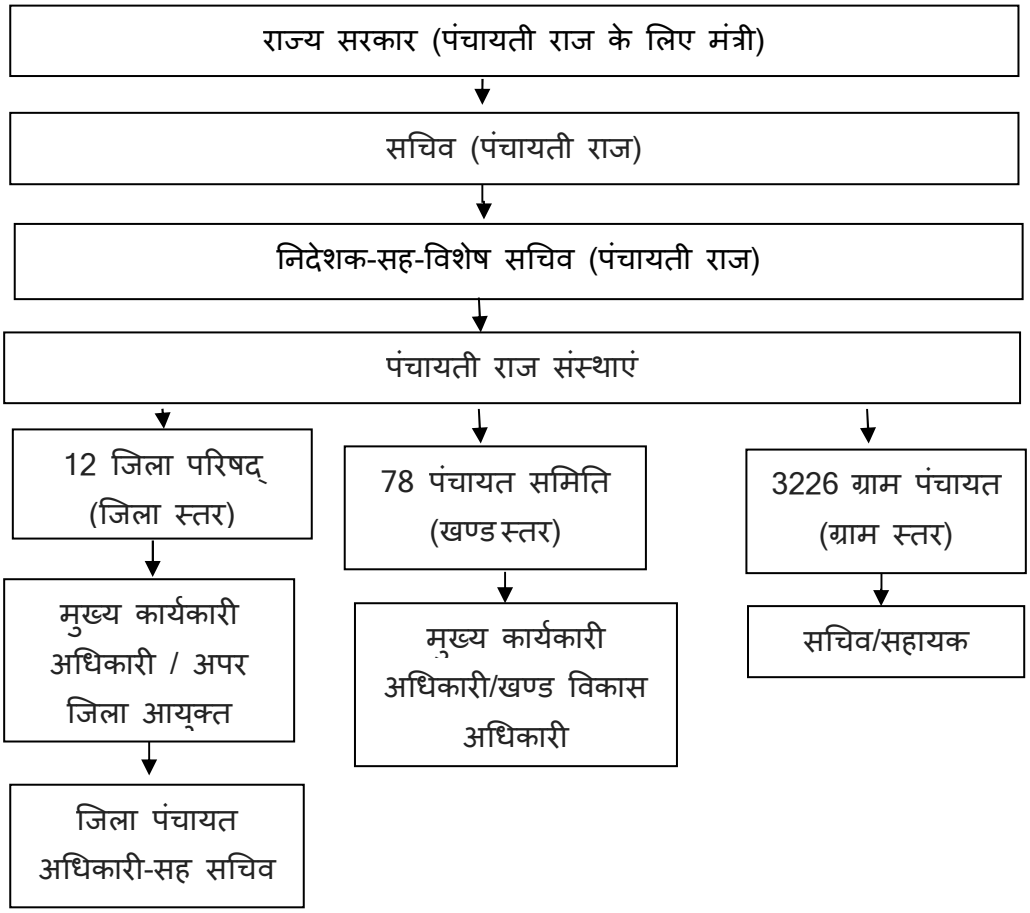

जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों के प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तथा क्रमशः जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के प्रमुख होते हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों से जिला पंचायतों की मासिक बैठकों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

1.3.1 स्थायी समितियां

पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न स्थायी समितियां और उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व **तालिका**-1 में दिये गये हैं:

तालिका- 1: स्थायी समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थायी समिति का अध्यक्ष	स्थायी समितियों का नाम	स्थायी समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
जिला परिषद्	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों, संचार, आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		वित्त लेखापरीक्षा एवं योजना समिति	जिला परिषद् के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		सामाजिक न्याय समिति	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों को बढ़ावा देने जैसे कार्यों का निष्पादन करती है।
		शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति	राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं के ढ़ांचे के अंतर्गत जिले में शिक्षा योजना का उत्तरदायित्व लेती है।
		कृषि और उद्योग समिति	कृषि से सम्बंधित कार्य निष्पादन करती है तथा जिले के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है।
पंचायत समिति	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		वित्त लेखापरीक्षा एवं योजना समिति	पंचायत समिति के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		सामाजिक न्याय समिति	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों को बढ़ावा देने जैसे कार्यों का निष्पादन करती है।

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थायी समिति का अध्यक्ष	स्थायी समितियों का नाम	स्थायी समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
ग्राम पंचायत	प्रधान या उप- प्रधान	निर्माण कार्य समिति	ग्राम पंचायतों के समस्त विकासात्मक निर्माण कार्य इस समिति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।
		बजट समिति	ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करती है और इसे सचिव को प्रस्तुत करती है।

स्रोत: हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994।

1.3.2 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं

पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न संवर्गों में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मी है जिसका विवरण नीचे **तालिका** में दिया गया है:

तालिका: पंचायती राज संस्थाओं के तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मियों का विवरण

तकनीकी व गैर-तकनीकी कर्मी		2018-19
स्वीकृत पद	**कुल**	**9,465**
	नियमित	2,755
	संविदाकर्मी	6,710
स्थिति	**कुल**	**9,052**
	नियमित	2,754
	संविदाकर्मी	6,298
रिक्त पद	**कुल**	**413 (मार्च 2019 तक)**
	कनिष्ठ अभियंता	30
	सहायक अभियंता	01
	पंचायत चौकीदार	02
	तकनीकी सहायक	86
	पंचायत सचिव	294

वर्ष 2017-19 के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा क्रमश: 685 एवं 103 पंचायत सचिवों/ सहायकों को बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किया गया।

1.4 वित्तीय रूपरेखा

1.4.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह

निधि प्रवाह: पंचायती राज संस्थाओं में निधियों का स्रोत एवं निधियों का अभिरक्षण

विकास गतिविधियों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं के मूल संसाधनों में (क) केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, (ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान, (ग) केंद्र सरकार अनुदान तथा विकास (घ) राज्य सरकार अनुदान शामिल हैं।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों का विवरण नीचे **तालिका-2** में दिया गया है:

तालिका-2: पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	स्व राजस्व		73.08	107.21	119.26	152.43	137.52
2.	ऋण		10.59	3.23	4.33	2.17	1.86
3.	केंद्र सरकार से वित्त आयोग अनुदान एवं केंद्र सरकार से		167.03	197.87	306.05	312.60	361.63
4.	राज्य सरकार से वित्त आयोग अनुदान एवं राज्य सरकार से		77.70	109.70	133.33	179.83	239.38
5.	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	केन्द्रीय अंश	511.86	403.36	659.99	720.72	829.09
		राज्यांश	65.21	52.61	76.46	36.62	138.49
6.	राज्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार अनुदान		17.99	23.64	48.18	53.22	49.07
7.	अन्य प्राप्तियां		0.46	0.42	0.48	0.40	0.53
योग			**923.92**	**898.04**	**1,348.08**	**1,457.99**	**1,757.57**

स्रोतः निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

केंद्र सरकार अनुदान: केंद्र प्रायोजित नौ योजनाएं हैं, यथा (i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (ii) स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (iii) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (iv) इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (v) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) (vi) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (vii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (viii) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तथा (ix) एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम। 2017-18 व 2018-19 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत निधियां जारी न होने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ज़िम्मेदार रहा क्योंकि पूर्ववर्ती निधियां जिलों/ब्लॉकों में अव्ययित पड़ी थी।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों की स्थिति नीचे **तालिका-3** में दी गई है:

तालिका-3: प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
इंदिरा आवास योजना /प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	19.10	34.10	30.47	58.16	20.53	**162.36**
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/ स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना	--	1.08	4.79	12.04	18.91	**36.82**
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	394.33	387.68	440.56	610.55	890.85	**2,723.97**
स्वच्छ भारत मिशन	151.72	5.75	130.33	--	--	**287.80**
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	--	5.14	83.91	29.81	26.71	**145.57**
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	--	--	44.24	46.40	7.70	**98.34**
योग	**565.15**	**433.75**	**734.30**	**756.96**	**964.70**	**3,454.86**

स्रोतः निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग।

राज्य सरकार अनुदान: चार योजनाएं यथा (i) राजीव आवास योजना (ii) मुख्यमंत्री आवास योजना (iii) मातृ शक्ति बीमा योजना एवं (iv) मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना 100 प्रतिशत राज्य प्रायोजित योजनाएं हैं। 2018-19 के दौरान राजीव आवास योजना के तहत निधियां जारी नहीं की गई क्योंकि इस योजना को 2018-19 में मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ विलय कर दिया गया था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि में इन योजनाओं के तहत पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों की स्थिति का विवरण नीचे **तालिका-4** में दिया गया है:

तालिका-4: प्रमुख राज्य योजनाओं हेतु पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
राजीव आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना	10.00	17.50	36.00	41.00	42.19	**146.69**
मातृ शक्ति बीमा योजना	--	1.49	1.38	1.42	3.58	**7.87**
मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना	--	--	--	3.00	3.30	**6.30**
योग	**10.00**	**18.99**	**37.38**	**45.42**	**49.07**	**160.86**

स्रोत: निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग।

केंद्र एवं राज्य अनुदान का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जबकि पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं की प्राप्तियों का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं एवं कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है। केंद्र व राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है जो पंचायती राज विभाग के नियंत्रण में होते हैं, परन्तु निधियां ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को सीधे या जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से जारी की जाती है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां खंड विकास अधिकारियों को निधियां जारी करती हैं, जो उन्हें विभिन्न गतिविधियों हेतु आगे ग्राम पंचायतों को वितरित करते हैं। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियां बैंकों में रखी जाती है।

1.4.2 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियां एवं संयोजन

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संसाधनों के अनुप्रयोग (पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जारी की गई निधियों एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी की गई निधियों में से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय की राशि) का विवरण नीचे **तालिका-5** में दिया गया है:

तालिका-5: संसाधनों का क्षेत्रवार अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**विवरण**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1.	स्व राजस्व	322.85*	313.51*	401.08*	470.31*	525.07*
2.	ऋण					
3.	केंद्र सरकार के वित्तायोग अनुदान एवं केंद्र सरकार से अनुदान से हुआ व्यय	167.03	197.87	306.05	312.60	361.63
4.	केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान से व्यय	562.85	516.11	711.73	702.73	961.17
5.	राज्य सरकार के वित्तायोग अनुदान एवं राज्य सरकार से अनुदान हुआ व्यय	77.70	109.70	133.33	179.83	206.65
6.	राज्य योजनाओं हेतु राज्य सरकार अनुदान से व्यय	17.65	19.01	35.41	32.44	49.07
7.	अन्य प्राप्तियों से व्यय	0.46	0.42	0.48	0.40	0.53
योग		**1,148.54**	**1,156.62**	**1,588.08**	**1,698.31**	**2,104.12**

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा आर्थिक व सांख्यिकी विभाग।

* विभाग के पास अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन आंकड़ों में अन्तशेष भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध करवायी गयी समस्त निधियां बुनियादी स्तर पर वास्तविक व्यय के स्थान पर व्यय के रूप में दर्शाई गई है। पंचायती राज विभाग के पास पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा व्यय को नियंत्रित करने/समीक्षा करने के लिए कोई आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की कार्यपद्धति में अनियमितता एवं कमज़ोर नियंत्रण प्रणाली थी, जिसकी अध्याय-2 में चर्चा की गई है।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांचित 57 पंचायती राज संस्थाओं में निधियों का वास्तविक उपयोग 64 से 72 प्रतिशत के मध्य था तथा 2015-16 से 2017-18 की अवधि में लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांचित 113 पंचायती राज संस्थाओं में यह 57 से 61 प्रतिशत के मध्य रहा जैसा कि नीचे **तालिका-6 (i) व (ii)** में वर्णित है:

तालिका-6 (i): 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं में 2014-15 से 2016-17 की अवधि हेतु निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	व्यय की प्रतिशतता
2014-15	55.23	38.26	16.97(-)	69
2015-16	89.40	64.33	25.07(-)	72
2016-17	88.74	56.77	31.97(-)	64

स्रोत: नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

तालिका-6(ii): 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं में 2015-16 से 2017-18 की अवधि हेतु निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	व्यय का प्रतिशतता
2015-16	129.40	73.19	56.21(-)	57
2016-17	131.94	74.85	57.09(-)	57
2017-18	161.44	99.15	62.29(-)	61

स्रोत: नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

1.5 पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली

पंचायती राज संस्थाएं अपने लेखों का अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियमावली, 1997 के अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में करती हैं। ग्राम पंचायतों के लेखे, निदेशक-सह-विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त पंचायत सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-खंड विकास अधिकारी द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त पंचायत सहायक द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। पंचायत समितियों के मामले में विकास खंडों के लेखाकार लेखे अनुरक्षित करते हैं। जिला परिषदों के लेखे जिला पंचायत अधिकारी-सह-सचिव, जिला परिषद् द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के लेखों के अनुरक्षण पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 2009 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु आदर्श लेखांकन संरचना की अनुशंसा की थी। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में आदर्श लेखांकन संरचना के अनुसार लेखों के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित पी०आर०आई०ए० सॉफ्ट नामक सॉफ्टवेयर अपनाया गया था (मार्च 2011)। उप-निदेशक (पंचायती राज विभाग) ने बताया (जुलाई 2019) कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक तथा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसा के आधार पर पी०आर०आई०ए० सॉफ्ट पर लेखों का अनुरक्षण किया जा रहा है। पी.आर.आई.ए. सॉफ्ट के कार्यान्वयन से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख अध्याय-2 में किया गया है।

1.6 पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कुशल तथा प्रभावशाली संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, क्रियाविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ ऐसी अनुपालना की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता तथा गुणवत्ता सुशासन की विशेषताएं हैं। अनुपालना तथा नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं क्रियाशील है तो पंचायती राज संस्थाओं और राज्य सरकार को नीतिगत योजना, निर्णय क्षमता तथा हित-धारकों के प्रति उत्तरदायित्व से युक्त इसके आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व के निर्वाह में सहायक होते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 में प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं से निर्धारित अभिलेखे, पंजिकाएं, फार्म एवं लेखों का अनुरक्षण करना अपेक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पाई गई विसंगतियों के परिणामस्वरूप कार्यों के कार्यान्वयन/ व्यय में हुई अनियमितता की अध्याय-2 में चर्चा की गई है।

1.7 पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग को पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा संचालित करने का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2017-19 के दौरान 457 पंचायती राज संस्थाओं की हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उपधारा (i) में यह भी प्रावधान है कि आय और व्यय पर उचित वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा हेतु निदेशक, पंचायती राज के नियंत्रण में एक पृथक एवं स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा अभिकरण होगा।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा विंग द्वारा संचालित आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति नीचे **तालिका-7** में दी गई है:

तालिका-7: 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

संस्था का नाम	कुल इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिए योजना में शामिल इकाइयों की संख्या		लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या		लेखापरीक्षा नहीं की गई इकाइयों की संख्या		कमी (-)/ आधिक्य (+) की प्रतिशतता	
		2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
जिला परिषद्	12	0	08	0	04	0	04	0	(-) 50
पंचायत समिति	78	39	62	36	44	03	18	(-) 8	(-) 29
ग्राम पंचायत	3,226	1,613	2,821	2,140	2,703	--	118	(+) 33	(-) 4

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज विभाग।

यह पाया गया कि 2017-18 के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा स्कंध ने जिला परिषदों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना नहीं बनाई थी।

1.8 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता

पंचवती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा पद्धति एवं क्रियाविधि, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण रिपोर्टिंग एवं विवरणियों को प्रस्तुत करने के सम्बंध में लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन-2007 की धारा 152-154 के अनुसार

प्राथमिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ भारत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु लेखापरीक्षा योजनाएं प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग) से प्राप्त की गईं तथा इस कार्यालय में लेखापरीक्षा योजना की प्रक्रिया के लिए दर्ज की गईं।

प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग) ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, सकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली, 2002 की धारा 80 में निर्धारित लेखापरीक्षा पद्धति व लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रियाओं का अनुसरण किया।

वर्ष 2017-19 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा में से 45 निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की। निरीक्षण प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया गया एवं सुधार व अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सिफारिशें की गईं। निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

i. आपत्तियां उठाते समय संदर्भित नियमों को अलग परिच्छेदों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।
ii. लेखापरीक्षिती इकाई को लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी किया जाए।
iii. सचिव, ग्राम पंचायत के उत्तर को लेखापरीक्षा परिच्छेदों में सम्मिलित किया जाए।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्षों के दौरान सुधार हेतु कुछ इसी तरह की सिफारिशें की गई थीं परन्तु कमियां बनी रहीं, जो इंगित करता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग ने इसे दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा स्टाफ को उनकी आवश्यकतानुसार हर साल दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। 2017-18 के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के 24 प्रतिभागियों को 8 एवं 9 फरवरी 2018 को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: (i) वित्त, कराधान एवं दावों की वसूली के संबंध में सांविधिक प्रावधान (ii) पंचायती राज संस्थाओं की निधियां, उनका संचालन, अनुप्रयोग एवं निवेश (iii) बजट, व्यय व भंडार (iv) लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण (v) पंचायती राज लोक निर्माण नियम तथा (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का परिचय एवं इसके संचालन संबंधी दिशानिर्देश। 2018-19 के दौरान, 11 और 12 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश राज्य

लेखापरीक्षा विभाग के 25 प्रतिभागियों को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: (i) पीआरआईएस सॉफ्ट (पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली) (ii) शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की लेखापरीक्षा; तथा (iii) शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा मांगों, मुख्य दस्तावेज व लेखापरीक्षा रिपोर्टों का मसौदा तैयार करना।

1.9 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2017-18 के दौरान इस कार्यालय द्वारा 57 पंचायती राज संस्थाओं के लेखों एवं अभिलेखों की नमूना जांच की गई तथा सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिवेदन जारी किए गए। इसमें आवधिकता एवं व्यय के आधार पर चयनित तीन जिला परिषद् (12 में से), नौ पंचायत समितियां (78 में से) एवं 45 ग्राम पंचायतें (3,226 में से) **(परिशिष्ट-3 (i))** शामिल थीं| वर्ष 2018-19 के दौरान 113 पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं एवं अभिलेखों की नमूना जांच की गई तथा सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिवेदन जारी किए गए। इसमें आवधिकता एवं व्यय के आधार पर चयनित तीन जिला परिषद् (12 में से), सात पंचायत समितियां (78 में से) एवं 103 ग्राम पंचायतें (3,226 में से) शामिल थीं **(परिशिष्ट-3 (ii))**। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अध्याय-2 में चर्चा की गई है।

1.10 अनुपालना हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा परिच्छेद

तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के तहत की गई पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),हिमाचल प्रदेश द्वारा मार्च 2019 तक 16,968 परिच्छेदों से युक्त 2,454 निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को जारी किए गए थे।

इनमें से मार्च 2019 तक एक निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 86 परिच्छेद समायोजित/निरस्त किये गए तथा 2,453 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 16,882 परिच्छेद अनुपालना हेतु लंबित रहे।

विवरण नीचे **तालिका-8** में दिया गया है:

तालिका-8: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा परिच्छेद

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	31 मार्च 2018 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/ परिच्छेद		वर्ष 2018-19 के दौरान योग		कुल		2018-19 के दौरान समायोजित/ निरस्त किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/ परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2019 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/ परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	2014-15 तक	1,989	12,754	-	-	1,989	12,754	1	74	1,988	12,680
2.	2015-16	155	1,322	-	-	155	1,322	-	7	155	1,315
3.	2016-17	140	1,019	-	-	140	1,019	-	1	140	1,018
4.	2017-18	57	506	-	-	57	506	-	1	57	505
5.	2018-19	-	-	113	1,367	113	1,367	-	3	113	1,364
योग		**2,341**	**15,601**	**113**	**1,367**	**2,454**	**16,968**	**1**	**86**	**2,453**	**16,882**

पंचायती राज संस्थाओं तथा पंचायती राज विभाग के साथ बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/ परिच्छेदों को समायोजित करने हेतु नियमित रूप से पत्राचार किया जा रहा है परन्तु इसके बावजूद बकाया परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों की बढ़ती प्रवृत्ति लेखापरीक्षा आपत्तियों की अनुपालना की ओर अपर्याप्त गंभीरता तथा कमज़ोर नियंत्रण तंत्र का परिचायक है। विभाग को पंचायती राज संस्थाओं में पुनरावर्ती प्रकृति की अनियमितताओं को कम करने के लिए लेखापरीक्षा आपत्तियों की अनुपालना/ समायोजन एवं अनुवर्ती कार्रवाई की दिशा में पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में संचालित पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग ऐसे समान मामलों की जांच करें तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करें।

2.1 लेखांकन प्रणाली

2.1.1 2017-18 के दौरान पीआरआईए सॉफ्ट का कार्यान्वयन एवं राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका का अनुरक्षण

(i) आदर्श लेखांकन प्रणाली के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के अनुरक्षण हेतु राज्य सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पीआरआईए सॉफ्ट को अपनाया (मार्च 2011)। निदेशक, पंचायती राज विभाग ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को भी ग्राम पंचायतों में पीआरआईए सॉफ्ट लेखांकन प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए थे (जनवरी 2012)। ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को पीआरआईए सॉफ्ट पर प्रशिक्षण दिया गया था।

नमूना-जांचित 45 में से 18 ग्राम पंचायतों **(परिशिष्ट-4)** में लेखापरीक्षा ने पाया कि पीआरआईए सॉफ्ट लेखांकन प्रणाली में लेखों का अनुरक्षण आरम्भ किया गया परन्तु अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 की अवधि में लेखों का अनुरक्षण पीआरआईए सॉफ्ट में नहीं किया गया।

सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017-जनवरी 2018) कि ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क की कनेक्टिविटी न होने के कारण लेखे पीआरआईए सॉफ्ट में अनुरक्षित नहीं किए जा सके।

यह भी पाया गया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से 22 में **(परिशिष्ट-4)** आठ आदर्श लेखांकन प्रणाली रजिस्टरों में से केवल तीन रजिस्टर (वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखा रजिस्टर, समेकित सार रजिस्टर एवं मासिक मिलान विवरणी) पीआरआईए सॉफ्ट में अनुरक्षित किये जा रहे थे जबकि पांच रजिस्टरों (प्राप्य एवं देय रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, चल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एवं मांग, संग्रहण व शेष रजिस्टर)

अनुरक्षित नहीं किये गए। लेखा बहियां जैसे जरनल बही, लेज़र बही एवं चैक प्राप्ति रजिस्टर भी इस ग्राम पंचायतों में अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं ने पीआरआईए सॉफ्ट को पूरी तरह ने नहीं अपनाया था जिससे पारदर्शी लेखांकन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017-जनवरी 2018) कि लेखों को शीघ्र ही पीआरआईए सॉफ्ट में अनुरक्षित किया जाएगा।

(ii) राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सृजित, नियंत्रित व अनुरक्षित सभी संपत्तियों का स्टॉक रखना ताकि उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। संयुक्त निदेशक-सह-उप सचिव, पंचायती राज विभाग ने निर्देश दिया (जून 2015) कि राज्य में सभी पंचायती राज संस्थाएं राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका का अनुरक्षण करे एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सृजित सभी संपत्तियों की जानकारी राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर अपलोड की जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से 40 (पांच ग्राम पंचायतों[1] को छोड़कर) में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सृजित सम्पत्तियों की जानकारी राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप सम्पत्तियों की प्रभावी निगरानी का अभाव था।

उत्तर में, संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर 2017-जनवरी 2018) कि राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर प्रविष्टियां शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

2.1.2 लेखांकन प्रणाली में पायी गई विसंगतियां

बैंक पासबुक/ मैनुअल रोकड़ बही में प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों एवं पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के बीच अंतर।

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान, यह पाया गया कि नमूना-जांचित 21 पंचायती राज संस्थाओं में, वर्ष 2016-17 हेतु बैंक पासबुक में शेष राशि के आंकड़े पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते। बैंक पासबुक में शेष आकंड़ों एवं पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड की गई शेष के आंकड़ों में ₹1.37 करोड़ का अंतर था (09 पंचायती राज संस्थाओं में पीआरआईए सॉफ्ट में आंकड़े ₹1.08 करोड़ अधिक तथा 12 पंचायती राज संस्थाओं में

[1] ग्राम पंचायतें सायरीं, सकोड़ी, चम्मों, हिन्नर एवं पोखरी।

₹0.29 करोड़ कम थे) **(परिशिष्ट-5(i))**। आंकड़ों में विचलन 0.08 व 219 प्रतिशत के मध्य थी। ग्राम पंचायतें जमणी (219 प्रतिशत), बंदली (120 प्रतिशत) तथा कोटला खनोला (104 प्रतिशत) में विचलन विशेष रूप से अधिक था। यह विचलन वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता को बनाए रखने पर सवाल उठाते हैं।

(ii) पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करावायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान 12 जिला परिषदों में से ग्यारह, 78 पंचायत समितियों में से 73 तथा सभी ग्राम पंचायतों (3,226) द्वारा पीआरआईए सॉफ्ट पर उनके लेखों का अनुरक्षण किया जा रहा था।

नमूना-जांचित 113 पंचायती राज संस्थाओं **(परिशिष्ट-5(ii))** में से 93 (नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं का 82 प्रतिशत) में यह पाया गया कि इन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 की प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़े पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाते। प्राप्ति के आंकड़ों में ₹25.13 करोड़ तथा व्यय के आंकड़ों में ₹13.19 करोड़ का अन्तर था। प्राप्तियों के आंकड़ों में विचलन 0.47 व 117.07 प्रतिशत के बीच था तथा व्यय के आंकड़ों में 0.13 व 335.69 प्रतिशत के बीच था। प्राप्तियों के आंकड़ों में ग्राम पंचायते कोटलू (117.07 प्रतिशत), खुण्डियां (115.52 प्रतिशत) एवं हल (83.09 प्रतिशत) में विचलन विशेष रूप से अधिक था तथा इसी प्रकार व्यय के मामले में ग्राम पंचायते झकलेड़ (335.69 प्रतिशत), बलोल (329.31 प्रतिशत) एवं सलिहार (265.18 प्रतिशत) में विचलन विशेष रूप से अधिक था। यह अधिक विचलन पीआरआईए सॉफ्ट में अनुरक्षित की जा रही वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।

संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/पंचायत सचिवों ने बताया (जुलाई 2018-फरवरी 2019) कि अंतरों को खोजा जाएगा तथा भविष्य में अभिलेख ठीक से अनुरक्षित किए जाएंगे, जबकि ग्राम पंचायतें गोंधला एवं गोशाल के सचिवों ने बताया (अगस्त 2018) कि उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं अन्य तकनीकी सेवाओं के अभाव में प्रविष्टि सुचारू रूप से नहीं की गई, लेकिन प्रविष्टि पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

2.1.3 रजिस्टरों का अनुरक्षण न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 31 में निर्धारित है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 में वर्णित महत्वपूर्ण अभिलेखों, रजिस्टरों, प्रपत्रों आदि का अनुरक्षण करेगी।

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान यह पाया गया कि नमूना-जांचित 57 पंचायती राज संस्थाओं में से 35 ग्राम पंचायतों एवं तीन पंचायत समितियों **(परिशिष्ट-6)** में 2017-18 के दौरान महत्वपूर्ण रजिस्टरों जैसे स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, मस्टर रोल रजिस्टर, अस्थायी अग्रिम रजिस्टर, यात्रा भत्ता रजिस्टर, आकस्मिक व्यय रजिस्टर, सहायता अनुदान रजिस्टर, चेक जारी करने व रसीद रजिस्टर आदि का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

(ii) वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नमूना-जांचित 113 पंचायती राज संस्थाओं में से 94 ग्राम पंचायतों (नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं का 82 प्रतिशत) **(परिशिष्ट-6)** में महत्वपूर्ण रजिस्टरों जैसे स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, मस्टर रोल रजिस्टर, अस्थायी अग्रिम रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, यात्रा भत्ता रजिस्टर, आकस्मिक व्यय रजिस्टर, सहायता अनुदान रजिस्टर, चेक जारी करने और रसीद रजिस्टर आदि का इन ग्राम पंचायतों द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था। इन अभिलेखों का अनुरक्षण न करने के कारण, लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित वित्तीय लेनदेनों की शुद्धता का पता नहीं लगाया जा सका।

संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/पंचायत सचिवों ने बताया (सितंबर 2017-फरवरी 2019) कि भविष्य में इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाएगा।

2.1.4 बैंक विवरणी के साथ रोकड़ बही की शेष राशि का मिलान न होना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 15 (10) (बी) में प्रावधान है कि प्रत्येक माह रोकड़ बही एवं बैंक खातों की शेष राशि का मिलान किया जाना अपेक्षित है। किसी भी अंतर को रोकड़ बही में एक फुटनोट में कारणों सहित व्याख्या की जाएगी।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर 22 पंचायती राज संस्थाओं **(परिशिष्ट-7)** में रोकड़ बहियों व बैंक पासबुकों के शेष में ₹2.87 करोड़ तथा वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर 73 पंचायती राज संस्थाओं **(परिशिष्ट-7)** में ₹26.61 करोड़ के अंतर का मिलान नहीं किया गया था। 2017-18 में ग्राम पंचायतें नालका एवं गोयला में क्रमशः ₹41.52 लाख व ₹38.11 लाख का महत्वपूर्ण अंतर देखा गया, जबकि 2018-19 में जिला परिषदों हमीरपुर, शिमला एवं कांगड़ा में क्रमशः ₹131.74 लाख, ₹287.99 लाख व ₹967.62 लाख का अंतर देखा गया।

साथ ही वर्ष 2018-19 में यह भी पाया गया कि जिला परिषद् हमीरपुर में बैंक पासबुक की तुलना में सामान्य एवं पंचायत निधि रोकड़ बही में अधिक शेष तथा 13वें वित्त आयोग

रोकड़ बही में कम शेष दर्शाया गया था। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ढांकगांव में बैंक पासबुक की तुलना में सामान्य एवं पंचायत निधि रोकड़ बही में अधिक शेष तथा 14वें वित्त आयोग रोकड़ बही में कम शेष दर्शाया गया। शेष राशि में भारी अंतर को देखते हुए, इन पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की प्रामाणिकता पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तथा नकद लेनदेन के माध्यम से प्राप्त एवं व्यय किए गए धन के दुरुपयोग या गबन की संभावना हो सकती है।

संबंधित 22 पंचायती राज संस्थाओं (2017-18 में लेखापरीक्षित) के अधिकारियों ने बताया (अक्तूबर-दिसंबर 2017) कि अंतरों का शीघ्र ही मिलान कर लिया जाएगा। संबंधित 73 पंचायती राज संस्थाओं (2018-19 में लेखापरीक्षित) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जुलाई 2018-फरवरी 2019) कि अंतरों का शीघ्र ही मिलान किया जाएगा, जबकि सचिव, जिला परिषद् कांगड़ा ने बताया (जनवरी 2019) कि स्टाफ की कमी के कारण बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही का मिलान नहीं किया गया।

2.1.5 रोकड़ बही में अनियमितताएं एवं रोकड़ बही के माध्यम से लेन-देन न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 7 के तहत, ग्राम पंचायत के सचिव सामान्य नियमों के फॉर्म-14 में रोकड़ बही अनुरक्षित करेंगे। रोकड़ बही में प्रविष्टियां लेन-देन की तिथि पर आय व व्यय की प्रत्येक मद के साथ एक साथ की जाएगी। व्यय की प्रत्येक मद हेतु प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापित एक रसीद जिसे वाउचर कहा जाएगा, पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण देते हुए प्राप्त की जाए एवं उपयुक्त फाइलों में रखा जाए। ओवर राइटिंग एवं काट-छांट सख्त वर्जित होगी। वाउचर को क्रमांकित किया जाएगा, एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वाउचर की क्रम संख्या बदल दी जाएगी तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए वाउचर की नई क्रम संख्या दी जाएगी। प्रत्येक वाउचर में संकल्प संख्या व तिथि अंकित होनी चाहिए, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा व्यय को अधिकृत किया गया था।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान, ग्राम पंचायत वाकनां (जिला सोलन) में पाया गया कि फरवरी 2013 में जोगिंद्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के बैंक खाता संख्या 100834001002430 से ₹1.00 लाख की निकासी की गई थी। राशि को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया और न ही लेनदेन का कोई वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाया गया।

उत्तर में, सचिव ने बताया (अक्तूबर 2017) कि मामले को बैंक अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा तथा रोकड़ बही व पासबुक के अनुसार शेष राशि का मिलान किया जाएगा। उत्तर

स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों का आहरण 2012-13 के दौरान किया गया था तथा सचिव को वित्तीय वर्ष के अंत में रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि के साथ बैंक शेष का मिलान करना अपेक्षित था।

(ख) वर्ष 2017-18 के दौरान, ग्राम पंचायत सायरीं (जिला सोलन) में पाया गया कि दिसंबर 2012 में सामान्य रोकड़ बही से ₹0.59 लाख मनरेगा रोकड़ बही में स्थानांतरित किए गए थे। यह राशि न तो मनरेगा रोकड़ बही में दर्ज की गई न ही इस राशि के व्यय के संबंध में कोई वाउचर लेखापरीक्षा को दिखाया गया।

उत्तर में, सचिव ने बताया (अक्तूबर 2017) कि मामले की जांच की जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि तीन वर्ष से अधिक का समय बीत चुका था परन्तु राशि को रोकड़ बही में लेकांकित नहीं किया गया था।

(ग) वर्ष 2018-19 के दौरान पाया गया कि 35 ग्राम पंचायतों[2] में अनियमितताएं जैसे तिथि व वाउचरों की संख्या का उल्लेख न करना, वर्ष के अंत में सभी आय व व्यय की सूची न बनाना, कटिंग/ ओवरराइटिंग, रबड़ व फ्लूइड का उपयोग, वाउचरों का सत्यापन न करना, रोकड़ बही के अंतिम शेष का सत्यापन न करना, चेक द्वारा किए गए भुगतान को कालानुक्रमिक तरीके से दर्ज न करना आदि पाई गई।

संबंधित पंचायत सचिवों ने बताया (सितम्बर 2018 - जनवरी 2019) कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही का अनुरक्षण किया जायेगा।

(घ) वर्ष 2018-19 के दौरान तीन ग्राम पंचायतों (लालूंग, फारियां व देवठी) में पाया गया कि क्रमशः वर्ष 2013-14 से 2015-16, 2015-16 एवं 2004-14 में रोकड़ बही व वाउचर अनुरक्षित नहीं किये गए थे।

सचिव, ग्राम पंचायत लालूंग ने बताया (सितंबर 2018) कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि हेतु रोकड़ बही कार्यालय में मोजूद नहीं थी क्योंकि पिछले सचिव ने इसे नहीं सौंपा था। वाउचरों का अनुरक्षण न करने के संबंध में यह कहा गया कि ऑनलाइन वाउचर का अनुरक्षण तकनीकी सहायक द्वारा किया गया था तथा वाउचर बाद में लेखापरीक्षा को दिखाए जाएंगे। सचिव, ग्राम पंचायत फारियां ने बताया (दिसंबर 2018) कि उस वर्ष के लिए रोकड़

---

[2] ग्राम पंचायतें केलांग, घोड़ना, बरवाला, बरबोग, ददास, घूण्ड, ढली, बावत, गोशाल, मुलिंग, जुन्गा, गोंधला, कुठार, किरण, बढ़ल, चौपाल, पुजारली (बियुलिया), बगैण, खंगसर, भलोह, क्यार, क्यारी, खुरिक, दुगियारी, पुजारली-3, बंडी, घरोह, तांगनू जंगलिख, चेबड़ी, कोटलू, हारसी, सिंहल, खंगटेडी, सालिहार एवं कारदंग।

बही तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा तैयार करावायी जाएगी जबकि सचिव, ग्राम पंचायत देवठी ने बताया (सितंबर 2018) कि ये अभिलेख कार्यालय में नहीं थे क्योंकि तत्कालीन पंचायत सचिव के विरुद्ध विजिलेंस जांच चल रही थी।

2.1.6 (i) स्व-संसाधनों, सहायता अनुदानों एवं ऋणों से आय के लेखों का अनुचित अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 4(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को अधिनियम (खाता 'क') के तहत अधिरोपित व वसूली गई उसके स्व-संसाधनों जैसे किराया, सभी कर, शुल्क, उपकर तथा सहायता अनुदान से आय, विकास कार्यों या विशेष उद्देश्यों के लिए आवंटित निधियां, ऋण, करों का हिस्सा, शुल्क, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित उपकर व अन्य आय (खाता 'ख') को अलग-अलग लेखों में अनुरक्षित करना अपेक्षित है। साथ ही खाता-'ख' में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को हर साल जनवरी एवं जुलाई के महीने में खाता-'क' में अंतरित किया जाएगा। वर्ष 2017-18 व 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि 170 नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं में से 115 ग्राम पंचायतें[3] एवं 15 पंचायत समितियां[4] ऐसे लेखे निर्धारित प्रारूप में नहीं रख रहे थे तथा सभी लेनदेन एक ही खाते के माध्यम से पूर्वोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए किए गए थे। पृथक खाता 'क' व 'ख' के अभाव में, स्व-संसाधनों, सहायता अनुदानों एवं प्राप्त ऋणों से आय के आंकड़ों की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पंचायत सचिवों ने भविष्य में निर्धारित प्रारूप में पृथक लेखा रखने का आश्वासन दिया (सितम्बर 2017-जनवरी 2019)।

---

[3] **2017-18: 42 ग्राम पंचायतें:** नोर, गोयला, कराडसू, चम्मों, बन्दली, वाकनां, मंडलगढ़, कुटाहची, खिलड़ा, सुलपुर जबोठ, कलौहड, धवाल, धनालग, दारपा, पिपली, भावगुढी, तुनन, पोखरी, नालका, टकारसी, फनौटी, कोट, सकोड़ी, गलू, ऊटपुर, जुगाहण, तान्दी, तुन्ना, जाडला, ऐहजू, शिरड़, सराहन, पंनगा, निरमंड, जमणी, कोटला खनोला, सायरीं, बरच्छवाड़, बाशा, सैन्थल पडैन, कराणा एवं नौण।

2018-19: 73 ग्राम पंचायतें: करेवथी, कुडू, चडौली, देवठी, मंझोली, स्वाड, मलैण्डी, सिंघल, सरपारा, लादोह, ढुगियारी, पोलिंग, बंडी, घरोह, खैरा, जयपीडी माता, कडोआ, मझोली टिप्पर, थाना, मोगडा, वदेहड़, कांडा बनाह, गंगोट, गुरलधार, क़स्बा जागीर, बरवाला, कोठी, कटलाह, खैरियां, कारदंग, बरबोग, सलिहार, खंगटेड़ी, घोड़ना, अप्पर ठेहरू, बलोल, कोटलू, भपू, हारसी, गाहड़, बालोर, झिकली इच्छी, उसतेहड़, खंगसर, ढली, क्यार, बगैण, भलोह, सद्दू बडग्रां, पुजारली(3), गोशाल, घूण्ड, मुलिंग, जुन्गा, गौंधला, चेबड़ी, पुजारली (ब्यूलिया), कलुण्ड, बल्ला, मकडोली, दियाणा, जगोठी, मिलख, जांगल, नरेना, कुठार, खुंडियां, हटवास, मंमूह गुरचाल, झकलेड, दारचा, केलांग और ददास।

[4] **2017-18:** आठ पंचायत समितियां धर्मपुर, नग्गर, गोपालपुर, आनी, चौंतड़ा, सुंदरनगर, गोहर और निरमंड
2018-19: सात पंचायत समितियां ननखड़ी, रोहड़ू, नगरोटा सुरियां, लंबागांव, इंदौरा, फतेहपुर और ठियोग।

2.1.6 (ii) खाता- 'क' में शराब उपकर जमा न करना

वर्ष 2018-19 के दौरान पाया गया कि 10 ग्राम पंचायतों में संग्रहित ₹12.26 लाख **(परिशिष्ट-8)** का शराब उपकर खाता-'क' में जमा नहीं किया गया था। शराब उपकर ग्राम पंचायतों के स्व-राजस्व का हिस्सा था तथा इसे अन्य विकासात्मक गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता था।

संबंधित पंचायत सचिवों ने बताया (अगस्त - नवंबर 2018) कि शराब उपकर की राशि जल्द ही खाता-'क' में जमा कर दी जाएगी।

2.1.7 बैंक खाते/ग्राम पंचायत निधि में प्राप्ति जमा न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 6(3) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत की ओर से प्राप्त व खर्च की गई सभी धनराशि ग्राम पंचायत निधि में जमा एवं उसमें से आहरित की जाएगी।

वर्ष 2017-18 के दौरान ग्राम पंचायत, सायरीं (विकास खण्ड कंडाघाट, जिला सोलन) में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत को 2014-17 के दौरान स्वयं की प्राप्तियों के रूप में ₹0.24 लाख प्राप्त हुए। सचिव ने प्राप्तियों को बैंक/ग्राम पंचायत निधि में जमा नहीं किया बल्कि इन प्राप्तियों से ₹0.23 लाख का व्यय कार्यालय व्यय एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के जलपान पर किया। ग्राम पंचायत निधि में जमा किए बिना स्वयं की प्राप्तियों से व्यय करना उक्त नियम के विरुद्ध था।

उत्तर में, सचिव ने बताया (अक्तूबर 2017) कि नियमों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण प्राप्तियों का उपयोग ग्राम पंचायत निधि में जमा किए बिना किया गया था।

2.1.8 विकास कार्यों हेतु प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 94 में निर्धारित है कि ₹25,000 से अधिक लेकिन ₹50,000/- से कम लागत वाले सभी कार्यों के लिए प्राक्कलन तकनीकी सहायक द्वारा तैयार किया जाएगा एवं ₹50,000/- से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए प्राक्कलन कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मार्च 2017 में उपरोक्त दरों को संशोधित किया गया कि ₹3,00,000/- तक की लागत वाले सभी कार्यों का प्राक्कलन तकनिकी सहायक द्वारा तैयार किया जाएगा तथा ₹3,00,000/- से अधिक व ₹5,00,000/- तक की लागत वाले कार्यों का प्राक्कलन कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किया जाएगा। ₹50,000/- से अधिक की लागत वाले सभी कार्य पंचायतों द्वारा तैयार किये गये

प्राक्कलनों पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही पंचायत द्वारा निष्पादन हेतु लिये जायेंगे।

वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि आठ ग्राम पंचायतों[5] में 2013 से 2018 की अवधि से संबंधित ₹2.28 करोड़ मूल्य के पंचायत घर, सामुदायिक हॉल, सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षा दीवार, रास्ता, सिंचाई टैंक, कुहल आदि के निर्माण/मरम्मत जैसे विभिन्न कार्यों हेतु प्राक्कलन इसके निष्पादन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं किए थे तथा प्राक्कलनों की प्रतियां नहीं मिली।

संबंधित पंचायत सचिवों ने बताया (सितंबर 2018 - जनवरी 2019) कि प्राक्कलनों की प्रतियां प्रथम किश्त की स्वीकृति के लिए खंड विकास अधिकारियों को भेजी गई थीं तथा भविष्य में इसकी प्रतियां अभिलेखों में रखी जाएंगी।

2.1.9 सामग्री का लेखांकन न करना

₹0.44 करोड़ की सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 69 के तहत, प्राप्त होने पर सभी स्टोरों की सुपूर्दगी लेते समय यथास्थिति जांच, गिनती, माप या वजन करना एवं उनकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में तुरंत दर्ज करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति या जिला परिषद् जिसके भी द्वारा स्टोर प्रभारी अधिकारी प्राधिकृत किया गया हो, उसे हर एक दिन की प्रविष्टि के अंत में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देना अपेक्षित है जिसमें बताना होगा कि सामग्री उचित अवस्था में एवं विनिर्देशों के अनुसार प्राप्त की गई। यदि स्टोर की मदें अधिक पाई जाती है तो उन्हें अतिरिक्त प्राप्तियों में इंगित किया जाए तथा यदि कम पाई जाती है तो लाल स्याही से इंगित किया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 70 में निर्धारित है कि स्टोर सामग्रियां उचित मांग के प्रति ही जारी की जाए।

वर्ष 2017-18 के दौरान पाया गया कि नमूना-जांचित 45 में से 12 ग्राम पंचायतों में 2011-17 तक की अवधि के दौरान ₹0.44 करोड़ की लगता से खरीदी गई स्टोरों की मदें जैसे स्टील, लकड़ी, फर्नीचर, हार्डवेयर सामग्री, सोलर लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, खेलकूद सामग्री, हीटर इत्यादि स्टॉक रजिस्टरों में लेखंकित नहीं की गई थीं **(परिशिष्ट-9)**। यह ग्राम

[5] ग्राम पंचायतें बरबोगः ₹27.88 लाख, दारचाः ₹64.14 लाख, मुलिंगः ₹15.30 लाख, गोशालः ₹21.32 लाख, खंगसरः ₹7.84 लाख, गोंधलाः ₹20.88 लाख, कारदंगः ₹48.75 लाख और बगैणः ₹21.60 लाख ।

पंचायतों के कमज़ोर अनुरक्षण पक्ष को इंगित करता है तथा इन स्टोरों का लेखांकन न होने की स्थिति में चोरी या हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

उत्तर में संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अक्तूबर 2017-जनवरी 2018) कि स्टॉक रजिस्टर में मदों की प्रविष्टियां कर दी जाएंगी। तथापि, तथ्य यह है कि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा स्टोरों के अभिलेखों के अनुरक्षण पर उचित निगरानी का अभाव था।

2.1.10 भौतिक सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 73 (1) के तहत ग्राम पंचायत के मामले में प्रधान एवं पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के मामले में सम्बंधित सचिव द्वारा छः माह में कम से कम एक बार तथा प्रत्येक वर्ष सदैव अप्रैल में सभी स्टोरों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के परिणाम लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे। अप्रैल में सत्यापन के दौरान प्रत्येक वस्तु की स्थिति स्टॉक रजिस्टर में उसके सामने अंकित की जायेगी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि नमूना-जांचित 170 पंचायती राज संस्थाओं (2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित) में से 59 **(परिशिष्ट-10)** में स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। भौतिक सत्यापन न करने के कारण संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्टोर/स्टॉक की वास्तविक स्थिति का सत्यापन नहीं किया गया।

उत्तर में संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारी एवं सचिवों ने बताया (अक्तूबर 2017 - मार्च 2019) कि स्टोरो एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन शीघ्र ही किया जायेगा।

2.2 राजस्व

2.2.1 आवास कर की वसूली न करना

नमूना-जांचित 148 ग्राम पंचायतों में से 133 (2017-18 व 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित) ने ₹ 58.63 लाख के आवास कर की वसूली नहीं की।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 33 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के सचिव को यह देखना होगा कि समस्त राजस्व का सही ढंग से, तुरंत एवं नियमित रूप से मूल्यांकन हो, उसकी वसूली हो एवं संबंधित पंचायत के खातों में जमा हो;

तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति किसी भी कर, शुल्क, दर या देय राशि के भुगतान को टालता है, वह अर्थदण्ड का भागीदार होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 में नमूना-जांचित 45 में से 39 ग्राम पंचायतों में 2016-17 तक ₹15.96 लाख **(परिशिष्ट-11)** की राशि के आवास कर की वसूली मार्च 2018 तक नहीं की गई तथा 2018-19 में नमूना-जांचित 103 ग्राम पंचायतों में से 94 में वर्ष 2017-18 की समाप्ति तक ₹42.67 लाख **(परिशिष्ट-11)** की राशि के आवास कर की वसूली मार्च 2019 तक नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 114 के अनुसार आवास कर का भुगतान न करने पर बकायादारों पर दंड राशी आरोपित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इससे संबंधित ग्राम पंचायतें उनके राजस्व के देय अंश से वंचित रह गई। राजस्व के संग्रहण में संचित बकाया ग्राम पंचायतों की अकुशलता को दर्शाता है।

संबंधित सचिवों ने बताया (सितंबर 2017-मार्च 2019) कि बकाया आवास कर की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

2.2.2 बकाया किराया

(i) सत्रह पंचायती राज संस्थाएं दुकानों से ₹19.80 लाख के देय किराए की वसूली करने में विफल रहीं।

जिला परिषदें, पंचायत समितियां तथा ग्राम पंचायतें उनके अधिकार क्षेत्र में दुकानों का रखरखाव करती हैं तथा इन्हें मासिक किराये के आधार पर किराए पर दिया जाता है।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सात पंचायती राज संस्थाओं (2017-18 के दौरान लेखापरीक्षित) **(परिशिष्ट-12)** में 25 दुकानों (2013-14 से 2016-17 की अवधि हेतु) से किराए के रूप में ₹9.99 लाख की राशि मार्च 2018 तक बकाया थी तथा 10 पंचायती राज संस्थाओं (2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित) **(परिशिष्ट-12)** में 45 दुकानों (2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए) से किराए के रूप में ₹9.81 लाख की राशि मार्च 2019 तक बकाया थी। यह दर्शाता है कि इन पंचायती राज संस्थाओं ने दुकान के किराए के समयबद्ध संग्रहण पर उचित ध्यान नहीं दिया था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/ सचिवों ने बताया (सितंबर 2017 - मार्च 2019) कि बकाया किराया बकायादारों से वसूल किया जाएगा।

(ii) दुकान के ₹1.16 लाख के किराए में संशोधन न करने के कारण राजस्व की हानि

वर्ष 2018-19 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि जिला परिषद् कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने मार्च-मई 2014 के दौरान नौ दुकानों को किराए पर दिया था। जिला परिषद् द्वारा दुकानों के किराएदारों से किए गए अनुबंध के खंड संख्या 03 के अनुसार दुकान का किराया 10 प्रतिशत की दर से नहीं बढ़ाया गया। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2019 तक ₹1.16 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ।

सचिव, जिला परिषद् कांगड़ा ने बताया (जनवरी 2019) कि किराए की वसूली शीघ्र की जाएगी।

2.2.3 मोबाइल टावरों की स्थापना हेतु शुल्क की वसूली न करना

नमूना-जांचित 48 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टावरों की स्थापना एवं नवीकरण शुल्क से ₹13.51 लाख के राजस्व की वसूली नहीं की गई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना सं.डीआईटी.डीइवी-(आईटी) 2005(विविध) दिनांक 22 अगस्त 2006 के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में मोबाइल संचार टावरों की स्थापना पर ₹4,000 प्रति टावर की दर से शुल्क उद्ग्रहित करने तथा प्रति टावर ₹2,000 की दर से वार्षिक नवीकरण शुल्क का संग्रहण करने के लिए अधिकृत किया। आगे, अधिसूचना संख्या डीआईटी.डीईवी-(आईटी) 2005(विविध) 96 दिनांक 21 जून 2017 के अनुसार स्थापना एवं नवीकरण शुल्क की दर क्रमशः ₹10,000 व ₹5,000 तक बढ़ा दी गई थी।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित 148 ग्राम पंचायतों में से 48 में 2001-18 के दौरान 81 मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे परन्तु मोबाइल कंपनियों से ₹13.51 लाख **(परिशिष्ट-13)** की राशि की स्थापना एवं नवीकरण शुल्क वसूल नहीं किया गया (मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में परिच्छेद 2.1.3, मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में परिच्छेद 2.2.3 तथा मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में परिच्छेद 2.2.3 के तहत इसी मुद्दे पर प्रकाश डाला गया)। इससे ग्राम पंचायतें राजस्व के उसके देय अंश से वंचित रह गई।

ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर 2017 - मार्च 2019) कि बकाया की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

2.2.4 स्त्रोत से कर कटौती न करना

अठारह ग्राम पंचायतों ने ₹1.55 लाख की राशि का स्त्रोत पर कर कटौती किए बिना ठेकेदारों को भुगतान किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 (ग) में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ठेकेदारों को किया गया एकमुश्त भुगतान ₹30,000/- से अधिक हो तथा सकल भुगतान ₹1,00,000/- से अधिक हो तो व्यक्तिगत भुगतान पर कुल भुगतान का एक प्रतिशत एवं फर्मों/कंपनियों से दो प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित 18 पंचायती राज संस्थाओं में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया गया कि ठेकेदारों/फर्मों को 2012-18 की अवधि के दौरान जेसीबी एवं पत्थर, रेत आदि जैसी सामग्री की ढुलाई के लिए ₹1.04 करोड़ का भुगतान, ₹1.55 लाख का स्त्रोत पर कटौती किए बिना किया गया **(परिशिष्ट-14)**।

उत्तर में संबंधित आठ पंचायती राज संस्थाओं[6] (2017-18 में लेखापरीक्षित) के सचिवों ने बताया (सितम्बर - दिसम्बर 2017) कि आयकर नियमों के विषय में जागरूकता की कमी के कारण स्त्रोत पर कर नहीं काटा जा सका तथा अब इसे संबंधित ठेकेदारों से वसूल किया जाएगा एवं सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा। आठ ग्राम पंचायतों[7] के सचिवों (2018-19 में लेखापरीक्षित) ने बताया (जुलाई-नवंबर 2018) कि संबंधित ठेकेदारों से स्त्रोत पर कर की वसूली की जाएगी जबकि ग्राम पंचायतों (चडौली व गोरली मडोग) ने बताया (अगस्त 2018) कि भविष्य में ठेकेदारों के बिलों से स्त्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।

2.3 निधियों का अवरोधन

2.3.1 निर्माण-कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण निधियों का अवरोधन।

₹ 1.37 करोड़ की निधियां कार्य प्रारंभ न करने के कारण अव्ययित रही।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान पाया गया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से सात **(परिशिष्ट-15(i))** में विभिन्न योजनाओं के तहत 19 विकास कार्यों के निष्पादन हेतु ₹26.02 लाख की राशि प्राप्त हुई (2012-17)। तथापि, अक्तूबर 2017 तक इन कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया। विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों का उपयोग

---

[6] 2017-18: जिला परिषद् सोलन, ग्राम पंचायतें पोखरी, कराणा, टकारसी, फनौटी, नोर, तुनन और कोट।

[7] 2018-19: ग्राम पंचायतें नालदेहरा, देवठी, चलाहल, बैंश(पिपलीधर), चेबड़ी, खमाड़ी, खाबल और दियाणा।

न करने के परिणामस्वरूप इन ग्राम पंचायतों में निधियों का अवरोधन हुआ साथ ही लाभार्थी अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितम्बर-अक्तूबर 2017) कि भू-हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान पाया गया कि नमूना-जांचित 113 पंचायती राज संस्थाओं में से 38 में 2012-19 के दौरान विभिन्न योजनाओं अर्थात 5वां राज्य वित्त आयोग (जिला परिषद्/पंचायत समिति), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, आदि के तहत खेल मैदान, वर्षा आश्रय, महिला मंडल, सड़क, एम्बुलेंस सड़क, सामुदायिक हॉल, सार्वजनिक शौचालय आदि जैसे 112 विकास कार्यों के निष्पादन हेतु ₹1.11 करोड़ **(परिशिष्ट-15(ii))** की राशि प्राप्त की गई। तथापि, सितंबर 2018 तक इन कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया तथा निधियां संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के पास पड़ी रही। इस प्रकार, विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ इसके अतिरिक्त लाभार्थी योजनाओं के अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

सहायक आयुक्त, पंचायत समिति रोहड़ू एवं संबंधित ग्राम पंचायतों[8] के सचिवों ने बताया (जुलाई - दिसंबर 2018) कि भूमि के मुद्दों के कारण काम शुरू नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायतों[9] के सचिवों ने बताया (जुलाई 2018 - मार्च 2019) कि शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा तथा निधियों का उपयोग शीघ्र किया जाएगा। सचिव ग्राम पंचायत बलीर ने बताया (नवंबर 2018) कि कार्य प्रारंभ इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि कार्य स्थल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था एवं कार्यस्थल पर कच्चा माल भेजना संभव नहीं था, परन्तु मार्ग पूरा होने के समीप है तथा कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा जबकि सचिव ग्राम पंचायत घोड़ना ने बताया (सितम्बर 2018) कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, उसे प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संहितागत औपचारिकताएं जैसे भू-हस्तांतरण/ उपलब्धता की प्रक्रिया को कार्य स्वीकृत होने से पूर्व पूर्ण किया जाना चाहिए था।

---

[8] ग्राम पंचायतें शिंगला, खमाड़ी, झकलेड, नरेना, जांगल, बैंश, खाबल, मोगडा, रामनगर, मझोली टिप्पर, मदल, चेबड़ी, पुजारली-3, सद्दू बडग्रां, सरपारा, भपू, बलोल, नालदेहरा, सलिहार, दीउदीमा और करेवथी।

[9] ग्राम पंचायतें पुजारली (ब्यूलिया), जयपीडी माता, खैरा, जुन्गा, ककडै, मलैण्डी, भलोह, गोरली मडोग, क्यारी, चड़ौली, किरण, बढल और गंगोट।

2.3.2 कार्य पूर्ण न होने के कारण अप्रयुक्त निधियां

59 पंचायती राज संस्थाओं में कार्य पूर्ण न होने के कारण ₹1.95 करोड़ की निधियां अव्ययित रही।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान पाया गया कि नमूना-जांचित 57 पंचायती राज संस्थाओं में से 15 में 2011-17 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 118 कार्यों (तीन से 12 महीनों के भीतर पूर्ण करने हेतु निर्धारित) के निष्पादन के लिए प्राप्त ₹1.90 करोड़ की राशि में से ₹0.93 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹0.97 करोड़ (51 प्रतिशत) की शेष राशि जनवरी 2018 तक अप्रयुक्त पड़ी रही **(परिशिष्ट-16(i))**। इसके परिणामस्वरूप जनता को अभीष्ट लाभ नहीं मिल पाया।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारी/सचिवों ने बताया (सितम्बर 2017-जनवरी 2018) कि भू-विवाद एवं मुकदमों के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सके। कुछ कार्य प्रगति पर थे तथा शीघ्र ही पूरे कर लिए जाएंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये कार्य स्वीकृति की तिथि से एक से छह वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रहे।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नमूना-जांचित 103 ग्राम पंचायतों में से 44 में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2007-18 के दौरान विभिन्न योजनाओं अर्थात विकास में जन सहयोग, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना इत्यादि के तहत महिला मंडल, खेल का मैदान, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक हॉल, पक्का रास्ता, सड़क, एम्बुलेंस सड़क आदि जैसे 121 कार्यों के निष्पादन हेतु प्राप्त ₹2.34 करोड़ की राशि **(परिशिष्ट-16(ii))** के प्रति ₹1.36 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹0.98 करोड़ (42 प्रतिशत) की शेष राशि लेखापरीक्षा की तिथि (जुलाई 2018-मार्च 2019) तक अप्रयुक्त पड़ी रही।

39 ग्राम पंचायतों[10] के सचिवों ने बताया (जुलाई 2018-फरवरी 2019) कि कार्य प्रगति पर था एवं शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा जबकि सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार ने बताया (अक्तूबर 2018) कि भू-विवाद एवं मुकदमों के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। सचिव, ग्राम पंचायत पुजारली-3 ने बताया (जुलाई 2018) कि श्रमिकों की कमी के कारण कार्य पूर्ण नहीं

[10] ग्राम पंचायतें डेमुल, हल, लांगजा, चेबड़ी, मझोली टिप्पर, कांडा बनाह, खमड़ी, चलाहल, शिंगला, गोरली मडोग, क्यारी, देवठी, नालदेहरा, खंगटेडी, किरण, नीरथ, चडोली, बढ़ल, गंगोट, खैरा, पोलिंग, चलवाड़ा-2, ककडै, बल्ला, मकडोली, दियाणा, मिलख, नरेना, गुरलधार, हटवास, कोठी, कोटलू, कडोआ, रैहन, सद्दू बडग्रां, लादोह, उसतेहड़, झिकली इच्छी एवं स्वाड ।

हो सका जबकि सचिव, ग्राम पंचायतें, डोल, सरपारा एवं दत्तनगर ने बताया (अगस्त-दिसंबर 2018) कि निधियों की कमी के कारण कार्य अपूर्ण थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये कार्य स्वीकृति की तिथि से एक से तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण थे।

2.3.3 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अप्रयुक्त निधियां

22 पंचायती राज संस्थाओं में 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹ 5.12 करोड़ की निधियां कार्य प्रारंभ न होने, अपूर्ण कार्यों तथा निधियां जारी न करने के कारण अप्रयुक्त रही।

13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी अनुदान राज्य के खाते में जमा होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करना था तथा संस्वीकृत कार्य उनकी स्वीकृत तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण करना था। 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:

(i) नमूना-जांचित नौ पंचायत समितियों में से पांच में 2012-16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के तहत 128 विकास कार्यों हेतु प्राप्त ₹1.07 करोड़ की राशि के प्रति ₹0.57 करोड़ की राशि निष्पादन एजेंसियों (ग्राम पंचायतों) को जारी की गई थी तथा ₹0.50 करोड़ (47 प्रतिशत) की शेष राशि अभी भी पंचायत समितियों के पास दिसम्बर 2017 तक अप्रयुक्त पड़ी थी **(परिशिष्ट-17)**। संबंधित पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (सितम्बर-दिसंबर 2017) कि ये कार्य प्रगति पर हैं तथा शेष राशि शीघ्र ही कार्य पूर्ण करने के लिए जारी कर दी जायेगी।

(ii) चार पंचायती राज संस्थाओं[11] में 2013-16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत 146 विकास कार्यों के लिए ₹2.00 करोड़ प्राप्त हुए जिन्हें जनवरी 2017 तक निष्पादन हेतु नहीं लिया गया। नवंबर 2017 तक सम्पूर्ण राशि पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरुद्ध रही। संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (सितम्बर-नवम्बर 2017) कि भूमि की अनुपलब्धता एवं न्यायालयीन प्रकरणों के कारण कार्य निष्पादन हेतु नहीं लिया जा सका।

(iii) नमूना-जांचित छः पंचायती राज संस्थाओं ने वर्ष 2006-17 के दौरान 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹1.02 करोड़ में से ₹0.71 करोड़ विभिन्न निष्पादन एजेंसियों को जारी किए

[11] जिला परिषद् सोलन : ₹1.87 करोड़; पंचायत समितियां धर्मपुर : ₹0.07 करोड़; गोहरः ₹0.04 करोड़ और ग्राम पंचायत पिपलीः ₹0.02 करोड़।

जबकि ₹0.31 करोड़ इन पंचायती राज संस्थाओं के पास अप्रयुक्त[12] रहे। इन संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (सितम्बर-दिसंबर 2017) कि लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए निष्पादन एजेंसियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

(iv) वर्ष 2013-16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के तहत पंचायत समिति चौंतडा (जिला मंडी) को विभिन्न ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट लगाने के लिए ₹0.47 करोड़ स्वीकृत किए गए। संवीक्षा में उजागर हुआ कि कार्यालय ने न तो कोई सोलर लाईट खरीदी, न ही ग्राम पंचायतों को कोई राशि जारी की। ₹0.47 करोड़ की सम्पूर्ण राशि अवरुद्ध रही तथा लाभार्थी योजना के अभीष्ट लाभों से वंचित रहे। उत्तर में संबंधित कार्यकारी अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 2017) कि अप्रयुक्त राशि की अधिकृत रूप से वापस करने का मामला उच्च अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा। उत्तर तर्कसांगत नहीं है क्योंकि 13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष के भीतर राशि का उपयोग किया जाना चाहिए था।

(v) नमूना-जांचित 57 में से छः पंचायती राज संस्थाओं में 13वें वित्त आयोग के तहत 2013-17 के दौरान ₹6.74 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। उक्त अवधि के दौरान ₹4.90 करोड़ की राशि जारी/उपयोग की गई, जबकि ₹1.84 करोड़ इन पंचायती राज संस्थाओं में अप्रयुक्त[13] रहे। संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (सितम्बर-अक्तूबर 2018) कि निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि मनरेगा के तहत बहुत सारे कार्य एक साथ चलने से श्रमिकों की कमी हो गई थी। उत्तर कमज़ोर कार्य-योजना को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय अवधि के भीतर निधियों का उपयोग नहीं किया गया।

निधियों की अवरुद्धता एवं अप्रयुक्ति के उपरोक्त दृष्टांतों के परिणामस्वरूप कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुए तथा बड़े पैमाने पर जनता को अभीष्ट लाभ नहीं मिला। यह पंचायती राज संस्थाओं के कमज़ोर कार्यान्वयन एवं ख़राब धन प्रबंधन को दर्शाता है।

---

[12] ग्राम पंचायतें तान्दी: ₹0.87 लाख; बरच्छवाड़: ₹0.23 लाख; जमणी: ₹0.94 लाख; सैन्थल पडैन: ₹0.83 लाख; पंचायत समितियां सुंदरनगर: ₹8.72 लाख और धर्मपुर: ₹19.14 लाख।

[13] पंचायत समितियां चौंतड़ा: ₹40.34 लाख; धर्मपुर: ₹89.54 लाख; कंडाघाट: ₹8.64 लाख; गोपालपुर: ₹34.41 लाख; ग्राम पंचायतें भावगुढी: ₹8.36 लाख एवं चम्मों: ₹3.35 लाख।

2.3.4 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों का व्यपवर्तन

2012-16 के दौरान तीन पंचायत समितियों ने ₹ 0.15 करोड़ की निधियों का व्यपवर्तन किया।

वर्ष 2017-18 में अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नमूना-जांचित नौ में से तीन 14 पंचायत समितियों में 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹14.79 लाख की निधियां 2012-16 के दौरान अन्य निर्माण कार्यों, सीट कवर और पर्दे की धुलाई, वाहन हेतु डीजल पर व्यय जैसे कार्यों में व्यपवर्तित की गई जो कि 13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत नहीं थी।

कार्यकारी अधिकारियों ने बताया कि (नवम्बर-दिसम्बर 2017) पंचायत समिति सदस्यों की अनुशंसा पर कार्य स्वीकृत किए गए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय उन कार्यों पर किया गया जो 13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार अनुमत नहीं थे।

2.4 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अप्रयुक्त निधियां

2.4.1 कार्य पूर्ण न होने से निधियों का अवरोधन

2017-18 एवं 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 170 पंचायती राज संस्थाओं में से 78 में 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹8.16 करोड़ की निधियां कार्यों के पूर्ण न होने के कारण अप्रयुक्त रही।

14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी अनुदान राज्य के खाते में जमा होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की जानी थी। लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान पाया गया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से 28 में 14वें वित्त आयोग के तहत 2015-17 के दौरान ₹4.79 करोड़ **(परिशिष्ट-18(i))** की राशि प्राप्त हुई। उक्त अवधि के दौरान ₹1.43 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया जबकि वर्ष 2015-16 हेतु जिला पंचायत अधिकारी से के कार्यों की अनुमोदित शेल्फ प्राप्त न होने के कारण ₹3.36 करोड़ इन ग्राम पंचायतों के पास अप्रयुक्त रहे।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अक्तूबर 2017 - जनवरी 2018) कि राशि का शीघ्र ही उपयोग किया जाएगा। उत्तर खराब कार्य-योजना का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय अवधि के भीतर निधियों का उपयोग नहीं हुआ।

[14] पंचायत समितियां निरमंड: ₹5.84 लाख; गोहर: ₹0.15 लाख और नग्गर: ₹8.80 लाख।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान, यह पाया गया कि नमूना-जांचित 103 ग्राम पंचायतों में से 50 में 2015-18 के दौरान ₹10.24 करोड़ **(परिशिष्ट-18(ii))** 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त हुए। उक्त अवधि के दौरान ₹5.44 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया एवं ₹4.80 करोड़ (47 प्रतिशत) की राशि इन ग्राम पंचायतों के पास अप्रयुक्त रही। अत: यह खराब कार्य-योजना का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित अवधि के भीतर निधियों का उपयोग नहीं हुआ।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर 2018 - मार्च 2019) कि 14वें वित्त आयोग की शेल्फ के विलम्ब से पारित होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका, लेकिन शेष राशि का शीघ्र ही उपयोग किया जाएगा।

2.4.2 कार्य प्रारंभ न होने के कारण निधियों का अवरोधन

2017-18 एवं 2018-19 के दौरान 170 नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं में से 10 में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त ₹ 75.05 लाख की निधियां कार्य प्रारंभ न होने के कारण अप्रयुक्त रही।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से तीन **(परिशिष्ट-19(i))** में यह पाया गया कि 2015-17 के दौरान 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु ₹37.93 लाख की राशि प्राप्त हुई थी जिन्हें मार्च 2017 तक निष्पादन हेतु उपयोग नहीं किया गया। जनवरी 2018 तक सम्पूर्ण राशि पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरुद्ध रही।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अक्तूबर-दिसंबर 2017) कि श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण कार्य निष्पादित नहीं किए जा सके एवं कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 103 ग्राम पंचायतों में से सात (ग्राम पंचायतें खुंडियां, वदेहड़, लांगजा, हल, डेमुल, पुजारली (ब्यूलिया) एवं जांगल) में यह पाया गया कि 2015-18 के दौरान विभिन्न विकास कार्यों हेतु 14वें वित्त आयोग के तहत ₹37.12 लाख की राशि **(परिशिष्ट-19 (ii))** प्राप्त हुई परन्तु इन निधियों का उपयोग मार्च 2018 तक नहीं किया गया। लेखापरीक्षा की तिथि तक समस्त राशि ग्राम पंचायतों के पास अवरूद्ध रही।

संबंधित सचिवों ने बताया (अगस्त 2018 - मार्च 2019) कि निधियों का उपयोग शीघ्र ही किया जाएगा जबकि ग्राम पंचायत खुंडियां के सचिव ने बताया (अक्तूबर 2018) कि भूमि

मुद्दों के कारण कार्यों को निष्पादन के लिए नहीं लिया जा सका। इस प्रकार, 14वें वित्त आयोग के तहत निधियां निर्धारित समयावधि के भीतर उपयोग नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप अभीष्ट सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई।

2.5 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निधियों का अवरोधन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ₹3.99 लाख की राशि अप्रयुक्त रही।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से 27 ग्राम पंचायतों (मंडी में 13 ग्राम पंचायतें व कुल्लू में 14 ग्राम पंचायतें) में 2011-17 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन **(परिशिष्ट-20)** के तहत ₹4.17 लाख की राशि प्राप्त की। 2011-17 के दौरान केवल ₹0.18 लाख का व्यय किया गया जिससे जनवरी 2018 तक संबंधित ग्राम पंचायतों के पास ₹3.99 लाख की शेष राशि अप्रयुक्त रह गई। 24 ग्राम पंचायतों ने बिना किसी कारण को दर्ज किए दो से पांच वर्षों की अवधि में निधियों का उपयोग नहीं किया, जिससे अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर 2017-जनवरी 2018) कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त राशि का उपयोग दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

2.6 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

2.6.1 वेतन जारी करने में विलम्ब

14 ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को ₹ 57.11 लाख की मजदूरी के भुगतान में 15 से 518 दिनों के मध्य की अवधि का विलम्ब हुआ।

मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के परिच्छेद 8.3.1 में संदर्भित है कि श्रमिकों को साप्ताहिक आधार पर तथा किसी भी स्थिति में कार्य किए जाने की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर मजदूरी का भुगतान करना अपेक्षित है। एक पखवाड़े से अधिक के विलम्ब के मामले में, श्रमिक 'मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936' के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-18 के दौरान 14 ग्राम पंचायतों ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को एक पखवाड़े की अनुमेय अवधि से 15 से 518 दिनों के मध्य के विलम्ब के पश्चात् ₹57.11 लाख **(परिशिष्ट-21)** का भुगतान किया। तथापि विलंबित भुगतान हेतु

श्रमिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इस प्रकार, भुगतान में विलम्ब के कारण मनरेगा के तहत रोजगार मांगने वाले व्यक्तियों को अनुचित कठिनाई का समान करना पड़ा तथा उस मुआवजे से भी वंचित रह गए जिसके वे कानूनी रूप से प्राप्त करने के हकदार थे।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जनवरी-मार्च 2019) कि श्रमिकों के वेतन के भुगतान में विलम्ब, विकास खंड कार्यालय से निधियां प्राप्त करने में विलम्ब के कारण हुआ, जबकि ग्राम पंचायतों ककडै, पोलिंग एवं स्वाड के सचिवों ने बताया (फरवरी-मार्च 2019) कि भविष्य में भुगतान समय पर किया जाएगा।

2.6.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी का संदिग्ध/ दोगुना भुगतान

दस ग्राम पंचायतों ने एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यों के लिए समान श्रमिकों की तैनाती दिखाई जो ₹ 2.27 लाख के संदिग्ध भुगतान को दर्शाता है।

दो ग्राम पंचायतों (2017-18 में) एवं आठ ग्राम पंचायतों (2018-19 में) में यह पाया गया कि 2010-17 के दौरान एक ही अवधि में समान श्रमिकों को विभिन्न कार्यों एवं विभिन्न मस्टर रोल पर तैनात किया गया, जो संदिग्ध तैनाती तथा मनरेगा के तहत क्रमश: ₹0.59 लाख[15] व ₹1.68 लाख[16] की मजदूरी का दोगुना भुगतान दर्शाता है। एक ही समय में अलग-अलग कार्यों पर समान श्रमिकों की तैनाती अपर्याप्त एवं अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र को तथा ग्राम पंचायतों की लापरवाही को दर्शाता है।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर 2017 - सितंबर 2018) कि मामले की जांच की जाएगी।

2.6.3 मस्टर रोल पूरा किए बिना/जिला पंचायत अधिकारी से मस्टर रोल प्राप्त किए बिना श्रमिकों के वेतन पर व्यय तथा अन्य अनियमितताएं

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 102(1) और (2) में प्रावधान है कि जब पंचायत के कार्य विभागीय स्तर पर दैनिक मजदूरों द्वारा निष्पादित किए जाने हो तो सचिव या उनके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी/पदाधिकारी को मस्टर रोल बनाना होगा। इस मस्टर रोल का मुद्रण जिला पंचायत अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा पंचायत

---

[15] ग्राम पंचायतें गोयला: ₹0.54 लाख और सायरीं: ₹0.05 लाख।

[16] ग्राम पंचायतें कारदंग: ₹0.05 लाख, बरबोगः ₹0.13 लाख, दारचाः ₹1.05 लाख, कुठारः ₹0.24 लाख, घोड़नाः ₹0.05 लाख, क्यारः ₹0.06 लाख, जुंगा: ₹0.06 लाख और पुजारलीः ₹0.04 लाख।

आवश्यकतानुसार जिला पंचायत अधिकारी से मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए मस्टर रोल फार्म प्राप्त करेगी।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-13 के दौरान ग्राम पंचायत बाशा, विकास खंड कंडाघाट, जिला सोलन में जल संचयन टैंक के निर्माण पर दस श्रमिकों को तैनात किया गया एवं उनकी मजदूरी पर ₹0.15 लाख का व्यय किया गया। उक्त प्रावधान के विपरीत इस कार्य के लिए जारी मस्टर रोल अधूरा था। जारी किए गए मस्टर रोल में कार्य का नाम तथा श्रमिकों की उपस्थिति अंकित नहीं पाई गई। श्रमिकों की उपस्थिति के अंकन के अभाव में, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (नवंबर 2017) कि उचित कार्रवाई की जाएगी।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 ग्राम पंचायतों[17] में जिला पंचायत अधिकारी से मस्टर रोल प्राप्त नहीं किए जा रहे थे एवं ग्राम पंचायतों द्वारा मुद्रित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इन मस्टर रोल पर न तो क्रम संख्या और न ही तारीख व कार्य का विवरण अंकित किया गया था।

ग्राम पंचायतों के सचिवों (लांगजा, लालूंग, डेमुल, खुरिक एवं हल) ने बताया (अगस्त-सितंबर 2018) कि नियम की अनभिज्ञता के कारण निजी विक्रेताओं से मस्टर रोल खरीदे गए थे जबकि ग्राम पंचायतों[18] के सचिवों ने बताया (अगस्त-सितंबर 2018) कि भविष्य में नियमानुसार मस्टर रोल एकत्र एवं अनुरक्षित किए जाएंगे।

2.6.4 मस्टर रोल के प्रति ₹0.38 लाख का अतिरिक्त भुगतान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच ग्राम पंचायतों[19] में केवल 30 दिनों वाले माह में 31 की तिथि तक उपस्थिति दर्ज करने के कारण दिहाड़ी मजदूरों को ₹0.38 लाख की अधिक मजदूरी का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बरबोग के मामले में मस्टर रोल में श्रमिकों के नाम दर्ज किए बिना ₹0.03 लाख का अनियमित भुगतान किया गया,

---

17 ग्राम पंचायतें लांगजा, लालूंग, डेमुल, खुरिक, हल, घोड़ना, बगैण, पुजारली, दारचा, खंगसर, गोशाल, मुलिंग, गोंधला, बरबोग और केलांग।

18 पुजारली, घोड़ना, दारचा, बगैण, खंगसर, गोशाल, मुलिंग, गोंधला, बरबोग और केलांग।

19 ग्राम पंचायतें खंगसर: ₹0.14 लाख, डेमुल: ₹0.02 लाख, दारचा: ₹0.02 लाख, बरबोग: ₹0.18 लाख और केलांग: ₹0.02 लाख।

जबकि ग्राम पंचायत केलांग के मामले में मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना ₹0.01 लाख का भुगतान किया गया।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अगस्त-सितंबर 2018) कि मामले की जांच के बाद इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी जबकि सचिव, ग्राम पंचायत डेमलू ने बताया (अगस्त 2018) कि 31 वें दिन मस्टर रोल पर उपस्थिति गलती से हुई थी तथा किए गए अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी।

2.6.5 ग्यारह ग्राम पंचायतों द्वारा बिना दस्तावेजी प्रमाण के श्रमिकों को भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 का नियम 50 निर्धारित करता है कि जहां आवश्यक हो भुगतान करते समय भुगतान लेने वाले व्यक्ति से जहां आवश्यक है अलग पावती जहां अवश्यक हो ली जाए तथा सम्बंधित वाउचर के साथ संलग्न किया जाए।

(i) वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से नौ ग्राम पंचायतों[20] में 2011-15 के दौरान 15 श्रमिकों को मस्टर रोल पर श्रमिकों की पावती रसीद (हस्ताक्षर) लिए बिना ₹5.06 लाख की मजदूरी का भुगतान किया गया। अतः ₹5.06 लाख का भुगतान संदिग्ध था तथा दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अक्तूबर 2017 - जनवरी 2018) कि उचित कार्रवाई की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

(ii) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापेरिक्षित व नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से दो ग्राम पंचायतों[21] में बिना पावती रसीद (हस्ताक्षर) लिए ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों को 2011-16 के दौरान मानदेय के रूप में ₹0.50 लाख का भुगतान किया गया।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर-नवंबर 2017) कि मामले की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पावती रसीदों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि भुगतान वास्तविक लाभार्थियों/श्रमिकों को ही किया गया था।

---

[20] ग्राम पंचायतें नौण: ₹0.55 लाख, ऐहजू: ₹0.03 लाख, कोटला खनोला: ₹0.99 लाख, तुन्ना: ₹0.69 लाख, तान्दी: ₹0.17 लाख, कलौहड: ₹0.03 लाख, खिलड़ा: ₹0.19 लाख; कुटाहची: ₹1.28 लाख और बंदली: ₹1.13 लाख।

[21] ग्राम पंचायतें गलू: ₹0.24 लाख और सुलपुर जबोठ: ₹0.26 लाख।

2.7 ₹2.89 लाख का संदिग्ध व्यय

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 47 के अनुसार किसी भी उद्देश्य से किया जाने वाला प्रत्येक भुगतान, जिसमें पंचायत निधि में पहले से रखे धन का पुनः भुगतान भी शामिल है, पंचायत निधि के खाते में दर्ज किया जाएगा जिसमें लेखों का उचित वर्गीकरण एवं पूर्ण व स्पष्ट विवरणों वाला वाउचर संलग्न हो।

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 45 ग्राम पंचायतों में से चार ग्राम पंचायतों[22] में 2012-15 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यों एवं बिजली बिल का भुगतान, पंचायत घर का नवीनीकरण, कंप्यूटर की मरम्मत, सोलर लाईट का भुगतान इत्यादि जैसे विभिन्न भुगतान करने के लिए ₹2.89 लाख का व्यय किया गया जबकि लेखापरीक्षा को बिल व वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए। वाउचरों के अभाव में व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका तथा दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर-नवंबर 2017) कि वाउचर का पता लगाकर फाईल में रखा जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक भुगतान हेतु वाउचर होना चाहिए।

2.8 ₹9.24 लाख के अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 189 (1) से (4) के अनुसार विभागाध्यक्ष यथानिर्धारित, किसी सरकारी कर्मचारी को माल की खरीद के लिए या सेवाओं को किराए पर लेने के लिए या किसी अन्य विशेष उद्देश्य के लिए अग्रिम स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है। नियम में आगे प्रावधान है कि यदि कोई समायोजन बिल के साथ यदि कोई शेष राशि हो, तो उसे अग्रिम की निकासी के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए। जब तक सबद्ध सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रथम अग्रिम का समायोजन लेखा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक द्वितीय अग्रिम प्रदान नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 1998-99 से 2016-17 की अवधि के मध्य सात ग्राम पंचायतों के प्रधानों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ₹9.46 लाख[23] के अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किए गए थे।

---

[22] ग्राम पंचायतें बाशा: ₹1.66 लाख, सुलपुर जबोठ: ₹0.14 लाख, गोयला: ₹0.42 लाख और सायरीं: ₹0.67 लाख।

[23] ग्राम पंचायतें मुलिंगः ₹0.90 लाख (एफ.डी.ए भवन के निर्माण हेतु), गोंधलाः ₹4.50 लाख (महिला मंडल के निर्माण हेतु), चडौलीः ₹0.92 लाख (खेल उपकरण की खरीद और निर्माण कार्यों हेतु), बगैण: ₹0.90 लाख (विकास कार्य) कुठारः ₹0.37 लाख (विकास कार्य), ददास: ₹0.57 लाख (पंचायत घर के निर्माण हेतु) और जुंगा: ₹1.30 लाख (विभिन्न कार्यों का निष्पादन)।

इन अग्रिमों में से ₹9.24 लाख की राशि दो से 20 वर्षों की अवधि तक समायोजन के लिए लंबित थी। अत: इन अग्रिमों के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अगस्त-सितंबर 2018) कि अग्रिम का समायोजन सत्यापन के बाद किया जाएगा तथा इसकी सूचना लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

2.9 बजट आकलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 37 में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु अपनी प्राप्ति व व्यय का बजट आकलन प्रपत्र-11 में निर्धारित प्रारूप में तैयार करेगी। बजट आकलन पिछले वर्ष के 15 अक्तूबर तक सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा एवं संवीक्षा हेतु ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसे ग्राम सभा द्वारा बहुमत से पारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 ग्राम पंचायतों[24] ने 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि हेतु बजट आकलन तैयार नहीं किया जबकि ग्राम पंचायत बरवाला ने वर्ष 2017-18 हेतु बजट आकलन तैयार नहीं किया।

ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जुलाई 2018 - जनवरी 2019) कि भविष्य में बजट तैयार किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट तैयार न करना पंचायतों द्वारा वित्तीय कार्य-योजना की कमी का परिचायक था।

2.10 सामग्री की अनियमित खरीद

2017-18 एवं 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 170 पंचायती राज संस्थाओं में से 122 ने कोटेशन/ निविदाएं आमंत्रित किए बिना ₹ 8.74 करोड़ की लागत से सामग्री खरीदी।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 67 (5) (ए) व (बी) में प्रावधान है कि ₹50,000 से अधिक का स्टोर क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके खरीदा जाए तथा ₹1,000 से अधिक परन्तु ₹50,000 से कम की खरीद कम से कम तीन व्यक्तियों/फर्मों से कोटेशन आमंत्रित करके किया जाए।

[24] ग्राम पंचायतें कडोआ, गंगोट, थाना, रामनगर, जयपीडी माता, कोट कियाना, क्यारी, कुडू, तांगनु जंगलीख, किरण, चडौली, बावत, गोरली मडोग, खंगटेडी, पुजारली-3, जगोठी, कटलाह, कांडा बनाह, दारचा, कारदंग, केलांग, बरबोग, खुरिक, डेमुल, लालूंग, लांगजा, गोशाल, गोंधला, खंगसर और हल।

वर्ष 2017-18 व 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नमूना-जांचित 170 पंचायती राज संस्थाओं में से 122 में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹8.74 करोड़ की लागत **(परिशिष्ट-22)** से निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न सामग्री, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण आदि कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना खरीदी गई। चूंकि खरीद निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई थी, अतः उच्च दरों पर भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

38 पंचायती राज संस्थाओं (2017-18 में लेखापरीक्षित) के संबंधित सचिवों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों[25] ने बताया (सितम्बर 2017 - जनवरी 2018) कि भविष्य में नियमानुसार खरीद की जायेगी। 81 पंचायती राज संस्थाओं (2018-19 में लेखा परीक्षित) के संबंधित सचिवों ने बताया (जुलाई 2018-फरवरी 2019) कि सामग्री की अत्यावश्यकता के कारण कोटेशन/निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी, परन्तु भविष्य में नियमानुसार खरीद की जायेगी जबकि सचिवों, ग्राम पंचायतों (हारसी, अपर थेहरू एवं जगोठी) ने बताया (जून 2018 - मार्च 2019) कि उन्हें उन नियमों के बारे में जानकारी नहीं थी जिसके कारण बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रित किए सामग्री खरीदी गई परन्तु भविष्य में नियम होगा पालन किया जाएगा।

2.11 ₹ 72.39 लाख के सरकारी धन का अनियमित भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 74 में यह प्रावधान है कि पंचायत का प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी परोक्ष रूप से अपनी कार्रवाई या लापरवाही से हुए दर्शाने योग्य अधिकतम नुकसान हेतु न केवल अपनी ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही से पंचायत को हुए नुकसान के लिए अपितु किसी अन्य कर्मी द्वारा धोखाधड़ी या लापरवाही से से होने वाले नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा।

यह पाया गया कि 35 ग्राम पंचायतों में पंचायत सदस्यों को मस्टर रोल के अनुसार किए गए कार्य एवं उसी दिन ग्राम सभा की बैठक में उपस्थिति के लिए मानदेय का भुगतान, श्रमिकों/ ठेकेदारों के नाम पर चेक जारी नहीं करना, ₹5000/- से अधिक के बिलों पर राजस्व टिकटों के बिना ठेकेदारों को भुगतान, श्रमिकों को भुगतान की रसीद न प्राप्त करना, वाउचरों

[25] जिला परिषद् मंडी; पंचायत समितियां गोहर और कंडाघाट; ग्राम पंचायतें बाशा, साकोरी, वाकनां, सायरीं, हिन्नर, गोयला, चम्मों, नालका, भावगुढी, जाडला, कोहिला, फनौटी, पोखरी, टकारसी, कराणा, कोट, तुनन, सराहन, निरमंड, कराडसू, तुन्ना, तान्दी, कुटाहची, कोटला खनोला, नौण, जुगाहण, कलौहड, खिलड़ा, धवाल, सैन्थल पडैन, ऊटपुर, गलू, ऐहजू, पिपली और सुलपुर जबोठ।

का सत्यापन न करना आदि जैसे अनियमित तरीके से ₹72.39 लाख **(परिशिष्ट-23)** का भुगतान किया गया। इस प्रकार, यह ग्राम पंचायतों की लापरवाही को दर्शाता है तथा परिणामस्वरूप उस सीमा तक अनियमित भुगतान हुआ।

संबंधित सचिवों ने बताया (सितंबर 2018 - जनवरी 2019) कि विसंगतियों पर गौर किया जाएगा एवं नुकसान का जल्द ही समायोजन किया जाएगा। सचिव, ग्राम पंचायत सिंहल ने बताया (मार्च 2019) कि उच्च अधिकारियों के मौखिक निर्देशानुसार अवकाश वेतन की अनुमति दी गई थी तथा इसका अनुपालन लेखापरीक्षा को दिखाया जाएगा जबकि सचिव, ग्राम पंचायत थाना ने बताया (जुलाई 2018) कि मजदूरों के बैंक खाते उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके भुगतान का चेक ग्राम पंचायत सदस्य को जारी किया गया था। सचिव, ग्राम पंचायत हारसी ने बताया (फरवरी 2019) कि अनियमितता इसलिए हुई क्योंकि उन्हें नियम के बारे में जानकारी नहीं थी तथा मजदूरों के बैंक खाते उपलब्ध नहीं थे जबकि सचिव, ग्राम पंचायत गाहड़ ने बताया (मार्च 2019) कि भविष्य में सभी भुगतान मजदूरों के खातों में किया जाएगा।

2.12 ₹ 5.55 लाख की राशि का अनियमित भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 49 में प्रावधान है कि जब तक सम्बंधित पंचायत का सचिव तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत का प्रधान भुगतान आदेश के वाउचर पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर नहीं करते या अधोहस्ताक्षर नहीं करते तब तक ग्राम पंचायत न तो कैश के माध्यम से न ही चेक के द्वारा कोई भुगतान कर सकेगी। इसके अतिरिक्त नियम 50 में प्रावधान है कि जहां आवश्यक हो, भुगतान करते समय भुगतान लेने वाले व्यक्ति से अलग पावती मुहर लगी यदि आवश्क हो ली जाए साथ ही सभी भुगतान किए जा चुके वाउचरों पर सचिव द्वारा "भुगतान हुआ" की मोहर, उसके हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित की जाए ताकि वाउचर का दूसरी बार प्रयोग न किया जा सके।

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि छ: ग्राम पंचायतों[26] द्वारा सामग्री खरीद पर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत ₹5.55 लाख के बिल अनियमित प्रकृति के थे। उसमें उल्लेखित बिलों व तिथियों की क्रम संख्या सुसंगत नहीं थी तथा वाउचर पर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित "भुगतान हुआ" की मुहर नहीं थी। भुगतान प्राप्त करने वाले

[26] ग्राम पंचायतें दारपा: ₹1.81 लाख, कोटला खनोला: ₹1.38 लाख, ऐहजू: ₹0.56 लाख, बरच्छवाड़: ₹0.82 लाख, सैन्थल पडैन: ₹0.42 लाख और नौण: ₹0.56 लाख।

व्यक्तियों से अलग पावती नहीं ली गई थी तथा संबंधित वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गए। अतः ₹5.55 लाख का भुगतान अनियमित था तथा लेखापरीक्षा द्वारा इन लेनदेनों की विश्वसनीयता प्रमाणित नहीं की जा सकी।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितम्बर 2017) कि नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भुगतान नियमानुसार किया जाना चाहिए था।

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

भाग-ख

शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

3.1 पृष्ठभूमि

संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण एवं शहरी स्थानीय निकायों को निधियों एवं पदाधिकारियों सहित संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों **(परिशिष्ट-1)** के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। यह अधिनियम जून 1993 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 एवं हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया। हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को 17 कार्य (अग्निशमन सेवाओं को छोड़कर) हस्तांतरित कर दिए गए हैं; तथापि शहरी स्थानीय निकायों को तदनुसार निधियां एवं पदाधिकारी उपलब्ध कराया जाना अभी शेष हैं।

3.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी हैं (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणामों को अध्याय-4 में सम्मिलित किया गया है।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

31 मार्च 2019 तक राज्य में दो नगर निगम, 31 नगर परिषदें तथा 21 नगर पंचायतें हैं। शहरी स्थानीय निकायों का समग्र नियंत्रण निदेशक, शहरी विकास के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव (शहरी विकास) के पास है। संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है :

संगठनात्मक ढांचा

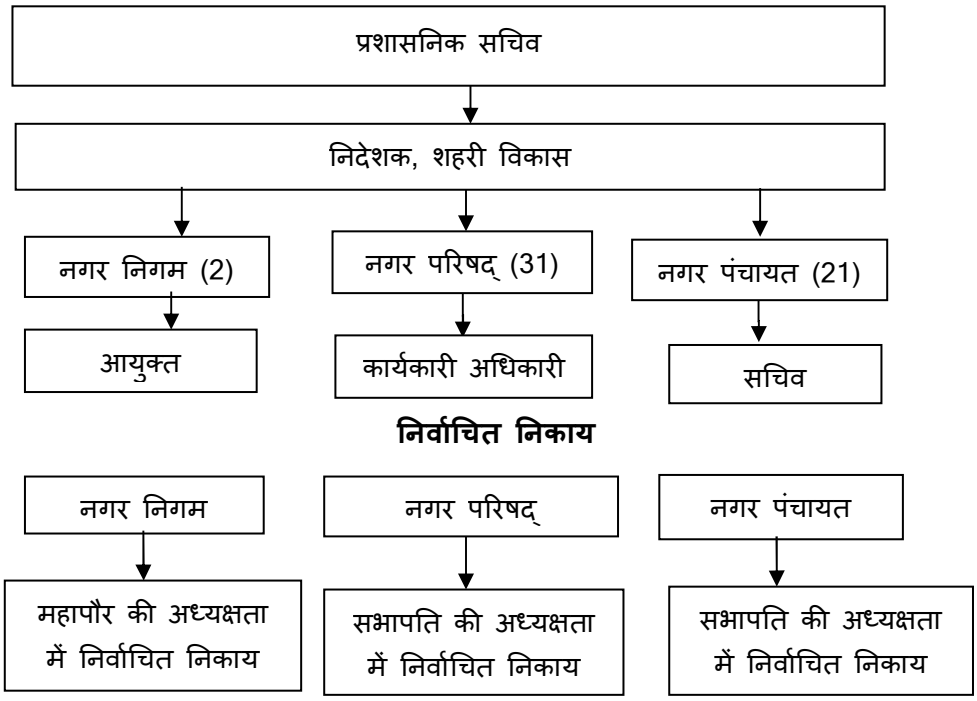

3.3.1 स्थाई समितियां

वित्तीय मामलों तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न स्थाई समितियों का विवरण नीचे **तालिका-9** में दिया गया है:

तालिका-9: स्थाई समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

स्थाई समिति का नाम	स्थाई समिति का अध्यक्ष	स्थाई समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
सामान्य स्थाई समिति	नगर निगम में महापौर तथा नगर परिषद्/ नगर पंचायत में अध्यक्ष	स्थापना मामलों, संचार, भवनों, शहरी आवास तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राहत के प्रावधान, जलापूर्ति एवं समस्त अवशिष्ट मामलों के सम्बंध में कार्यों का निष्पादन करती है।
वित्त, लेखापरीक्षा एवं योजना समिति		नगरपालिका के वित्त, बजट का निर्माण, राजस्व वृद्धि की संभावनाओं की संवीक्षा व प्राप्तियों एवं व्यय विवरणों की जांच से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
सामाजिक न्याय समिति	नगर निगम में उप महापौर तथा नगर परिषद्/ नगर पंचायत में अध्यक्ष	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा एवं वर्ग, महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक एवं अन्य हितों की प्रोन्नति से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है

स्रोत: हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994

3.3.2 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं

शहरी विकास निदेशालय ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु परियोजना अनुभाग में परियोजना अधिकारी का एक तथा सांख्यिकीय सहायक के दो पद स्वीकृत किए हैं। 2017-18 के दौरान सांख्यिकीय सहायक के पद रिक्त थे।

तालिका: शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न संवर्गों के कर्मियों की स्थिति का विवरण

वर्ष	स्वीकृत पद	रिक्त पद	रिक्तता की प्रतिशतता
2017-18	3,754	1,194	(32 प्रतिशत)
2018-19	3,749	1,230	(33 प्रतिशत)

3.4 वित्तीय रूपरेखा

3.4.1 शहरी स्थानीय निकायों में निधियों का प्रवाह

विभिन्न विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु शहरी स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में मुख्यतः (क) केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान (ग) केंद्र सरकार अनुदान तथा (घ) राज्य सरकार अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त करों, किरायों, शुल्कों इत्यादि के रूप में भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व जुटाया जाता है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों का विवरण नीचे **तालिका-10** में दिया गया है:

तालिका-10: शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	स्व राजस्व		118.04	128.60	173.20	161.18	288.68
2.	ऋण		0.03	0.43	0	0	0.01
3.	केंद्र सरकार से वित्त आयोग अनुदान		22.52	24.55	34.87	30.98	17.92
4.	राज्य सरकार से वित्त आयोग अनुदान		72.40	85.51	99.45	111.36	120.74
5.	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	केन्द्रीय अंश	91.43	130.47	336.28	48.05	125.08
		राज्यांश	0.05	29.16	36.70	5.33	20.54
6.	राज्य योजनाओं हेतु राज्य सरकार अनुदान		34.55	67.15	75.08	76.62	221.94
योग			**339.02**	**465.87**	**755.58**	**433.52**	**794.91**

स्रोत*:* निदेशक, शहरी विकास विभाग एवं आर्थिक व सांख्यिकी विभाग।

केंद्र सरकार अनुदान: केंद्र प्रायोजित सात योजनाएं हैं: (i) नवीकरण और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन (अमृत) (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना-सबके लिए घर (शहरी) (iii) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (iv) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (v) छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (vi) स्मार्ट सिटी मिशन तथा (vii) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु शहरी स्थानीय निकायों को इन योजनाओं के तहत आवंटित निधियों की स्थिति नीचे **तालिका-11** में विवर्णित है:

तालिका-11: प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	90.93	92.07	--	3.97	--	**186.97**
छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना	0.13	27.75	105.83	--	--	**133.71**
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	--	6.71	6.58	6.86	2.66	**22.81**
अमृत	--	22.48	24.06	23.33	36.00	**105.87**
स्मार्ट सिटी मिशन	--	2.00	208.89	--	78.00	**288.89**
प्रधान मंत्री आवास योजना-सबके लिए घर (शहरी)	--	0.73	16.57	19.22	22.06	**36.52**
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी	--	7.69	11.06	--	6.89	**25.64**
योग	**91.06**	**159.43**	**372.99**	**53.38**	**145.61**	**822.47**

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास विभाग।

राज्य सरकार अनुदान: 2014-15 से 2018-19 की अवधि में इन योजनाओं के तहत शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों की स्थिति का विवरण नीचे **तालिका-12** में दिया गया है:

तालिका-12: प्रमुख राज्य योजनाओं हेतु शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
विश्व बैंक सहायता प्राप्त बड़ी योजनाएं	--	--	--	--	143.53	**143.53**
सीवरेज योजनाएं	23.00	24.00	32.50	23.42	25.00	**127.92**
सीवरेज रखरखाव	5.00	8.40	9.05	20.00	18.21	**60.66**

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
मर्जड एरिया (विलय क्षेत्र) अनुदान	--	3.00	3.00	3.00	3.00	**12.00**
पार्किंग	--	15.00	9.38	10.00	10.00	**44.38**
बगीचों का विकास	--	--	9.30	10.00	10.00	**29.30**
लक्ष्य योजनाएं	--	--	1.20	1.20	1.20	**3.60**
योग	**28.00**	**50.40**	**64.43**	**67.62**	**210.94**	**421.39**

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास विभाग।

शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न स्त्रोतों से आवंटित निधियों को बैंकों में रखा जाता है। केंद्र एवं राज्य अनुदान का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जबकि शहरी स्थानीय निकायों की स्वयं की प्राप्तियों का उपयोग प्रशासनिक खर्चों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई योजनाओं एवं कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है।

3.4.2 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियां एवं संयोजन

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के अनुप्रयोग नीचे **तालिका-13** में दिया गया है:

तालिका-13: संसाधनों का क्षेत्रवार अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	स्व राजस्व		150.78*	167.20*	229.78*	268.17*	370.24*
2.	ऋण						
3.	केंद्र सरकार के वित्तायोग अनुदान से हुआ व्यय एवं केंद्र सरकार से अनुदान		22.52	24.55	34.87	30.98	17.92
4.	केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान से व्यय	केन्द्रीय अंश से व्यय	91.43	130.47	336.28	48.05	125.08
5.		राज्यांश से व्यय	0.05	29.16	36.70	5.33	20.54
6.	राज्य सरकार के वित्तायोग अनुदान से हुआ व्यय एवं राज्य सरकार से अनुदान		72.40	85.51	99.45	111.36	120.74
7.	राज्य योजनाओं हेतु राज्य सरकार से व्यय		34.55	67.15	75.08	76.62	221.94
योग			**371.73**	**504.04**	**812.16**	**540.51**	**876.46**

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा आर्थिक व सांख्यिकी विभाग।

* विभाग के पास अलग-अलग आंकडें उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों में अन्तशेष भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध करवायी गयी समस्त निधियां बुनियादी स्तर पर वास्तविक व्यय के स्थान पर व्यय के रूप में दर्शाई गई है। शहरी विकास विभाग के पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए व्यय के सटीक आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यय को नियंत्रित करने/समीक्षा करने के लिए कोई आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति में अनियमितता एवं कमज़ोर नियंत्रण प्रणाली में थी जिसकी अध्याय-4 में चर्चा की गई है।

यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों (2014-15 से 2016-17 की अवधि हेतु) तथा 14 शहरी स्थानीय निकायों (2015-16 से 2018-19 की अवधि हेतु) में वास्तविक व्यय के आंकडें अध्याय-4 की तालिका-15 (i) व (ii) में सम्मिलित किये गए हैं।

3.5 शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कुशल एवं प्रभावी शासन के लिए महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ ऐसी अनुपालना की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता और गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं क्रियाशील है, शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार को नीतिगत योजना, निर्णय क्षमता तथा हितधारकों के प्रति उत्तरदायित्व से युक्त उनके आधारभूत प्रबन्धन उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पायी गयी कमजोरियों तथा कमियों का उल्लेख अध्याय-4 में किया गया है।

3.6 शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा एवं आतंरिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के तहत शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की एक पृथक व स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा की जानी है। शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा क्रमशः 25 एवं 26 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की गई। इन लेखापरीक्षाओं के परिणाम शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल हैं जो हिमाचल

प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 (3) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आय व व्यय पर आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए निदेशक, शहरी विकास के नियंत्रण में पृथक एवं स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा एजेंसी का कोई प्रावधान नहीं है।

3.7 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 की धारा 152-154 के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं, लेखापरीक्षा पद्धति एवं प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, रिपोर्टिंग एवं विवरणियों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्राथमिक लेखापरीक्षकों को उचित तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सुपुर्द की गई है।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु लेखापरीक्षा योजना प्राथमिक लेखा परीक्षक (निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग) से प्राप्त हुई तथा इस कार्यालय में लेखापरीक्षा योजना की प्रक्रिया के लिए दर्ज की गई।

प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग) ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 164 में निर्धारित लेखापरीक्षा पद्धति एवं लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं का पालन किया।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राथमिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में से पांच निरीक्षण प्रतिवेदनों (प्रत्येक वर्ष में) की समीक्षा की गई। निरीक्षण प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया गया तथा सुधार एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सिफारिशें की गईं। निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय को निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

(i) लेखापरीक्षा आपत्तियां उठाते समय संदर्भित नियमों का अलग परिच्छेदों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

(ii) लेखापरीक्षिती इकाई को लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी किया जाए।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी के उत्तर को लेखापरीक्षा परिच्छेदों में सम्मिलित किया जाए।

(iv) गणना को तालिका प्रारूप में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्षों के दौरान सुधार हेतु कुछ इसी तरह की सिफारिशें की गई थीं, लेकिन कमियां बनी रहीं, जो इंगित करता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग ने इसे दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा स्टाफ को उनकी आवश्यकतानुसार हर साल दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। 2017-18 के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के 24 प्रतिभागियों को 8 व 9 फरवरी 2018 को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: (i) वित्त, कराधान एवं दावों की वसूली के संबंध में सांविधिक प्रावधान (ii) पंचायती राज संस्थाओं की निधियां, उनका संचालन, अनुप्रयोग एवं निवेश (iii) बजट, व्यय व भंडार (iv) लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण (v) पंचायती राज लोक निर्माण नियम तथा (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का परिचय एवं इसके संचालन संबंधी दिशानिर्देश। 2018-19 के दौरान, 11 और 12 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के 25 प्रतिभागियों को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: (i) पीआरआईए सॉफ्ट (पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली) (ii) शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की लेखापरीक्षा; तथा (iii) शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा मांगों, मुख्य दस्तावेज व लेखापरीक्षा रिपोर्टों का मसौदा तैयार करना।

3.8 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2017-18 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 12 की नमूना जांच की गई तथा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिवेदन जारी किया गया। 2017-18 के दौरान दो नगर निगम, छः नगर परिषदों तथा चार नगर पंचायतों के अभिलेखों की जांच की गई **(परिशिष्ट-3(i))**। वर्ष 2018-19 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 14 शहरी स्थानीय निकायों (दो नगर निगमों, सात नगर परिषदों और पांच नगर पंचायतों) के अभिलेखों की नमूना जांच की गई तथा सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिवेदन जारी किये गए **(परिशिष्ट-3(ii))**। उन प्रतिवेदनों के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस प्रतिवेदन के अध्याय-4 में सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में इंगित मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे समान मामलों की जांच करे एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करे।

3.9 अनुपालना हेतु लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियां

शहरी स्थानीय निकायों से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों में उजागर दोषों/चूकों को सुधारने एवं आपत्तियों के समायोजन की अनुपालना की सूचना देना अपेक्षित है।

31 मार्च 2019 तक जारी, निपटाए गए/ हटाए गए तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व परिच्छेदों का विवरण नीचे **तालिका-14** में दिया गया है:

तालिका-14: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा परिच्छेद

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	31 मार्च 2018 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद		वर्ष 2018-19 के दौरान योग		कुल		2018-19 के दौरान समायोजित/निरस्त किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2019 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	2014-15 तक	157	1,013	-	-	157	1,013	-	43	157	970
2.	2015-16	16	134	-	-	16	134	-	12	16	122
3.	2016-17	16	176	-	-	16	176	-	4	16	172
4.	2017-18	12	133	-	-	12	133	-	7	12	126
5.	2018-19	-	-	14	186	14	186	-	-	14	186
योग		**201**	**1,456**	**14**	**186**	**215**	**1,642**	-	**66**	**215**	**1,576**

निरीक्षण प्रतिवेदनों/ परिच्छेदों के निपटान हेतु पत्राचार किया जा रहा है, इसके बावजूद निपटान के लिए लंबित परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई है जो अपेक्षित गंभीरता एवं प्रभावी कार्रवाई के अभाव का परिचायक है जो जवाबदेही को कमज़ोर करता है।

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

इंगित किये गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे समान मामलों की जांच प्रारंभ करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।

4.1 लेखांकन प्रणाली

निदेशक, शहरी विकास के निर्देशानुसार (अप्रैल 2009) शहरी स्थानीय निकायों से लेखांकन की दोहरा लेखन प्रणाली को अपनाया जाना अपेक्षित है। विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2018 एवं अगस्त 2019) की वर्ष 2017-18 के दौरान नमूना-जांच किए गए 12 शहरी स्थानीय निकायों तथा 2018-19 के दौरान नमूना-जांच किये गए 14 शहरी स्थानीय निकायों ने उनके लेखे दोहरा लेखन प्रणाली में अनुरक्षित किए थे।

4.1.1 लेखों को तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 252 एवं 253 के अनुसार नगरपालिका की आय व व्यय के लेखे निर्धारित नियमों के अनुसार रखे जाए। नगरपालिका वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अधिकतम तीन मास की अवधि के भीतर उस वर्ष के लेखे तैयार करेगी। जैसे ही नगरपालिका द्वारा वार्षिक लेखे अंतिम रूप से पारित हो, वह उन्हें निदेशक (शहरी विकास) को प्रेषित करेगी।

वर्ष 2018-19 में अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान चार[1] शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम शिमला, नगर परिषद् सुजानपुर व नेरचौक तथा नगर पंचायत भुन्तर) में पाया गया कि वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे जबकि उन लेखों को तैयार किया जाना एवं नगरपालिका के निर्वाचित सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सुजानपुर ने बताया (दिसंबर 2018) कि भविष्य में वार्षिक लेखे नियमित रूप से तैयार किए जाएंगे जबकि सचिव, नगर पंचायत भुन्तर ने बताया (फरवरी 2019) कि कार्यभार की अधिकता के कारण वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जा सके।

---

[1] नगर निगम शिमला (2017-18 के लिए), नगर परिषदें सुजानपुर (2014-15 से 2017-18 के लिए) एवं नेरचौक (2016-17 से 2017-18 के लिए), एवं नगर पंचायत भुंतर (2014-15 से 2017-18 के लिए)।

लेखा अधिकारी, नगर निगम शिमला ने बताया (नवंबर 2018) कि लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद के कारण वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जा सके परन्तु इन्हें भविष्य में तैयार किया जाएगा जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नेरचौक ने बताया (फरवरी 2019) कि स्टाफ की कमी के कारण वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जा सके परन्तु इन्हें भविष्य में तैयार किया जाएगा।

4.2 बजट तैयार करना

अपेक्षित व्यय का आकलन किए बिना बजट तैयार करना

शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन आगामी वित्तीय वर्ष की अपेक्षित आय व व्यय को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता, 1975 के अनुसार तैयार किये जाने होते हैं तथा तत्पश्चात समिति के सदन के समक्ष रखे जाते हैं। समिति के सदन द्वारा बजट पारित करने के पश्चात बजट आकलन निदेशक, शहरी विकास को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं।

(i) वर्ष 2014-17 के लिए दो नगर निगमों, छः नगर परिषदों एवं चार नगर पंचायतों में बजट प्रावधान व उसके प्रति हुए व्यय की वर्ष-वार स्थिति नीचे **तालिका-15(i)** में दी गई है।

तालिका-15 (i): 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्रावधान के प्रति व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	बजट की प्रतिशतता
2014-15	320.62	210.07	110.55 (-)	34
2015-16	265.25	181.68	83.57 (-)	32
2016-17	427.42	245.85	181.57 (-)	42

टिप्पणी: इकाई-वार स्थिति **परिशिष्ट-24(i)** में दी गई है।

तालिका-15 (i) से स्पष्ट है कि 2014-17 के दौरान 32 से 42 प्रतिशत तक निरंतर बचत हुई थी जो दर्शाती है कि बजट आकलन यथार्थवादी नहीं थे। निदेशक, शहरी विकास विभाग ने बताया (मार्च 2019) कि सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों से कारण मांगे गए थे।

(ii) वर्ष 2015-18 में दो नगर निगमों, सात नगर परिषदों एवं पांच नगर पंचायतों में बजट प्रावधान की व उसके प्रति हुए व्यय की वर्ष-वार स्थिति नीचे **तालिका-15 (ii)** में दी गई है।

तालिका-15 (ii): 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 14 शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्रावधान के प्रति व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	बचत की प्रतिशतता
2015-16	417.11	203.68	213.43(-)	51
2016-17	530.19	213.41	321.35(-)	61
2017-18	591.48	225.99	368.90(-)	62

टिप्पणी: इकाई-वार स्थिति **परिशिष्ट-24(ii)** में दी गई है।

तालिका-15 (ii) से स्पष्ट है कि 2015-18 के दौरान 51 से 62 प्रतिशत तक की निरंतर बचत हुई जो दर्शाती है कि बजट आकलन यथार्थवादी नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप निधियों के अवरोधन हुआ जबकि यह राशि अन्य विकासात्मक कार्यों में उपयोग की जा सकती थी। निदेशक, शहरी विकास विभाग ने बताया (जनवरी 2021) कि सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों से कारण मांगे गए थे।

4.3 कोटेशन आमंत्रित किए बिना सामग्री की खरीद

चार शहरी स्थानीय निकायों ने कोटेशन आमंत्रित किए बिना ₹ 9.79 लाख की लागत की विविध सामग्रियों की खरीद की।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 (संशोधित) के नियम 97(1) में प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कोटेशन या बोलियों को आमंत्रित किए बिना प्रत्येक अवसर पर ₹3,000/- से अधिक का मौद्रिक मूल्य न हो, तक का सामान ख़रीदा जा सकता है, बशर्ते जो अधिकतम ₹50,000 तक हो सकता है। यदि मौद्रिक मूल्य ₹3,000/- से अधिक है और ₹1,00,000 तक है तो नियम 98 के अनुसार विधिवत गठित स्थानीय खरीद समिति की सिफारिश पर खरीद की जाएगी। ₹1,00,000 से अधिक की खरीद निविदा प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया कि चार शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम धर्मशाला, नगर पंचायतें बंजार, भुन्तर एवं करसोग) ने 2014-15 से 2017-18 के दौरान कोटेशन आमंत्रित किए बिना ₹9.79 लाख[2] मूल्य की सीमेंट, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि जैसी

[2] नगर पंचायतें बंजार:₹1.74 लाख, करसोग: ₹1.11 लाख एवं भुंतर: ₹1.39 लाख; नगर निगम धर्मशाला: ₹5.55 लाख।

मदें/ सामग्री खरीदी। यह उक्त नियमों का उल्लंघन था। इससे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अलाभकारी खरीद की गई।

सम्बंधित अतिरिक्त आयुक्त/ सचिवों ने कहा (दिसम्बर 2018-फरवरी 2019) कि उन मदों को तत्काल ख़रीदे जाने की आवश्यकता थी और इसलिए कोटेशन नहीं बुलाई गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आपातकालीन मामलों के अतिरिक्त साधारण परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना खरीद करने की अनुमति नहीं है।

4.4 अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

नगर परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 57(3) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता, 1975 के प्रावधान के अनुसार, नगर परिषद् को उन सभी अचल संपत्तियों का रजिस्टर और नक्शा बनाए रखना आवश्यक है, जो उसके स्वामित्व में है या जो उसके अधिकार क्षेत्र में है या जो राज्य सरकार के लिए ट्रस्ट में रखता है|

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नालागढ़ में यह पाया गया कि निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया था:

1) अचल संपत्तियां (नगर परिषद् के अधिकार क्षेत्र में निहित अचल संपत्ति के नक्शे और सूची सहित)
2) प्रतिभूति रजिस्टर।
3) अग्रिम राशि रजिस्टर।
4) वर्गीकृत सार।
5) चिकित्सा दावों का रजिस्टर।
6) वाहन मरम्मत के रखरखाव का रजिस्टर।
7) निविदा प्रपत्रों का रजिस्टर।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि नगर पंचायतें सुन्नी व अर्की में वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए स्थापना के लिए वेतन बिल रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। उपर्युक्त शहरी स्थानीय निकायों में इन रजिस्टरों का अनुरक्षण न करना नियंत्रण तंत्र की कमी को दर्शाता है।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी/सचिवों ने कहा (दिसम्बर 2017-जनवरी 2018) कि भविष्य में अभिलेख का अनुरक्षण किया जायेगा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा को दिखाई जायेगी।

(ख) 2018-19 के दौरान नगर पंचायत करसोग में यह पाया गया कि निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया था:

1) स्टॉक और जारी करने का रजिस्टर
2) आवास कर (मांग और संग्रहण) रजिस्टर
3) निष्पादित कार्यों से संबंधित एमएएस रजिस्टर
4) दुकान का किराया (मांग और संग्रहण) रजिस्टर
5) मोबाइल टावर शुल्क रजिस्टर
6) विद्युत उपकर और शराब शुल्क रजिस्टर

यह पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधान की गैर-अनुपालना है और इससे सरकारी संसाधनों के दुरूपयोग की संभावना हो सकती है। इन रजिस्टरों का अनुरक्षण न करना भी नियंत्रण तंत्र की कमी को दर्शाता है। सचिव, नगर पंचायत करसोग ने बताया (फरवरी 2019) कि भविष्य में अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा।

4.5 राजस्व

4.5.1 बकाया आवास कर

(क) अप्रभावी निगरानी के कारण नमूना-जांचित 26 शहरी स्थानीय निकायों में से 17 में ₹ 11.80 करोड़ के आवास कर राजस्व की वसूली नहीं की गई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (2) में कहा गया है कि नगरपालिका को देय राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना है, ऐसा न करने पर बकायादार की संपत्ति की कुर्की व बिक्री से सभी लागतों के साथ राशि की वसूली की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 में नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों में से आठ में, अप्रैल 2016 तक ₹4.47 करोड़ के आवास कर की वसूली बकाया थी जबकि 2018 19 में नमूना-जांचित 14 शहरी स्थानीय निकायों में से नौ में ₹4.45 करोड़ के आवास कर की वसूली 1 अप्रैल 2017 तक बकाया थी। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान ₹11.94 करोड़ (2016-17 में ₹6.17 करोड़ व 2017-18 में ₹5.77 करोड़) के आवास कर की मांग उठाई गई थी। कुल मांग ₹20.86 करोड़ (मार्च 2017 तक ₹10.64 करोड़ एवं मार्च 2018 तक

₹10.22 करोड़) थी, जिसके प्रति ₹8.98 करोड़ (2016-17 में ₹3.06 करोड़ एवं 2017 18 में ₹5.92 करोड़) का संग्रहण किया गया था। नगर परिषद् कुल्लू एवं नगर पंचायत नादौन में 2018-19 में ₹0.08 करोड़ की छूट की अनुमति भी दी गई थी। इस प्रकार, ₹11.80 करोड़ के आवास कर (मार्च 2017 तक ₹7.58 करोड़ व मार्च 2018 तक ₹4.22 करोड़) का कुल राजस्व इन शहरी स्थानीय निकायों में बकाया रहा। यह इंगित करता है कि लंबे समय से बकाया कर की वसूली के लिए पूर्वोक्त नियम के अनुसार प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। इससे संबंधित शहरी स्थानीय निकाय ₹11.80 करोड़ **(परिशिष्ट-25)** के राजस्व से भी वंचित रहे जिसका उपयोग शहरी स्थानीय निकायों में अन्य विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए किया जा सकता था।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (दिसंबर 2017-मार्च 2019) कि चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् हमीरपुर ने बताया (दिसंबर 2018) कि बकाया कर भूमि विवाद के कारण था तथा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् घुमारवीं ने बताया (दिसंबर 2018) कि निवासियों को कई बार बिल जारी करने के बावजूद निवासी आवास कर जमा नहीं कर रहे।

(ख) आवास कर लागू न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 65 एवं संख्या 1997/24 दिनांक 28/08/1997 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आगे जारी अधिसूचना के अनुसार, नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर भवन व भूमि पर उन भवनों व भूमि के वार्षिक किराये मूल्य पर साढ़े सात प्रतिशत से साढ़े बारह प्रतिशत तक आवास कर लगाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर परिषदें सोलन एवं नालागढ़ नगर परिषद् क्षेत्र के भीतर आने वाले घरों को विभिन्न सुविधाएं जैसे सड़कों, रास्तों, स्ट्रीट लाईट का रखरखाव, सफाई, कचरा संग्रहण आदि प्रदान कर रहे थे परन्तु नगर परिषद् ने उपरोक्त प्रावधान के अनुसार आवास कर अधिरोपित नहीं किया था।

नगर परिषद् सोलन के मामले में, संवीक्षा में आगे उजागर हुआ कि आवास कर लगाने के संबंध में निदेशक, शहरी विकास के साथ किए गए पत्राचार पर नगर परिषद् के निर्वाचित सदन की विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई थी तथा प्रस्ताव को सदन द्वारा इस दलील के साथ खारिज कर दिया गया था कि स्वच्छता/संरक्षण कर पहले से ही जमा किया जा रहा था।

हालांकि, सदन द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को निदेशक, शहरी विकास ने खारिज कर दिया, जिन्होंने नगर निगम को आवास कर लगाने का निर्देश दिया।

नगर परिषद् नालागढ़ के मामले में यह पाया गया कि निर्वाचित सदन ने घरेलू भवनों को छोड़कर आवास कर लगाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बावजूद नगर परिषद् ने किसी भी प्रकार के भवन (घरेलू/वाणिज्यिक) पर आवास कर नहीं लगाया। संवीक्षा में आगे पता चला कि नगर परिषद् ने वसूली योग्य राजस्व की राशि का आकलन करने के लिए नगर परिषद् के अधिकार क्षेत्र में आने वाले घरों (घरेलू/वाणिज्यिक) की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया था।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सोलन ने बताया (जनवरी 2018) कि मामला पुनर्विचार के लिए सदन के समक्ष रखा जाएगा क्योंकि सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को निदेशक, शहरी विकास द्वारा खारिज कर दिया गया था। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नालागढ़ ने बताया (नवंबर 2017) कि आवास कर लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है तथा भवनों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ii) वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पंचायतें ज्वाली एवं करसोग में जो अपने क्षेत्र में आने वाले घरों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रहे थे, कोई आवास कर नहीं लगाया गया था। इन नगर पंचायतों में 3,918 घर थे (नगर पंचायत करसोग: 952 घर व नगर पंचायत ज्वाली: 2,966 घर) जिन पर आवास कर नहीं लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायतों को राजस्व का काफी नुकसान हुआ।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के सचिवों ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि नगर पंचायत क्षेत्र के नवनिर्मित भवनों का सर्वेक्षण किया जाएगा तथा नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में आवास कर अधिरोपित किया जाएगा।

(ग) आवास कर रजिस्टरों में ₹ 8.03 लाख की राशि की गलत प्रारंभिक शेष लेना

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित तीन शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषदें घुमारवीं, हमीरपुर और मनाली) में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान आवास कर रजिस्टर में ₹8.03 लाख[3] की राशि प्रारंभिक शेष में कम ली गई थी। इन नमूना जांचित मामलों में नगर परिषदों ने ₹21.44 लाख के स्थान पर ₹13.41 लाख का प्रारंभिक शेष लिया था। इसके परिणामस्वरूप नगर परिषद् की निधियों के दुरुपयोग का संदेह होता है।

[3] नगर परिषदें घुमारवीं: ₹5.92 लाख; हमीरपुर: ₹1.22 लाख एवं मनाली: ₹0.89 लाख।

संबंधित कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसंबर 2018-मार्च 2019) कि आवास कर रजिस्टर की जांच की जाएगी तथा तदनुसार त्रुटियों को ठीक किया जाएगा।

4.5.2 किराए की वसूली न करना।

2017-18 एवं 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 21 शहरी स्थानीय निकायों में दुकानों, बूथों एवं स्टालों से ₹14.75 करोड़ के बकाया किराए की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (1) (बी) में प्रावधान है कि यदि नगरपालिका को देय कोई राशि 15 दिनों तक बकाया रहती है, तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव संबंधित व्यक्तियों को मांग का नोटिस दे सकते हैं।

यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व एवं किराए पर दी गई दुकानों व स्टालों के किरायेदारों एवं पट्टेदारों से नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों में से 10 में 2017-18 के दौरान अप्रैल 2016 तक ₹7.60 करोड़ **(परिशिष्ट-26)** का किराया शुल्क वसूली हेतु लंबित था जबकि 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 14 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 में ₹6.72 करोड़ का किराया शुल्क **(परिशिष्ट-26)** मार्च 2017 तक वसूली के लिए लंबित था। इसके अलावा, ₹9.56 करोड़ (2016-17 के दौरान ₹4.66 करोड़ और 2017-18 के दौरान ₹4.90 करोड़) की मांग उठाई गई थी। ₹23.88 करोड़ (मार्च 2017 तक ₹12.26 करोड़ व मार्च 2018 तक ₹11.62 करोड़) की कुल मांग के प्रति इन शहरी स्थानीय निकायों में ₹14.75 करोड़ (मार्च 2017 तक ₹7.99 करोड़ और मार्च 2018 तक ₹6.76 करोड़) की वसूली लंबित छोड़ते हुए ₹9.13 करोड़ (2016-17 में ₹4.27 करोड़ व 2017-18 में ₹4.86 करोड़) की वसूली की गई। इससे शहरी स्थानीय निकायों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (नवंबर 2017-मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है एवं राशि शीघ्र ही वसूल की जाएगी जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (फरवरी 2019) कि कुल्लू जिले की लोक अदालत की आम बैठक में सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया था कि बकाएदारों को करीब एक वर्ष का अवसर प्रदान किया जाए तथा समान किश्तों में वसूली की जाए।

4.5.3 मोबाइल टावरों की स्थापना एवं नवीकरण शुल्कों की वसूली न करना

नमूना जांचित-26 शहरी स्थानीय निकायों में से 18 द्वारा मोबाइल टावरों पर स्थापना एवं नवीकरण शुल्क की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹56.69 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना सं. डीआईटी.डीईवी-(आईटी) 2005(विविध) दिनांक 22 अगस्त 2006 के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित दरों पर मोबाइल संचार टावरों की स्थापना पर शुल्क लगाने के लिए अधिकृत किया। इसके अतिरिक्त अधिसूचना सं. डीआईटी.डीईवी -(आईटी) 2005 (विविध) 96 दिनांक 21 जून 2017 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के मामले में प्रति टावर ₹50,000 की दर से एक मुश्त स्थापन शुल्क एवं प्रति टावर ₹25,000 की दर से वार्षिक नवीकरण शुल्क तथा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मामले में क्रमशः ₹25,000 व ₹12,500 की दर संशोधित की।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 **(परिशिष्ट-27)** के दौरान नमूना-जांचित 26 शहरी स्थानीय निकायों में से 18 में 2004-17 के दौरान मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे, परन्तु संबंधित शहरी स्थानीय निकायों ने ₹56.69 लाख (मार्च 2017 तक ₹25.21 लाख व मार्च 2018 तक ₹31.48 लाख) के स्थापन एवं नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं की थी। इससे शहरी स्थानीय निकायों को उनके राजस्व के देय हिस्से से वंचित रहना पड़ा।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (2017-18 में लेखापरीक्षित) ने बताया (नवंबर 2017-जनवरी 2018) कि बकाया की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (2018-19 में लेखापरीक्षित) ने बताया (दिसंबर 2018 - मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा शीघ्र वसूली की जाएगी।

4.5.4 बकाया तहबाजारी शुल्क/ सिनेमा कर/ व्यापार कर/ छात्रावास का किराया

छः शहरी स्थानीय निकायों में तहबाजारी शुल्क/ सिनेमा कर/ व्यापार कर/ छात्रावास किराए की वसूली लम्बित रही जिसके परिणामस्वरूप ₹55.85 लाख की बकाया राशि थी।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 66 में नगरपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में स्वच्छता कर, रेहड़ी/ तहबाजारी शुल्क, व्यापार कर आदि जैसा कोई भी टोल, कर या शुल्क लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(क) वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि तीन शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम शिमला, नगर परिषद् सुजानपुर एवं नगर पंचायत भुंतर) में 343 स्थलों/खोखाओं के आवंटियों से रेहड़ी/ तहबाजारी शुल्क के रूप में ₹41.35 लाख[4] की राशि बकाया थी। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया जिससे शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसंबर 2018-मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा शीघ्र वसूली की जाएगी।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत करसोग में, नगर पंचायत के सदन द्वारा पथ विक्रेताओं की पहचान एवं आवंटित स्थल के लिए रेहड़ी/ तहबाजारी शुल्क के संग्रहण के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

उत्तर में सचिव ने बताया (फरवरी 2019) कि शहरी विक्रेता समिति का गठन नहीं किया गया था तथा तहबाजारी शुल्क के संग्रहण का मामला सदन में तय नहीं किया गया था।

(ग) नगर निगम शिमला के सदन के प्रस्ताव सं. 3 (21) दिनांक 23/04/12 के अनुसार ₹72,000/- प्रति वर्ष की दर से सिनेमा कर की एकमुश्त राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 121 में प्रावधान है कि यदि कर या शुल्क का भुगतान नियत तारीख के एक महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके हिस्से के लिए प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर निगम शिमला में यह पाया गया कि 2012-18 की अवधि के लिए नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में चल रहे दो सिनेमा हॉल (रिट्ज व शाही) के मालिकों से ₹11.94 लाख (₹6.41 लाख के ब्याज सहित) का सिनेमा कर बकाया था।

इस संबंध में नगर निगम शिमला द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) वर्ष 2018-19 के दौरान नगर परिषद् देहरा में यह पाया गया कि मार्च, 2015 तक ₹1.85 लाख का व्यापार कर वसूली के लिए लंबित था। इसके बाद, 2015-18 के दौरान व्यापारियों से ₹0.76 लाख की मांग की गई थी। ₹2.61 लाख की कुल मांग में से मार्च 2018 तक ₹2.20 लाख (कुल मांग का 84.29 प्रतिशत) के व्यापार कर को लंबित छोड़ते हुए

[4] नगर निगम शिमला: ₹0.40 लाख; नगर परिषद् सुजानपुर: ₹5.18 लाख एवं नगर पंचायत भुंतर: ₹35.77 लाख।

₹0.41 लाख की वसूली की गई। विवरण नीचे **तालिका** में दर्शाया गया है:

तालिका 16: व्यापार कर का विवरण

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्तमान मांग (₹)	कुल (₹)	संग्रहण (₹)	बकाया शेष (₹)
2015-16	1,84,860.00	25,400.00	2,10,260.00	0	2,10,260.00
2016-17	2,10,260.00	25,400.00	2,35,660.00	0	2,35,660.00
2017-18	2,35,660.00	25,400.00	2,61,060.00	40,700.00	2,20,360.00
योग		**76,200.00**		**40,700.00**	

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण व्यापार कर का संग्रहण नहीं किया गया था तथा राशि की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी।

(ड़) 2018-19 के दौरान नगर परिषद्, कुल्लू में यह पाया गया कि आठ महिलाएं मासिक किराए के आधार पर (1992/2003 से प्रभावी होकर लेखापरीक्षा की तिथि तक) कामकाजी महिला छात्रावास में रह रही थीं, जो कि नगर परिषद् के अधिकार क्षेत्र में था। परन्तु छात्रावास के किराए का न तो रहने वालों द्वारा भुगतान किया गया, न ही नगर परिषद् द्वारा मांग की गई। छात्रावास के किराये की कुल मांग ₹0.43 लाख (मार्च 2017 तक ₹0.32 लाख के प्रारंभिक शेष सहित) के प्रति मार्च, 2018 तक रहने वालों से ₹0.36 लाख की किराया राशि बकाया छोड़ते हुए 2017-18 के दौरान ₹0.08 लाख की वसूली की गई।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी किए गए थे तथा किराए की बकाया राशि की वसूली हेतु क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, विभिन्न करों की वसूली न होने से शहरी स्थानीय निकाय उस राजस्व से वंचित रह गए जिसे अन्य विकासात्मक कार्यों में उपयोग किया जा सकता था।

4.5.5 लीज राशि की वसूली न करना

नगर निगम शिमला दुकानों व स्टालों से ₹1.74 करोड़ की लीज राशि की वसूली करने में विफल रहा।

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि नगर निगम शिमला ने 153 पार्टियों को किराए के आधार पर दुकाने/स्टाल पट्टे पर दी थी। यह पाया गया कि अप्रैल 2016 तक ₹0.53 करोड़ की लीज राशि इन 153 दुकानों व स्टालों से वसूली हेतु लंबित थी। इसके बाद 2016-17 के दौरान ₹1.63 करोड़ की मांग उठाई गई थी। मार्च 2017 तक ₹1.74 करोड़ की वसूली को लंबित छोड़ते हुए ₹2.16 करोड़ की कुल मांग के प्रति ₹0.42 करोड़ की वसूली की गई। लीज राशि की वसूली में तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसंबर 2017) कि लीज राशि की अल्प वसूली का मुख्य कारण स्टाफ की कमी थी तथा बकाया लीज राशी की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

4.5.6 लीज़ डीड का नवीकरण न करना

दुकानों के लीज़ डीड का नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹5.35 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. एल एस जी-एफ (6)-1/85-IV दिनांक 21/12/2001 के परिच्छेद 5 के अनुसार नगरपालिका पहली बार में नगरपालिका द्वारा बनाए गए स्टालों/दुकानों को 25 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लीज पर नहीं देगा एवं हर पांच वर्ष के बाद लीज किराए में लीज पर हस्ताक्षर के समय ली जाने वाली राशि का 10 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि दो नगर परिषदों हमीरपुर व सुजानपुर में 24 दुकानों को पांच या दस वर्षों के लिए इस शर्त के साथ लीज़ पर दिया गया कि परिसर पहली बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा और अवधि की समाप्ति के बाद लीज़ डीड पर हस्ताक्षर करने के समय ली जाने वाली राशि का 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत किराया वृद्धि कर इसे बढ़ाया जाएगा। यह पाया गया कि लीज़ डीड की वैधता दो माह से लेकर 108 माह तक की अवधि के मध्य समाप्त हो गई। लीज़ डीड की न तो अवधि बढ़ाई गई थी तथा न ही नगर परिषदों द्वारा दुकानों की दरों में वृद्धि की गई थी। इसके परिणामस्वरूप नगर परिषदों को ₹5.35 लाख[5] के राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् हमीरपुर ने बताया (दिसम्बर 2018) कि लीज़ के नवीकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सुजानपुर ने बताया (दिसम्बर 2018) कि किराया रजिस्टर का सत्यापन किया जायेगा।

4.5.7 सरकारी कार्यालयों से ₹13.81 लाख की राशि के किराए की वसूली न करना

दो नगर परिषदों कुल्लू व नेरचौक में 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषदों के भवनों में क्रमशः 2004 एवं 2017 से सात कार्यालय[6] चल रहे थे। नगर परिषदों ने इन कार्यालयों को चलाने के लिए कोई किराया अनुबंध तैयार नहीं किया था। आगे यह भी पाया

[5] नगर परिषदें, हमीरपुर: ₹0.91 लाख एवं सुजानपुर: ₹4.44 लाख।

[6] नगर परिषदें कुल्लू: जिला चुनाव अधिकारी एवं नगर परिषद् नेरचौक: कोषागार कार्यालय, चुनाव कार्यालय, कल्याण कार्यालय, पशु चिकित्सा कार्यालय, एसडीएम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय।

गया कि नगर परिषद् कुल्लू ने ₹7,500/- प्रति माह किराया निर्धारित किया था तथा हर पांच वर्ष के बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि की थी। तदनुसार, मार्च 2019 तक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा ₹3.81 लाख (अप्रैल, 2015 को प्रारंभिक शेष के रूप में ₹10.54 लाख सहित) के किराए का भुगतान नहीं किया गया था। जबकि नगर परिषद्, नेरचौक ने विभिन्न कार्यालयों को उपलब्ध करवाए गए स्थान के लिए न तो कोई किराया निर्धारित किया था एवं न ही ये कार्यालय फरवरी, 2019 तक नगर परिषद् को किसी प्रकार के किराए का भुगतान कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप नगर परिषदों को इतने राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च, 2019) कि उपायुक्त कुल्लू ने इस परिसर के लिए किसी भी किराए का भुगतान करने से सीधे इनकार कर दिया था तथा इस बकाया किराए को माफ करने का मामला सक्षम प्राधिकारी के साथ उठाया जाएगा जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, नेरचौक ने बताया (फरवरी, 2019) कि बैठक में प्रस्ताव संख्या 14/2018 के तहत किराए की वसूली के मामले पर चर्चा की गई थी परन्तु कर्मचारियों की कमी के कारण किराया वसूल नहीं किया जा सका।

4.5.8 विद्युत उपकर की वसूली न करना

शहरी स्थानीय निकाय हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत उपकर की वसूली करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के नियम 69 में प्रावधान है कि नगर पालिका क्षेत्र की सीमांतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा विद्युत के लिए विद्युत की खपत पर वसूली योग्य विद्युत उपकर की दर 20 पैसे प्रति ईकाई से अधिक नहीं होगी। विद्युत उपकर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा संग्रहित किया जाता है तथा सम्बन्धित नगर पालिका को चुकाया जाता है।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नालागढ़ में यह पाया गया कि नगर परिषद् ने उपरोक्त प्रावधान के अनुसार पिछले चार वर्षों अर्थात 2013-17 हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ₹11.19 लाख की राशि का विद्युत उपकर वसूल संग्र/हित नहीं किया था।

संबंधित कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि स्टाफ की कमी के कारण विद्युत उपकर की वसूली नहीं की जा सकी।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान चार शहरी स्थानीय निकायों[7] में यह पाया गया कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार इन शहरी स्थानीय निकायों ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत उपकर की वसूली/ संग्रहण नहीं किया था। नगर पंचायतों के मामले में उपकर प्रारंभ से ही लम्बित था जबकि नगर परिषद् घुमारवीं में वर्ष 2017-18 हेतु देय बकाया थे। इस प्रकार, विद्युत कर की वसूली न होने के कारण शहरी स्थानीय निकायों को इतने राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् घुमारवीं ने बताया (दिसंबर 2018) कि विद्युत उपकर की वसूली के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यकारी अभियंता के साथ मामला उठाया जाएगा। सचिवों (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण विद्युत उपकर एकत्र नहीं किया जा सका जबकि सचिव, नगर पंचायत बंजार ने बताया (फरवरी 2019) कि कार्य की अधिकता के कारण विद्युत उपकर एकत्र नहीं किया जा सका।

4.5.9 नगर परिषद् सोलन द्वारा जल प्रभार का संग्रहण न करना

जल प्रभार का संग्रहण न करने से नगर परिषद् सोलन को ₹63.67 लाख के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (1) (बी) में प्रावधान है कि नगर पालिका को देय कोई राशि 15 दिनों के उपरांत भी चुकाई न गई हो तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव सम्बन्धित व्यक्तियों को मांग-नोटिस जारी कर सकते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् सोलन के अभिलेखों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि वर्ष 2015-17 की अवधि के दौरान नगर परिषद् ने जल प्रभारों के लिए ₹63.67 लाख की राशि के बिल जारी किए थे परन्तु प्रभारों का संग्रहण जनवरी 2018 तक लम्बित था। नगर परिषद् सोलन ने उपर्युक्त निर्धारित तरीके से जल प्रभार की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार नगर परिषद् सोलन ने जल प्रभारों की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2018) कि बकायादार उपभोक्ताओं के पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं तथा मामले को अगली बैठक में सामान्य सदन के समक्ष रखा जाएगा।

---

[7] नगर परिषद् घुमारवीं; नगर पंचायतें बंजार, ज्वाली एवं करसोग।

4.5.10 निधियों का संदेहास्पद दुरूपयोग

नगर परिषद् नालागढ़ की रोकड़ बही प्रविष्टियों में विसंगति ₹1.59 लाख के संदेहास्पद दुरूपयोग को दर्शाता था।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नालागढ़ की रोकड़ बहियों एवं रसीद बहियों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि रोकड़ बही के प्राप्ति पृष्ठ पर रसीद बहियों के अनुसार वास्तविक राशि की प्रविष्टि नहीं की गई थी। 2014-16 की अवधि हेतु, रोकड़ बही में वास्तविक प्राप्तियों (₹18,351) से कम राशि (₹14,079) की प्रविष्टि की गई थी गई जिसके परिणामस्वरूप बैंक खाते में कम राशि (₹4,272) जमा हुई। आगे यह पाया गया कि रोकड़ बही के प्राप्ति पृष्ठ (पृष्ठ 7, 32, 35, 36, 39, 47, 59, 77, 110, 170, 179, 189, 190, 196) पर योग गलत थे, जिससे बैंक खाते में ₹8,727/- कम जमा हुए।

वर्ष 2015-16 की अवधि हेतु रोकड़ बही के भुगतान पृष्ठ पर अधिक राशि (₹17.57 लाख) की प्रविष्टि की गई, जबकि वाउचरों के अनुसार वास्तविक राशि (₹ 16.11 लाख) कम थी, जिसके परिणामस्वरूप बैंक से अधिक आहरण (₹1.46 लाख) हुआ। यह नगर परिषद् के वित्तीय लेनदेनों पर कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए कार्यकारी अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2017) कि रोकड़ बही में आवश्यक सुधार किए जाएंगे तथा लेखापरीक्षा को अनुपालना दिखाई जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मामले की जांच-पड़ताल की आवश्यक है तथा ₹1.59 लाख के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

4.6 निधियों का अवरोधन

4.6.1 अमृत के तहत ₹8.97 करोड़ की निधियों का अवरोधन

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) घरों को बुनियादी सेवाएं (जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करता है तथा शहरों में सुविधाओं का निर्माण करता है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में सभी के लिए विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर में सुधार करेगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर परिषद् कुल्लू को जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकास, शहरी परिवहन (गैर मोटर चालित) एवं पार्कों के लिए ₹12.97 करोड़ तथा सेवा स्तर सुधार योजना/व्यक्तिगत क्षमता निर्माण हेतु ₹0.25 करोड़ की राशि तीन किश्तों (अगस्त 2016 में ₹6.08 करोड़, मार्च, 2017 में ₹0.25 करोड़ व जुलाई, 2017 में ₹6.89 करोड़)

में अमृत योजना के तहत प्राप्त हुई। अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

अमृत के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का नाम	**प्राप्त निधियां (₹ करोड़ में)**	**कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम/ जारी की गई राशि (₹ करोड़ में)**	**मार्च 2019 तक कार्य की स्थिति**
जल आपूर्ति एवं सीवरेज	4.00	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य कुल्लू (4.00)	पूर्ण
शहरी परिवहन (फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान)	0.25	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य कुल्लू (0.25)	कार्य निरस्त किया गया तथा नगर परिषद् कुल्लू को एक वर्ष की अवधि के बाद राशि वापस की गई।
शहरी परिवहन (अंडरपास के प्रावधान से सम्बंधित कार्य)	0.25	लोक निर्माण विभाग कुल्लू (0.25)	अभी तक शुरू नहीं किया।
बरसाती पानी की निकासी	8.72	नगर परिषद्, कुल्लू	अभी तक शुरू नहीं किया।
शहरी परिवहन			फुटपाथों एवं पैदल पथों का विकास (कार्य सौंपा गया)
ग्रीन स्पेस एवं पार्क			पार्कों का विकास (कार्य सौंपा गया)
योग	**13.22**		

इस प्रकार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ अनुमानों का अनुमोदन न होने के कारण इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 8.97 करोड़ (नगर परिषद् के पास ₹8.72 करोड़ + ₹0.25 करोड़ परियोजना रद्द होने के बाद लौटाए गए) की निधियां अवरुद्ध हुई बल्कि लाभार्थियों को योजना के अभीष्ट लाभों से भी वंचित किया गया।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च 2019) कि निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

4.6.2 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹2.67 करोड़ की निधियों का अवरोधन

योजना "प्रधानमंत्री आवास योजना" नगरीय शहरों द्वारा की गई मांग को पूरा करने के लिए 2015-2022 के दौरान दो करोड़ से अधिक घरों के निर्माण के उद्देश्य से तथा शहरी स्थानीय निकायों व अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी पात्र परिवारों एवं लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु बनाई गई। मिशन के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे एवं/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी तथा लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2018-19 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर निगम, धर्मशाला एवं नगर परिषद्, कुल्लू ने 2015-22 के दौरान 986 लाभार्थियों[8] को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा था तथा 2016-17 से 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹8.29 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। इन निधियों में से केवल ₹5.11 करोड़ 420 लाभार्थियों को वितरित किए गए थे, जिनमें से 141 लाभार्थियों ने अपना घर पूरा कर लिया था एवं उन्हें योजना का पूरा लाभ मिला था। 279 लाभार्थियों ने प्लिंथ, लिंटेल और रूफ लेवल तक निर्माण कार्य आंशिक रूप से पूरा किया था। शेष 566 लाभार्थियों ने पक्का घर होने, नींव का कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त धन न होने, भूमि विवाद आदि के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया था। साथ ही, निदेशक (शहरी विकास विभाग) के निर्देशानुसार, नगर निगम धर्मशाला ने विभाग को ₹70.00 लाख की राशि वापस कर दी थी। इसलिए, शेष ₹2.67 करोड़[9] (ब्याज सहित) लेखापरीक्षा की तिथि तक अवितरित रहे जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों के पास निधि अवरुद्ध हुई एवं लाभार्थियों को योजना के अभीष्ट लाभों से वंचित रहना पड़ा। इससे यह भी पता चलता है कि इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लाभार्थियों का चयन ठीक से नहीं किया गया था क्योंकि कुछ लाभार्थियों के पास पहले से ही पक्के घर थे तथा पात्र लाभार्थियों के छूट जाने की संभावना रही।

अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला ने बताया (अक्तूबर 2019) कि प्रेरित करने के गंभीर प्रयासों के बावजूद कुछ लाभार्थियों ने वित्तीय बाधाओं के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था, जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च 2019) कि 24 लाभार्थियों ने शीतकाल के कारण कार्य को रोक दिया जिसे शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा तथा 41 लाभार्थियों ने नये घर के निर्माण में रुचि न होने तथा आर्थिक समस्याओं के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया था।

4.6.3 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ₹1.00 करोड़ की निधियों का अवरोधन

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी सड़क विक्रेताओं को सहायता के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 4.10 के अनुसार, सड़क विक्रेताओं के विद्यमान बाजार में अवसरंचना में सुधार एवं बुनियादी सेवाएं प्रदान करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

---

[8] नगर निगम धर्मशाला: 895 लाभार्थी एवं नगर परिषद् कुल्लू: 91 लाभार्थी।

[9] नगर निगम धर्मशाला: ₹223.85 लाख एवं नगर परिषद् कुल्लू: ₹43.25 लाख।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास विभाग ने अगस्त, 2016 में विक्रेताओं के बाजार के विकास हेतु नगर निगम, धर्मशाला को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ₹1.00 करोड़ जारी किए थे। नगर निगम ने इन निधियों को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बैंक खाते में रखा तथा उसके बाद इसे अधीक्षक अभियंता, हिमाचल प्रदेश आवासीय एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) रक्कड़, धर्मशाला को फरवरी 2017 में सड़क विक्रेताओं के लिए बाजार के विकास एवं पूर्वनिर्मित बाजार के निर्माण हेतु जारी किया गया। हिमुडा ने ₹4.07 करोड़ की राशि का प्रारंभिक आकलन नगर निगम को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया कि आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति की व्यवस्था की जाए तथा कार्य प्रारंभ करने हेतु कुल अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत हिमुडा के पास जमा करावाया जाए। नगर निगम ने सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति नहीं दी तथा भूमि की अनुपलब्धता का कारण बताते हुए अक्तूबर, 2018 में हिमुडा से राशि वापस करने का अनुरोध किया। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹1.00 करोड़ की राशि हिमुडा के पास निधि जारी होने से लेकर लेखापरीक्षा की तिथि (नवंबर 2018) तक 21 महीने के लिए अवरुद्ध रही बल्कि जनता को योजना के अभीष्ट लाभों से भी वंचित रहना पड़ा। यह नगर निगम धर्मशाला की अनुचित कार्य-योजना को दर्शाता है।

अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला ने बताया (नवंबर, 2018) कि प्रस्तावित स्थलों पर भूमि उपलब्ध नहीं थी तथा विक्रेता बाजार विकास हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी संहितागत औपचारिकताएं निधि जारी करने से पूर्व पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी।

4.6.4 13वें व 14वें वित्त आयोग एवं चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों का अवरोधन

13वें व 14वें वित्त आयोग एवं चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत ₹4.75 करोड़ की राशि तीन शहरी स्थानीय निकायों में अवरुद्ध रही।

(क) कार्य सौंपने की अवधि 2010-15 हेतु 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी करना शामिल है। 13वें वित्त आयोग से पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों के पोषण के लिए राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करना अपेक्षित था।

वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास, शिमला ने नगर परिषद् घुमारवीं को 2014-15 से 2015-16 की अवधि के दौरान 13वें वित्त आयोग के तहत ₹35.09 लाख का अनुदान जारी किया था। कुल राशि में से नगर परिषद् द्वारा मार्च, 2018 तक ₹6.49 लाख का व्यय किया गया था। इसके अलावा, शेष राशि का न तो नगर परिषद् द्वारा उपरोक्त अवधि में उपयोग किया गया एवं न ही निधियन एजेंसी को वापस किया गया जबकि आयोग की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹28.60 लाख की राशि अवरुद्ध हुई बल्कि जनता भी अनुदान के अभीष्ट लाभों से वंचित रह गई।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् घुमारवीं ने बताया (दिसम्बर, 2018) कि नगर परिषद् के लिए गौ सदन के निर्माण हेतु अनुदान प्रस्तावित था परन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण इसका निर्माण नहीं हो सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि की उपलब्धता हेतु संहितागत औपचारिकताएं कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले पूर्ण की जानी चाहिए थी। यदि नगर परिषद् क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं थी तो उक्त राशि अविलम्ब स्वीकृति प्राधिकारी को हस्तान्तरित की जानी चाहिए थी। इस संबंध में अद्यतन स्थिति नगर परिषद् घुमारवीं से मांगी गई (जनवरी 2021) परन्तु नगर परिषद् द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था।

(ख) 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त अनुदान का उपयोग बुनियादी नागरिक सेवाओं जैसे पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, सड़कों के रखरखाव, फुटपाथ, स्ट्रीट लाईट आदि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान 14 शहरी स्थानीय निकायों में से दो (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) में लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 2016-17 से 2017-18 के दौरान 14वें वित्त आयोग के तहत ₹1.32 करोड़[10] की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से ₹45.17 लाख का व्यय किया गया था। इन शहरी स्थानीय निकायों ने एक से दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त कुल निधियों का केवल 34 प्रतिशत ही उपयोग किया। इस प्रकार, ₹86.75 लाख[11] की राशि का अवरोधन हुआ एवं मार्च 2019 तक अप्रयुक्त रही।

सचिवों (नगर पंचायतें करसोग एवं ज्वाली) ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन शीघ्र ही निधियों का उपयोग किया जाएगा।

---

[10] नगर पंचायतें करसोग: ₹28.91 लाख एवं ज्वाली: ₹103.01 लाख।

[11] नगर पंचायतें करसोग: ₹28.37 लाख एवं ज्वाली: ₹58.38 लाख।

(ग) चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत अनुदान का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति के रखरखाव, वैधानिक व प्रत्यायोजित कार्यों के निष्पादन तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय के लिए किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने 14 शहरी स्थानीय निकायों में से दो (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) में पाया गया कि 2016-17 से 2017-18 के दौरान चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत ₹4.95 करोड़[12] की राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से ₹1.36 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार ₹3.59 करोड़[13] (कुल निधि का 73 प्रतिशत) की राशि अवरुद्ध हो गई तथा मार्च 2019 तक अप्रयुक्त रही।

सचिवों (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, परन्तु शीघ्र ही निधियों का उपयोग किया जाएगा।

4.6.5 विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का अवरोधन

कार्य पूर्ण/प्रारंभ न करने के कारण 26 शहरी स्थानीय निकायों में से बारह में ₹ 14.52 करोड़ की राशि अव्ययित रही।

(क) 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों में से पांच में यह पाया गया कि 2014-17 के दौरान 32 विकास कार्यों जैसे रिटेनिंग वॉल, बाउंड्री वॉल, शेड, रास्तों की मरम्मत, सराय भवन, कार्यालय का निर्माण/पुनर्स्थापन, पार्किंग, पार्क आदि के निर्माण के लिए ₹9.46 करोड़[14] की राशि उपलब्ध थी। इन कार्यों को छ: माह से एक वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना था। तथापि, जनवरी 2018 तक इन कार्यों के निष्पादन पर इन निधियों से कोई व्यय नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसंबर 2017-जनवरी 2018) कि संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न करने, भूमि विवाद, वन भूमि की संलिप्तता, भूमि अधिग्रहण का हस्तांतरण न होने आदि के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका और कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

---

[12] नगर पंचायतें करसोग: ₹195.43 लाख एवं ज्वाली: ₹299.75 लाख।

[13] नगर पंचायतें करसोग: ₹146.09 लाख एवं ज्वाली: ₹213.66 लाख।

[14] नगर परिषद् मंडी: ₹18.60 लाख (12 कार्य), नगर पंचायतें भोटा: ₹50.00 लाख (01 कार्य), सुन्नी: ₹20.00 लाख (01 कार्य), बैजनाथ: ₹2.00 करोड़ (01 कार्य); एवं नगर निगम धर्मशाला: ₹6.57 करोड़ (17 कार्य)।

(ख) 2018-19 के दौरान 14 शहरी स्थानीय निकायों में से सात में पाया गया कि 2012-18 के दौरान विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, केंद्रीय सड़क निधि, क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आदि जैसी योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, पार्किंग, पार्क, शेड, रिटेनिंग वॉल, पक्का रास्ता, श्मशान घाट, सराय, सीवरेज कार्य आदि के निष्पादन हेतु ₹5.13 करोड़[15] की राशि प्राप्त की गई। तथापि, मार्च 2019 तक विभिन्न कारणों[16] से इन कार्यों के निष्पादन पर निधियों में से कोई व्यय नहीं किया गया था जबकि नगर पंचायत ज्वाली में जनवरी 2019 तक नागरिक सुविधाओं एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कार्यों पर ₹7.17 लाख की निधि का उपयोग किया गया था तथा ₹1.69 करोड़ की शेष निधि कार्य पूर्ण न होने के कारण नगर पंचायत के पास अव्ययित रही। विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप ₹5.06 करोड़ की निधियां अवरूद्ध होने के साथ-साथ लाभार्थी इन विकास कार्यों से अपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषदें घुमारवीं एवं देहरा) ने बताया (दिसंबर 2018-जनवरी 2019) कि भूमि मामला/विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका जबकि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् मनाली ने बताया (मार्च 2019) कि कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च 2019) कि कार्य प्रगति पर था। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नेरचौक एवं सचिव, नगर पंचायत करसोग ने बताया (फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका जबकि सचिव, नगर पंचायत ज्वाली ने बताया (जनवरी 2019) कि निधियों की कमी के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका तथा अन्य कार्य स्टाफ की कमी के कारण पूर्ण नहीं किए जा सके। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों की स्वीकृति तथा निधि जारी करने से पूर्व संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी।

4.6.6 सीवरेज योजनाओं हेतु प्राप्त निधियों का अवरोधन

शहरी विकास विभाग ने नमूना-जांचित दो शहरी स्थानीय निकायों[17] को सीवरेज योजनाओं के निष्पादन के लिए 2014-17 के दौरान ₹4.41 करोड़ की निधियां जारी की। इन निधियों को

---

[15] नगर परिषदें नेरचौक: ₹35.25 लाख, घुमारवीं: ₹1.60 करोड़, कुल्लू: ₹25.00 लाख, मनाली: ₹60.00 लाख, देहरा: ₹4.00 लाख, एवं नगर पंचायतें करसोग: ₹38.04 लाख एवं ज्वाली: ₹1.91 करोड़।

[16] निविदा नहीं किए गए (25 कार्य), भूमि मामला/विवाद (03 कार्य), कार्य प्रगति पर (01 कार्य), निविदा प्रक्रिया (05 कार्य), निधि की कमी (01 कार्य) एवं कर्मचारियों की कमी (03 कार्य)।

[17] नगर पंचायत सुन्नी: ₹99.20 लाख एवं नगर परिषद् सोलन: ₹341.84 लाख।

आगे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज योजनाओं को निष्पादित करने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार जारी किया जाना अपेक्षित था।

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया गया कि जनवरी 2018 तक सीवरेज योजनाओं का कार्य या तो निष्पादित नहीं किया गया था (नगर पंचायत सुन्नी) अथवा अपूर्ण रहा (नगर परिषद् सोलन) तथा संबंधित नगर परिषदों के बैंक खातों में ₹4.41 करोड़ की राशि अवरूद्ध पड़ी थी एवं क्षेत्र की जनता को सीवरेज योजनाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सोलन ने बताया (अगस्त 2021) कि सीवरेज योजना के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को कोई निधियां जारी नहीं की गई एवं 2016-17 के बाद नगर परिषद् द्वारा कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था जबकि सचिव, नगर पंचायत सुन्नी ने बताया (अगस्त 2021) कि नगर पंचायत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मौखिक अनुरोध तथा पत्राचार करने जैसे अपने सभी प्रयास कर रहा था, परन्तु सीवरेज कार्य अभी भी लंबित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियां जारी होने की तिथि से चार वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी शहरी स्थानीय निकायों के पास निधियां अवरुद्ध पड़ी थी।

4.6.7 बगीचों के निर्माण के लिए प्राप्त निधियों का अवरोधन

शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता के जीवन-स्तर को उन्नत करने की दिशा में राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में बगीचों की निर्माण हेतु एक नीति (2015-16) बनाई थी। इस नीति के तहत परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में प्रदान किया जाना था तथा शेष राशि संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से वहन की जानी थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान यह पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास ने 2016-18 के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में बगीचों के निर्माण के लिए ₹95.00 लाख[18] की राशि जारी की। यह पाया गया कि निधियां जारी करने की तिथि से छ: माह से एक वर्ष से अधिक का समय बीत गया परन्तु दोनों शहरी स्थानीय निकाय उक्त कार्यों के लिए स्थल निश्चित नहीं कर सके तथा ₹1.42 करोड़ (₹95.00 लाख + ₹47.42 लाख के बराबर अंश) की निधियां बैंक खातों में जमा रही। निधियों के अवरोधन ने जनता को बगीचे की अभीष्ट सुविधा से वंचित कर दिया।

कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम धर्मशाला ने बताया (अगस्त 2021) कि नगर निगम धर्मशाला में भूमि की अनुपलब्धता के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। अब ₹31.21 लाख

[18] नगर निगम धर्मशाला: ₹35.00 लाख एवं नगर पंचायत बैजनाथ: ₹60.00 लाख।

की राशि वन विभाग को उनकी अपनी भूमि पर बगीचे के निर्माण के लिए हस्तांतरित (29.07.2021) कर दी गई है जबकि सचिव, नगर पंचायत बैजनाथ ने बताया (जुलाई 2021) कि अगस्त 2018 में ₹20.00 लाख हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए थे तथा दो बगीचों का निर्माण प्रगति पर था। भूमि की उपलब्धता के बिना या प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना निधियां जारी करने के परिणामस्वरूप निधियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ।

4.7 निधियों का व्यपवर्तन

चार शहरी स्थानीय निकायों ने 2014-17 के दौरान ₹10.29 करोड़ की राशि के अनुदान का व्यपवर्तन किया।

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि निदेशक, शहरी विकास ने वर्ष 2014-17 के दौरान चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत तीन शहरी स्थानीय निकायों[19] को ₹15.24 करोड़ की निधियां इस निर्देश के साथ जारी की, कि जिस प्रयोजन हेतु ये अनुदान संस्वीकृत/प्रदान किया गया था उसी हेतु इनका उपयोग किया जाए। राज्य वित्त आयोग ने इस अनुदान की अनुशंसा परिसम्पत्तियों (सड़कें, सड़क की विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों, बागों, कार्यालय भवनों, टाउन हॉल, नालियों इत्यादि) के रखरखाव, वैधानिक एवं प्रत्यायोजित कार्यों के निष्पादन तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय हेतु की थी। अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि शहरी स्थानीय निकायों ने वेतन एवं भत्ते, पेंशन एवं ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण एवं भविष्य निधि के भुगतान पर ₹9.48 करोड़ की राशि का व्यय किया जो कि चौथे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित घटकों में सम्मिलित नहीं थे।

सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2017-जनवरी 2018) कि निधियों की कमी के कारण अनुदानों का उपयोग उक्त प्रयोजनों हेतु किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विकासात्मक अनुदानों का उपयोग पेंशन/ग्रेच्युटी तथा वेतन व भत्तों के भुगतान में करना नियमों के विरुद्ध था।

(ii) वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि नगर पंचायत बैजनाथ ने 2015-16 के दौरान निदेशक, शहरी विकास से नव कार्यालय भवन में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण व संरचना हेतु ₹1.00 करोड़ की निधियां प्राप्त की थी। संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर पंचायत ने निधियां जारी होने की तिथि से दो वर्ष से अधिक की अवधि बीत

[19] नगर परिषदें हमीरपुर: ₹7.50 करोड़, मंडी: ₹7.08 करोड़ एवं नगर पंचायत भोटा: ₹0.66 करोड़।

जाने के उपरांत भी कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि चिह्नित नहीं की थी। इसके स्थान पर नगर पंचायत ने ₹0.81 करोड़ का व्यय स्टाफ के वेतन, सफाई तथा अन्य कार्यालय के खर्चों पर कर दिया जो कि अनियमित था।

सम्बन्धित सचिव ने बताया (जनवरी 2018) कि नगर पंचायत बैजनाथ को कोई सम्पत्ति सौंपी नहीं गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ ही किया जाना चाहिए था।

निधियों के अनियमित व्यपवर्तन का उक्त दृष्टांत निधियों के खराब प्रबंधन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, वेतन/ पेंशन/ग्रेज्युटी का प्रावधान उचित लेखा शीर्षों के अंतर्गत किया जाना चाहिए था।

4.8 अलाभकारी व्यय तथा लाभार्थी अंश की वसूली न करना

नगर परिषद् नालागढ़ में 73 आवास आवंटित न करने के परिणामस्वरूप ₹3.12 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ तथा ₹1.36 करोड़ के लाभार्थी अंश की वसूली नहीं हुई।

वर्ष 2005 के दौरान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम चिह्नित शहरी क्षेत्रों के झुग्गी बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना एवं स्लम का समग्र विकास करने के लिए शुरू किया गया। दिशा निर्देशानुसार भारत सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पूर्व स्लम के प्रत्येक आवासों का सर्वे करना अपेक्षित था।

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि नगर परिषद् नालागढ़ ने योजना के तहत चिह्नित शहरी गरीबों के लिए 128 आवासों हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई थी। इन आवासों के निर्माण के लिए निदेशक, शहरी विकास ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह-सचिव, हिमाचल प्रदेश शहर विकास प्राधिकरण को ₹5.46 करोड़ राशि की निधियां दो किश्तों में (फरवरी 2010: ₹2.57 करोड़ एवं अप्रैल 2013: ₹2.89 करोड़) जारी की थी। हिमाचल प्रदेश शहर विकास प्राधिकरण ने इन आवासों (प्रति निवास इकाई निर्माण लागत: ₹4.27 लाख) का निर्माण पूर्ण किया तथा फरवरी 2016 में इसे नगर परिषद् नालागढ़ को सौंप दिया। यह पाया गया कि 128 आवासों में से नगर परिषद् नालागढ़ ने चिह्नित शहरी गरीबों के लाभार्थियों को मात्र 55 आवास प्रत्येक लाभार्थी से ₹1.87 लाख की राशि प्राप्त करने के पश्चात् आवंटित किए। शेष 73 आवासों (अगस्त 2021) का आवंटन न करने के परिणामस्वरूप ₹3.12 करोड़

(₹4.27 लाख x 73) का अलाभकारी व्यय हुआ तथा ₹1.36 करोड़ (₹1.87 लाख x 73) का लाभार्थी अंश उन लाभार्थियों से जिन्हें ये आवास आवंटित होने थे वसूले नहीं गए।

कार्यकारी अधिकारी ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि शेष 73 आवासों के लिए टेंडर मांगा गया था। तथापि तथ्य यह है कि नगर परिषद् पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी इन आवासों को आवंटित करने में विफल रहा, इसके अतिरिक्त समय बीतने के साथ परिसम्पत्तियों का क्षय हुआ।

4.9 ₹ 11.55 लाख का अलाभकारी व्यय

नगर पंचायत भुंतर द्वारा ₹11.55 लाख की राशि का निष्फल व्यय किया गया।

कार्य नियमावली के अनुसार, लागत वृद्धि से बचने के लिए एवं अभीष्ट लाभार्थियों को समय पर कार्य का लाभ प्रदान करने हेतु निष्पादन के लिए लिया गया कार्य समय पर पूरा किया जाना चाहिए।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर पंचायत, भुंतर में पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास ने जुलाई 2017 में पार्क के निर्माण के लिए ₹20.00 लाख की राशि जारी की थी। निर्माण के लिए दो महीने की निर्धारित अवधि के साथ मार्च 2018 में एक ठेकेदार को कार्य सौंपा गया था। इन निधियों में से ₹11.55 लाख पार्क के निर्माण पर व्यय किया गया था, परन्तु कार्य जुलाई 2021 तक पूर्ण नहीं किया गया। इस प्रकार, पार्क के पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप न केवल ₹11.55 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ बल्कि ₹8.45 लाख की राशि का अवरोधन भी हुआ। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र की जनता पार्क के अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

सचिव ने बताया (फरवरी 2019) कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डंपिंग साइट, पिरडी में कचरा डंप करना बंद करवा दिया था तथा इसलिए किसी अन्य स्थल के अभाव में कचरा पार्क के दूसरे छोर पर डंप किया जा रहा था। अन्य डंपिंग साइट को अंतिम रूप देने के बाद पार्क का शेष कार्य पूरा किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर पंचायत ने पार्क के निर्माण को पूरा करने के लिए कचरा डंप करने हेतु अन्य स्थल को अंतिम रूप देने का प्रयास नहीं किया।

4.10 अलाभकारी व्यय एवं भारत सरकार के अनुदान का व्यपगत होना

राजीव आवास योजना के तहत शिमला के कृष्णा नगर स्लम हेतु आवास इकाइयां अपूर्ण रही तथा ₹23.32 करोड़ का अनुदान व्यपगत हो गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि नगर निगम, शिमला ने राजीव आवास योजना के तहत शिमला के कृष्णा नगर स्लम हेतु ₹33.99 करोड़ (केन्द्रीय अंश: ₹27.62 करोड़; राज्यांश: ₹4.39 करोड़; शहरी स्थानीय निकाय का अंश: ₹0.50 करोड़ एवं लाभार्थी अंश: ₹1.48 करोड़) के लिए आरंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की, जिसे आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई (मार्च 2013)। परियोजना में तीन मुख्य घटक सम्मिलित थे- तीन कार्य स्थलों पर आवासीय परिसर का निर्माण (300 आवासीय इकाइयां जिसमें से 224 लाभार्थी आवासीय इकाइयां थी जबकि 76 किराए पर दी जाने वाली आवासीय इकाइयां थी), सामुदायिक केन्द्र तथा शिशु पार्क। प्रति आवासीय इकाई की अनुमानित लागत ₹10.12 लाख (बुनियादी ढांचे की लागत सहित) थी एवं लाभार्थी हिस्सेदारी ₹0.66 लाख प्रति इकाई निर्धारित की गई। कार्य को बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2013-17) के दौरान मिशन मोड में पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

यह पाया गया कि 296 आवासीय इकाइयों, सामुदायिक केन्द्र व शिशु पार्क के निर्माण कार्य को ₹32.57 करोड़ की टेंडर लागत पर अलग-अलग ठेकेदारों को सौंपा गया जिसके प्रति राज्य सरकार ने यह निर्धारित करते हुए कि कार्य दो से 24 माह के भीतर पूर्ण किया जाए ₹10.67 करोड़ (केन्द्रीय अंश: ₹9.21 करोड़ व राज्यांश: ₹1.46 करोड़ की राशि नगर निगम शिमला को जारी की थी। अभिलेखों की संवीक्षा में उजागर हुआ कि वर्ष 2013-18 के दौरान मात्र ₹4.93 करोड़ का उपयोग किया गया तथा ठेकेदारों ने कार्यों को पूर्ण नहीं किया (शिशु पार्क के निर्माण को छोड़कर) आगे यह पाया गया कि अधूरे कार्य के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध व्यक्तिगत ठेका अनुबंध के खण्ड-3 के तहत अपेक्षित कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर निगम शिमला ने निदेशक, शहरी विकास से ₹23.32 करोड़ का शेष अनुदान जारी करने के मामले को उठाने का अनुरोध किया था (अगस्त 2017)। इस प्रकार जो परियोजना वर्ष 2013-17 के दौरान पूर्ण की जानी निर्धारित थी वह अभी भी अपूर्ण थी तथा ₹23.32 करोड़ के भारत सरकार के शेष अनुदान के व्यपगत हो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कृष्णा नगर क्षेत्र के स्लम निवासियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान नहीं की गई, जैसी परिकल्पना की गई थी। यहां लम्बे विलम्ब के कारण लागत वृद्धि की भी संभावना थी जो राज्य कोषागार व सम्बन्धित लाभार्थियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगी।

मामला नगर निगम को भेजा गया था (दिसम्बर 2017), लेकिन कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.11 वेतन पर व्यर्थ व्यय

नगर परिषद् नगरोटा बागवां में पुस्तकालय न होने के बावजूद यहां नियुक्त पुस्तकालय सहायक के वेतन पर ₹15.95 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नगरोटा बागवां में पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास ने नव निर्मित पद पर पुस्तकालय सहायक की सेवाएं नियमित की थी (अगस्त 2007)। पुस्तकालय सहायक ने 23.08.2007 को कार्य ग्रहण किया। पुस्तकालय सहायक को वेतन के एवज में ₹15.95 लाख की राशि का भुगतान किया गया (अगस्त 2007 से नवम्बर 2017)। यह पाया गया कि पदाधिकारी की सेवाएं बतौर पुस्तकालय सहायक नहीं ली जा रही थी क्योंकि नगरोटा बागवां में कोई पुस्तकालय नहीं था।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग अन्य गतिविधियों में लिया जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिना किसी पुस्तकालय के पुस्तकालय सहायक की नियुक्ति अनियमित थी। सक्षम प्राधिकारी को मामले की समीक्षा करनी चाहिए।

4.12 ₹34.09 लाख अधिभार सहित विद्युत के बिलों की देयता

विद्युत के बिल को समय पर न चुकाने के परिणामस्वरूप नगर पंचायत भुंतर पर अधिभार सहित ₹34.09 लाख की राशि की अनावश्यक देयता हुई।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के नियम 2.10 (बी) (3) में प्रावधान है कि किए गए सभी प्रभार हेतु एक ही बार में आहरण एवं भुगतान किया जाए एवं उन्हें निधियों के अभाव में एवं दूसरे वर्ष के अनुदान से चुकाने के लिए रोका न जाए और यह कि यथासंभव निर्विवाद रूप से बकाया राशि के भुगतान के लिए रखा न जाए तथा यह कि सभी अपरिहार्य भुगतानों का पता लगाया जाए एवं यथाशीघ्र संभव तिथि पर परिसमापन किया जाए।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर पंचायत भुंतर के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि मार्च 2017 माह हेतु अधिभार सहित ₹37.42 लाख की राशि के स्ट्रीट लाईट के विद्युत बिल (पिछले बकाया बिलों से लगातार) सहायक अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, विद्युत उपमंडल, भुंतर द्वारा जारी किए गए थे। नगर पंचायत ने इन बिलों के प्रति दिनांक 17.03.2017 एवं 24.03.2017 को क्रमश: ₹1.00 लाख व ₹7.00 लाख जमा किए तथा ₹29.42 लाख की शेष राशि छोड़ दी। सहायक अभियंता ने सितंबर, 2018 में फिर से ₹34.09 लाख (₹0.67 लाख के अधिभार सहित) के विद्युत बिल जारी किए, परन्तु नगर

पंचायत फरवरी 2019 तक इसे जमा करने में विफल रही। इस प्रकार, विद्युत बिलों को जमा करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल नगर पंचायत पर अनावश्यक देयता हुई बल्कि ₹0.67 लाख के अधिभार का अधिक भुगतान भी हुआ।

सचिव ने बताया (फरवरी 2019/ जुलाई 2021) कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा बकाया विद्युत उपकर (लगभग पिछले 10 वर्षों से लंबित) का भुगतान न करने के कारण विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया था। आगे यह बताया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा बकाया विद्युत उपकर के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की गई। यदि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपकर की वास्तविक राशि की सूचना दी जाती है, तो बिल की शेष राशि का भुगतान यथाशीघ्र किश्तों में किया जाएगा।

4.13 नियमों का उल्लंघन - कार्यों का विभाजन

अप्रैल 2012 में जारी निर्देशों के साथ पठित लोक निर्माण विभाग के आदेशों की नियम-पुस्तिका के परिच्छेद 6.44 में प्रावधान है कि ई-टेंडरिंग, प्रेस के माध्यम से प्रकाशन या उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन से बचने के लिए कार्य/परियोजना का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर पंचायत करसोग में लेखापरीक्षा में पाया गया कि नवंबर, 2014 से जनवरी, 2015 की अवधि के लिए ₹14.40 लाख की राशि के चार कार्य[20] तीन ठेकेदारों को सौंपे गए थे। इन कार्यों में से प्रत्येक को व्यापक प्रचार से बचने तथा उच्च अधिकारी की अनुमति से बचने के लिए दो कार्यों में विभाजित किया गया। कार्यों का विभाजन के परिणामस्वरूप अधिकतम प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में ठेकेदारों को अनुचित लाभ के देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सचिव ने बताया (फरवरी, 2019) कि कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मामले को निदेशक, शहरी विकास के साथ उठाया जाएगा।

4.14 ₹3.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न करना

वित्तीय नियमावली में यह अपेक्षित है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित समय के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

---

[20] विश्राम गृह से विमला खड्ड तक नाली एवं झंझरी उपलब्ध कराना एवं लगाना, पी.एन.बी. से पवन स्टूडियो की ओर झंझरी उपलब्ध करना एवं लगाना, श्री हितेश के घर से श्री मस्तराम के घर तक टाईल फर्श उपलब्ध कराना एवं बिछाना और कृष्णा परिसर से फेस-2 और 3 की ओर झंझरी उपलब्ध कराना एवं लगाना।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी विकास विभाग से नगर पंचायत करसोग एवं नगर परिषद् देहरा ने 2014-15 से 2017-18 के दौरान सड़क/शौचालय के निर्माण व सीवरेज कार्य के लिए क्रमश: ₹22.41 लाख और ₹3.75 करोड़ प्राप्त किए। निधियां 2016 17 से 2018-19 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, बीडीओ कार्यालय, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग) को जारी की गई। आठ से 32 माह बीत जाने के बाद भी फरवरी 2019 तक इन कार्यों से संबंधित ₹3.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र शहरी स्थानीय निकायों ने प्राप्त नहीं किए। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की तिथि तक नगर पंचायत करसोग ने भौतिक रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की थी। नगर परिषद् देहरा के मामले में, सीवरेज योजना के तहत कार्य के लिए भौतिक रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिससे पता चला कि जनवरी 2019 तक कुल कार्य का केवल 75 प्रतिशत ही पूरा किया गया। परिणामतः क्षेत्र की जनता योजनाओं के अभीष्ट लाभों से वंचित रही।

सचिव, नगर पंचायत करसोग तथा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् देहरा ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि जारी की गई निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र तुरंत प्राप्त किए जाएंगे।

4.15 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना हुआ अनियमित व्यय

नगर परिषद् मनाली ने तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना ₹37.00 लाख का अनियमित व्यय किया।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्माण नियम, 2010 के नियम 4(1) में प्रावधान है कि कोई भी मूल/मरम्मत कार्य जिसमें ₹50,000/- से अधिक का व्यय हो, नगरपालिका द्वारा नहीं किया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर परिषद् मनाली में 2017-18 के दौरान सड़क की मरम्मत एवं कचरा डंपिंग साइट के विस्तार के तीन कार्यों पर ₹37.00 लाख का व्यय किया गया था। प्रत्येक मामले में राशि ₹50,000/- से अधिक थी, परन्तु नगर परिषद् ने इन व्ययों के लिए सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹37.00 लाख का व्यय अनियमित एवं पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध था।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् मनाली ने बताया (मार्च 2019) कि कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता से प्राप्त की गई थी, परन्तु सहायक अभियंता (नगर पालिका) के पास

₹10 लाख तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार था एवं प्रत्येक कार्य की लागत ₹10 लाख से अधिक थी।

4.16 अग्रिमों का समायोजन न करना

छः शहरी स्थानीय निकायों ने 2015-18 के दौरान पिछले अग्रिमों का समायोजन किए बिना ₹32.21 करोड़ के अग्रिम स्वीकृत किए।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 189 (1) से (4) के अनुसार, विभागाध्यक्ष, किसी सरकारी कर्मी को वस्तुओं की खरीद या सेवाओं को लेने या किसी अन्य निर्धारित विशेष प्रयोजन हेतु अग्रिम संस्वीकृत कर सकता है। आगे इस नियम में प्रावधान है कि समायोजन बिल के साथ यदि कोई शेष है, तो उसे अग्रिम आहरण के 15 दिनों के भीतर जमा किया जाए। दूसरे अग्रिम को प्रदान करने की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक सम्बन्धित सरकारी कर्मी पिछले अग्रिम का समायोजन लेखा जमा नहीं कर देता।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो नगर परिषदों (नालागढ़ व सोलन) में, 1999-2017 के मध्य 20 सरकारी कर्मियों/विभागों को विकासात्मक कार्यों, स्थापना व्ययों, स्टोर हेतु खरीद इत्यादि को करने हेतु संस्वीकृत किए गए ₹1.09 करोड़ के अस्थाई/ आकस्मिक अग्रिम जनवरी 2018 तक, एक से 18 वर्षों की अवधि **(परिशिष्ट-28)** से अधिक समय तक समायोजन हेतु लम्बित थे। आगामी अग्रिम पिछले अग्रिमों को समायोजित किए बिना दिए जाते रहे। नगर परिषद् नालागढ़ में दो कर्मी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए, परन्तु दिसम्बर 1999 से जुलाई 2012 के मध्य उनको प्रदान की गई ₹3.33 लाख की राशि के अग्रिमों के समायोजन बिल न तो उन्होंने उनकी सेवानिवृत्ति के समय जमा किए और न ही विभाग द्वारा समायोजित किए गए।

(ख) वर्ष 2017-18 के दौरान नगर निगम शिमला में यह पाया गया कि 1963-2017 के दौरान विभिन्न विभागों को अलग-अलग उद्देश्यों हेतु (लोक निर्माण कार्यों, स्टोर सामग्री, परियोजना, योजना, अस्थाई अग्रिमों, स्ट्रीट लाईट, जल-आपूर्ति इत्यादि विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत) ₹31.03 करोड़ के आकस्मिक अग्रिम नगर निगम ने संस्वीकृत किए थे, जो दिसम्बर 2017 तक समायोजन **(परिशिष्ट-28)** हेतु लम्बित थे। पिछले अग्रिमों को समायोजित किए बिना विभागों को आगामी अग्रिम दिए जाते रहे। आगे यह पाया गया कि 1963-2017 के दौरान संस्वीकृत की गई ₹17.68 करोड़ की अस्थाई अग्रिम राशि दिसम्बर 2017 तक समायोजन हेतु लम्बित थी तथा नगर निगम के पास इन अग्रिमों से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं

थे। पर्याप्त राशि के अग्रिमों के समायोजन से सम्बन्धित संहितागत प्रावधानों को लागू करने में नगर निगम की शिथिलता को दर्शाता है।

(ग) वर्ष 2018-19 के दौरान तीन शहरी स्थानीय निकायों[21] में लेखापरीक्षा ने पाया कि छः सरकारी कर्मियों को 2015-16 व 2017-18 के मध्य ₹9.42 लाख **(परिशिष्ट-28)** के अस्थायी/आकस्मिक अग्रिम स्वीकृत किए गए। अग्रिम विकास कार्यों हेतु दुकानों की खरीद, स्थापना व्यय, घर-घर कचरा संग्रहण आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिए गए थे जो दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक ऐसे अग्रिम प्रदान करने की तिथि से 17 से 43 महीने से अधिक की अवधि के लिए समायोजन के लिए लंबित थे। पिछले अग्रिमों को समायोजित किए बिना कर्मियों को आगामी अग्रिम दिए गए। यह अग्रिमों के समायोजन के संबंध में संहितागत प्रावधानों को लागू करने में इन शहरी स्थानीय निकायों की शिथिलता को दर्शाता है।

अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला एवं कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषदें कुल्लू एवं मनाली) ने बताया (दिसम्बर 2018-मार्च 2019) कि बकाया अग्रिमों को तत्काल समायोजित/ वसूल किया जायेगा।

4.17 फर्मों को ₹6.69 लाख की राशि का अनुचित लाभ

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 103 में प्रावधान है कि ₹10 लाख तक की वस्तुओं की खरीद के लिए सीमित निविदा प्रणाली अपनाई जाए।

वर्ष 2018-19 के दौरान दो शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषद् देहरा व नगर पंचायत ज्वाली) में अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर पंचायत ज्वाली ने 2016-17 के दौरान फर्म 'हिमालय इंजीनियरिंग वर्क्स, देहरा' से ₹3.32 लाख की राशि के कूड़ेदान खरीदे थे। इसी प्रकार 2014-15 से 2016-17 के दौरान नगर परिषद् देहरा ने 'प्लान फाउंडेशन, ब्रॉडवे एन्क्लेव, संजौली, शिमला' नामक एक फर्म को आवास कर निर्धारण कार्य, सर्वेक्षण, सॉफ्टवेयर के विकास एवं उसके नवीनीकरण के संबंध में सेवाएं प्राप्त करने हेतु कार्य पर लिया तथा इस दौरान इस फर्म को ₹3.37 लाख का भुगतान किया।

दोनों ही मामलों में खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की राशि ₹1.00 लाख से अधिक थी, परन्तु इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थी। यह पूर्वोक्त नियम के

[21] नगर निगम धर्मशाला; नगर परिषदें कुल्लू एवं मनाली।

प्रावधानों का उल्लंघन था। निविदाएं आमंत्रित नहीं करने से शहरी स्थानीय निकाय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लाभ से वंचित रह गए। इसके अतिरिक्त, विशेष फर्मों को अनुचित लाभ देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् देहरा ने बताया (जनवरी 2019) कि तत्काल आधार पर कार्य पूर्ण करने के कारण निविदा नहीं मांगी गई जबकि सचिव, नगर पंचायत ज्वाली ने बताया (जनवरी 2019) कि खरीद के समय कार्यालय ढांचा, कम्प्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तथा स्टाफ की कमी के कारण नगर पंचायत निविदा आमंत्रित करने में विफल रहा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खरीद की वित्तीय प्रक्रियाओं को तब तक नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता जब तक कि ठोस कारण न हो तथा ऐसी परिस्थितियों में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना खरीद नियमों के अनुसार अनुमत है।

4.18 सामग्री का लेखांकन न करना

नगर परिषद्, हमीरपुर ने ₹1.14 लाख की सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 135 में प्रावधान है कि सामग्री की सुपुर्दगी के समय जिम्मेदार सरकारी कर्मी द्वारा प्राप्त की गई सामग्री की, सामग्री के अनुसार जांच, गणना, माप एवं तौल की जाए तथा उसे यह देखना चाहिए कि सामग्री की मात्रा सही है और गुणवत्ता अच्छी है। सामग्री की प्राप्ति रसीद का प्रमाणपत्र दर्ज किया जाए एवं उचित रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि भरी जाए।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् हमीरपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि ₹1.14 लाख की लागत से खरीदी गई सीमेंट बोरियां व नाली कवर संगत स्टोर व स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किए गए थे। अतः चोरी या हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह नगर परिषद् के खराब अभिलेख अनुरक्षण को दर्शाता है। उत्तर में, कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि संगत प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टरों में कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित नगर परिषद् द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण पर उचित जांच नहीं रखी गई थी।

4.19 स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 140(2) में प्रावधान है कि विभागाध्यक्ष वर्ष में कम से कम एक बार अचल संपत्तियों, उपभोज्य वस्तुओं एवं निष्क्रिय स्टॉक या

अनुपयोगी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से या उसके द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के माध्यम से करवाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 14 शहरी स्थानीय निकायों में से चार[22] में 1999 व 2018 के मध्य की अवधि हेतु स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, स्टोर/स्टॉक के भौतिक अस्तित्व को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन न करने के कारण, स्टोर की वस्तुओं के दुरुपयोग की संभावना है।

नगरपालिका अभियंता, नगर निगम धर्मशाला एवं कार्यकारी अधिकारियों (नगर परिषदें घुमारवीं एवं हमीरपुर) ने बताया (दिसम्बर 2018) कि कार्य की अधिकता के कारण स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका जिसे शीघ्र ही किया जायेगा जबकि आयुक्त, नगर निगम शिमला ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

(ऋतु ढिल्लों)

शिमला **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),**

दिनांक: 10 मार्च 2022 **हिमाचल प्रदेश**

[22] नगर निगमें शिमला (1999 से) एवं धर्मशाला (2016-17 से); नगर परिषदें घुमारवीं (2011 से) एवं हमीरपुर (2006 से)।

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(संदर्भ परिच्छेद 1.1 तथा 3.1; पृष्ठ 1 तथा 43)

संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूचियों से सूचीबद्ध कार्यक्रमों का विवरण

क्रमांक	संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकसित किए गए 29 कार्यक्रमों का विवरण
1.	कृषि विस्तार सहित कृषि
2.	भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि समेकन तथा मृदा-संरक्षण
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा वाटरशेड विकास
4.	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा मुर्गी पालन
5.	मत्स्य पालन
6.	सामाजिक वाणिकी तथा कृषि वाणिकी
7.	लघु वन उत्पादन
8.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग
9.	खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग
10.	ग्रामीण आवास
11.	पेयजल
12.	ईंधन और चारा
13.	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग तथा यातायात के अन्य साधन
14.	ग्रामीण विद्युतीकरण तथा विद्युत का वितरण
15.	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत
16.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17.	शिक्षा तथा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय
18.	तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा
19.	वयस्क तथा अनौपचारिक शिक्षा
20.	पुस्तकालय
21.	सांस्कृतिक गतिविधियां
22.	बाजार तथा मेले
23.	स्वास्थ्य और स्वच्छता, साथ ही चिकित्सालय (अस्पताल) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा औषधालय
24.	परिवार कल्याण
25.	महिला तथा बाल विकास
26.	सामाजिक कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांग तथा मंदबुद्धि जनों का कल्याण
27.	कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण
28.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29.	सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव

क्रमांक	संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकसित किए गए 18 कार्यों का विवरण
1.	शहरी नियोजन तथा नगर योजना
2.	भूमि उपयोग योजना तथा भवनों का निर्माण
3.	सामाजिक तथा आर्थिक विकास योजनाएं
4.	सड़कें तथा पुल
5.	घरेलू, औद्योगिक तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु जल वितरण
6.	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7.	अग्निशमन सेवाएं
8.	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा तथा पारिस्थितिक पहलुओं का प्रचार
9.	विकलांगों तथा मंदबुद्धि जनों सहित कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना
10.	झुग्गी झोपडी तथा उन्नयन
11.	शहरी गरीबी उन्मूलन
12.	नगर सुविधाओं का प्रावधान तथा पार्क, बगीचे तथा खेल के मैदान जैसी सुविधाएं
13.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यीकरण संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना
14.	कब्रगाह और कब्रिस्तान; श्मशान, श्मशान घाट और विद्युत शवदाह गृह
15.	मवेशी पाउंड; जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम
16.	जन्म और मृत्यु के पंजीकराणा सहित महत्वपूर्ण आँकड़े
17.	सार्वजनिक सुविधाएं: स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप व सार्वजनिक सुविधाएं
18.	बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन

परिशिष्ट-2

(संदर्भ परिच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए 15 लाईन विभागों का ब्यौरा

क्रमांक	लाइन विभाग
1.	कृषि
2.	पशुपालन
3.	आयुर्वेद
4.	शिक्षा
5.	खाद्य सामग्री
6.	वन
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
8.	बागवानी
9.	उद्योग
10.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
11.	लोक निर्माण कार्य
12.	राजस्व
13.	ग्रामीण विकास
14.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण
15.	मत्स्य पालन

परिशिष्ट-3 (i)

(संदर्भ परिच्छेद 1.9 एवं 3.8; पृष्ठ 12 व 50)

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र -2017-18 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

ज़िला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम
1.	मंडी
2.	सोलन
3.	कुल्लू

पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम
1.	कंडाघाट	सोलन
2.	आनी	कुल्लू
3.	निरमंड	कुल्लू
4.	नग्गर	कुल्लू
5.	धर्मपुर	मंडी
6.	गोपालपुर	मंडी
7.	चौंतड़ा	मंडी
8.	गोहर	मंडी
9.	सुंदरनगर	मंडी

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	चम्मों	धर्मपुर	सोलन
2.	भावगुढी	धर्मपुर	सोलन
3.	नालकां	धर्मपुर	सोलन
4.	गोयला	धर्मपुर	सोलन
5.	जाडला	धर्मपुर	सोलन
6.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन
7.	सकोड़ी	कंडाघाट	सोलन
8.	सायरीं	कंडाघाट	सोलन
9.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन
10.	बाशा	कंडाघाट	सोलन
11.	कोहिला	आनी	कुल्लू
12.	कराणा	आनी	कुल्लू
13.	पोखरी	आनी	कुल्लू
14.	फनौटी	आनी	कुल्लू
15.	टकारसी	आनी	कुल्लू
16.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू
17.	कोट	निरमंड	कुल्लू

18.	सराहन	निरमंड	कुल्लू
19.	नोर	निरमंड	कुल्लू
20.	तुनन	निरमंड	कुल्लू
21.	देवगढ़	नग्गर	कुल्लू
22.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू
23.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू
24.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू
25.	शिरड़	नग्गर	कुल्लू
26.	धनालग	गोपालपुर	मंडी
27.	दारपा	गोपालपुर	मंडी
28.	जमणी	गोपालपुर	मंडी
29.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी
30.	सुलपुर जबोठ	गोपालपुर	मंडी
31.	पिपली	चौंतड़ा	मंडी
32.	सैन्थल पडैन	चौंतड़ा	मंडी
33.	गलू	चौंतड़ा	मंडी
34.	ऐहजू	चौंतड़ा	मंडी
35.	ऊटपुर	चौंतड़ा	मंडी
36.	तान्दी	गोहर	मंडी
37.	तुन्ना	गोहर	मंडी
38.	कुटाहची	गोहर	मंडी
39.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी
40.	नौण	गोहर	मंडी
41.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी
42.	बंदली	सुंदरनगर	मंडी
43.	कलौहड	सुंदरनगर	मंडी
44.	धवाल	सुंदरनगर	मंडी
45.	खिलड़ा	सुंदरनगर	मंडी

नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम
1.	शिमला
2.	धर्मशाला

नगर परिषद्

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम
1.	नालागढ़
2.	हमीरपुर
3.	सोलन
4.	जोगिन्दर नगर
5.	नगरोटा बांगवां
6.	मंडी

नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम
1.	अर्की
2.	सुन्नी
3.	भोटा
4.	बैजनाथ

परिशिष्ट-3 (ii)

(संदर्भ परिच्छेद 1.9 एवं 3.8; पृष्ठ 12 व 50)

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र - 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

ज़िला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम
1.	हमीरपुर
2.	कांगड़ा स्थित धर्मशाला
3.	शिमला

पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम
1.	फतेहपुर	कांगड़ा
2.	इंदौरा	कांगड़ा
3.	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
4.	लम्बागांव	कांगड़ा
5.	ननखड़ी	शिमला
6.	रोहड़ू	शिमला
7.	ठियोग	शिमला

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	जगोठी	रोहड़ू	शिमला
2.	खंगटेडी	रोहड़ू	शिमला
3.	कटलाह	रोहड़ू	शिमला
4.	पुजारली-3	रोहड़ू	शिमला
5.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला
6.	कुडू	जुब्बल कोटखाई	शिमला
7.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला
8.	क्यारी	जुब्बल कोटखाई	शिमला
9.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला
10.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला

11.	भलोह	मशोबरा	शिमला
12.	ढली	मशोबरा	शिमला
13.	जुंगा	मशोबरा	शिमला
14.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला
15.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला
16.	खाबल	छोहारा	शिमला
17.	ढाकगांव	छोहारा	शिमला
18.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला
19.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला
20.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला
21.	खमाडी	ननखड़ी	शिमला
22.	चडौली	चौपाल	शिमला
23.	बावत	चौपाल	शिमला
24.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला
25.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला
26.	किरण	चौपाल	शिमला
27.	मंझोली	चौपाल	शिमला
28.	चेबड़ी	बसंतपुर	शिमला
29.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला
30.	बैंश (पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला
31.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला
32.	सरपारा	रामपुर	शिमला
33.	शिंगला	रामपुर	शिमला
34.	नीरथ	रामपुर	शिमला
35.	देवठी	रामपुर	शिमला
36.	बगैण	ठियोग	शिमला
37.	घोड़ना	ठियोग	शिमला
38.	घूण्ड	ठियोग	शिमला
39.	ददास	ठियोग	शिमला
40.	कुठार	ठियोग	शिमला
41.	क्यार	ठियोग	शिमला
42.	सिंहल	नारकंडा	शिमला
43.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला
44.	करेवथी	नारकंडा	शिमला
45.	मोगडा	नारकंडा	शिमला
46.	गोंधला	लाहौल	लाहौल स्पिति
47.	मूलिंग	लाहौल	लाहौल स्पिति
48.	खंगसर	लाहौल	लाहौल स्पिति
49.	गोशाल	लाहौल	लाहौल स्पिति
50.	कारदंग	लाहौल	लाहौल स्पिति

51.	बरबोग	लाहौल	लाहौल स्पिति
52.	दारचा	लाहौल	लाहौल स्पिति
53.	केलांग	लाहौल	लाहौल स्पिति
54.	डेमुल	स्पिति	लाहौल स्पिति
55.	लांगजा	स्पिति	लाहौल स्पिति
56.	लालूंग	स्पिति	लाहौल स्पिति
57.	हल	स्पिति	लाहौल स्पिति
58.	खुरीक	स्पिति	लाहौल स्पिति
59.	चलबाड़ा-2	फतेहपुर	कांगड़ा
60.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा
61.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा
62.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा
63.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
64.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
65.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
66.	भपू	इंदौरा	कांगड़ा
67.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा
68.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा
69.	मंमूह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा
70.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा
71.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा
72.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
73.	डोल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
74.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
75.	सद्दू बडग्रां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
76.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
77.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
78.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा
79.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा
80.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा
81.	कडोआ	प्रागपुर	कांगड़ा
82.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा
83.	कस्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा
84.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा
85.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा
86.	बरवाला	धर्मशाला	कांगड़ा
87.	मंदल	धर्मशाला	कांगड़ा
88.	घरोह	रैत	कांगड़ा
89.	बंडी	रैत	कांगड़ा
90.	ढुगियारी	रैत	कांगड़ा

91.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा
92.	स्वाड़	बैजनाथ	कांगड़ा
93.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा
94.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा
95.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा
96.	अप्पर ठेहरू	लम्बागांव	कांगड़ा
97.	कलुण्ड	भवारना	कांगड़ा
98.	गाहढ़	भवारना	कांगड़ा
99.	बल्ला	भवारना	कांगड़ा
100.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा
101.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा
102.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा
103.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा

नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम
1.	शिमला
2.	धर्मशाला

नगर परिषद्

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम	जिले का नाम
1.	घुमारवीं	बिलासपुर
2.	हमीरपुर	हमीरपुर
3.	सुजानपुर	हमीरपुर
4.	देहरा	कांगड़ा
5.	नेरचौक	मण्डी
6.	कुल्लू	कुल्लू
7.	मनाली	कुल्लू

नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम	जिले का नाम
1.	ज्वाली	कांगड़ा
2.	नादौन	हमीरपुर
3.	करसोग	मण्डी
4.	बंजार	कुल्लू
5.	भुंतर	कुल्लू

परिशिष्ट-4

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.1; पृष्ठ 15)

पीआरआईएसॉफ्ट में रोकड़ बही तैयार न करना तथा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में संपत्ति का अनुरक्षण न करना

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	कोट	निरमंड	कुल्लू
2.	तुनन	निरमंड	कुल्लू
3.	सराहन	निरमंड	कुल्लू
4.	नोर	निरमंड	कुल्लू
5.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू
6.	टकारसी	आनी	कुल्लू
7.	फनौटी	आनी	कुल्लू
8.	कराणा	आनी	कुल्लू
9.	कोहिला	आनी	कुल्लू
10.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू
11.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू
12.	शिरड़	नग्गर	कुल्लू
13.	देवगढ़	नग्गर	कुल्लू
14.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू
15.	जाडला	धर्मपुर	सोलन
16.	गोयला	धर्मपुर	सोलन
17.	नालकां	धर्मपुर	सोलन
18.	भावगुढी	धर्मपुर	सोलन

तीन आदर्श लेखांकन प्रणाली पंजिकाओं का अनुरक्षण न करना (वार्षिक प्राप्ति व भुगतान लेखा पंजिका, समेकित सार पंजिका तथा अचल संपत्ति पंजिका)

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	बाशा	कंडाघाट	सोलन
2.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन
3.	धनालग	गोपालपुर	मंडी
4.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी
5.	जमणी	गोपालपुर	मंडी
6.	दारपा	गोपालपुर	मंडी
7.	सुलपुर जबोठ	गोपालपुर	मंडी
8.	कुटाहची	गोहर	मंडी
9.	नौण	गोहर	मंडी
10.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी

11.	तुन्ना	गोहर	मंडी
12.	तान्दी	गोहर	मंडी
13.	सैन्थल पडैन	चौंतड़ा	मंडी
14.	ऊटपुर	चौंतड़ा	मंडी
15.	गलू	चौंतड़ा	मंडी
16.	पिपली	चौंतड़ा	मंडी
17.	ऐहजू	चौंतड़ा	मंडी
18.	धवाल	सुंदरनगर	मंडी
19.	कलौहड	सुंदरनगर	मंडी
20.	खिलड़ा	सुंदरनगर	मंडी
21.	बन्दली	सुंदरनगर	मंडी
22.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी

परिशिष्ट-5 (i)

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.2; पृष्ठ 17)

2016-17 के दौरान बैंक पासबुक एवं पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड की गई शेष राशि के आंकड़ों के मध्य अंतर

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम	पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड किया गया	बैंक पास बुक में बैलेंस	अंतर	अंतर प्रतिशत में
1.	सुंदरनगर	मंडी	120.60	130.90	10.30	7.87
2.	चौंतड़ा	मंडी	210.24	195.03	15.21	7.80
योग (i)					**25.51**	

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिले का नाम	पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड किया गया	बैंक पास बुक में बैलेंस	अंतर	अंतर प्रतिशत में
1.	बन्दली	मंडी	14.05	6.39	7.66	119.87
2.	कुटाहची	मंडी	6.69	9.11	2.42	26.56
3.	खिलड़ा	मंडी	34.15	36.20	2.05	5.66
4.	कलौहड़	मंडी	28.97	25.34	3.63	14.33
5.	धवाल	मंडी	52.52	52.29	0.23	0.44
6.	पिपली	मंडी	9.84	9.83	0.01	0.10
7.	गलू	मंडी	12.45	12.67	0.22	1.74
8.	ऊटपुर	मंडी	25.50	33.25	7.75	23.31
9.	जुगाहण	मंडी	35.81	31.87	3.94	12.36
10.	तान्दी	मंडी	23.84	23.90	0.06	0.25
11.	तुन्ना	मंडी	16.14	19.40	3.26	16.80
12.	कोटला खनोला	मंडी	39.24	19.24	20.00	103.95
13.	सैन्थल पडैन	मंडी	16.22	16.32	0.10	0.61
14.	सुलपुर जबोठ	मंडी	37.30	37.33	0.03	0.08
15.	दारपा	मंडी	1.73	3.84	2.11	54.95
16.	जमणी	मंडी	45.88	14.39	31.49	218.83
17.	ऐहजू	मंडी	28.61	16.00	12.61	78.81
18.	बरच्छवाड़	मंडी	38.27	24.86	13.41	53.94
19.	नौण	मंडी	25.95	26.44	0.49	1.85
योग (ii)					**111.47**	
सकल योग (i) व (ii)					**136.98**	

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकडें।

परिशिष्ट-5 (ii)

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.2; पृष्ठ 17)

2017-18 के दौरान नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों तथा पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के मध्य अंतर

(₹ लाख में)

जिला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार प्राप्ति	पीआरआई एसॉफ्ट पर अपलोड की गई प्राप्ति	अंतर	प्रतिशत में अंतर	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार व्यय	पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किया गया व्यय	अंतर	अंतर प्रतिशत में
1.	जिला परिषद् शिमला	1,700.48	1,847.35	146.87	8.64	1,554.25	1,615.34	61.09	3.93
	योग (i)	**1,700.48**	**1,847.35**	**146.87**		**1,554.25**	**1,615.34**	**61.09**	

पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार प्राप्ति	पीआरआई एसॉफ्ट पर अपलोड की गई प्राप्ति	अंतर	प्रतिशत में अंतर	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार व्यय	पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किया गया व्यय	अंतर	अंतर प्रतिशत में
1.	ननखड़ी	59.52	43.75	15.77	26.50	69.83	61.93	07.90	11.31
2.	रोहड़ू	108.92	111.85	02.93	2.69	76.94	83.10	06.17	8.02
3.	इंदौरा	189.58	149.81	39.77	20.98	133.08	121.79	11.29	8.48
4.	फतेहपुर	194.19	249.77	55.58	28.62	142.57	182.62	40.05	28.09
5.	नगरोटा सुरियां	128.78	128.18	0.60	0.47	182.48	202.43	19.95	10.93
	योग (ii)	**680.99**	**683.36**	**114.65**		**604.90**	**651.87**	**85.36**	

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार प्राप्ति	पीआरआई एसॉफ्ट पर अपलोड की गई प्राप्ति	अंतर	प्रतिशत में अंतर	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार व्यय	पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किया गया व्यय	अंतर	अंतर प्रतिशत में
1.	कोठी	38.08	30.93	07.15	18.78	30.39	28.60	01.79	5.89
2.	पोलिंग	57.73	32.75	24.98	43.27	31.71	31.67	0.04	0.13

3.	स्वाड़	67.47	37.70	29.77	44.12	30.52	31.06	0.54	1.77
4.	गाहढ़	12.20	12.62	0.42	3.44	16.24	17.69	01.45	8.93
5.	बल्ला	12.40	11.37	01.03	8.31	11.02	22.24	11.22	101.81
6.	सलिहार	53.88	21.95	31.93	59.26	19.53	71.32	51.79	265.18
7.	झकलेड़	27.70	29.08	01.38	4.98	11.60	50.54	38.94	335.69
8.	खुण्डियां	20.88	45.00	24.12	115.52	26.19	51.29	25.10	95.84
9.	मंदल	45.52	19.61	25.91	56.92	24.37	21.73	02.64	10.83
10.	बरवाला	27.14	22.30	04.84	17.83	23.00	29.71	06.71	29.17
11.	चलबाड़ा-2	21.19	23.02	01.83	8.64	17.14	26.81	09.67	56.42
12.	रैहन	52.64	21.74	30.90	58.70	20.05	28.81	08.76	43.69
13.	दियाणा	52.02	18.17	33.85	65.07	48.20	26.67	21.53	44.67
14.	भपू	43.15	42.77	0.38	0.88	41.70	42.55	-0.85	2.04
15.	बलीर	43.81	30.46	13.35	30.47	34.42	33.98	0.44	1.28
16.	मकड़ोली	32.35	26.85	05.50	17.00	24.88	30.18	05.30	21.30
17.	बलोल	21.17	25.28	04.11	19.41	07.37	31.64	24.27	329.31
18.	झिकली इच्छी	76.05	42.18	33.87	44.54	43.26	43.73	0.47	1.09
19.	जोगीपुर	81.59	55.24	26.35	32.30	41.88	43.80	01.92	4.58
20.	अप्पर ठेहरू	15.07	26.76	11.69	77.57	10.44	33.13	22.69	217.34
21.	कोटलू	17.69	38.40	20.71	117.07	14.80	33.42	18.62	125.81
22.	हारसी	48.36	62.16	13.80	28.54	16.09	57.91	41.82	259.91
23.	कलुन्दो	31.87	31.43	0.44	1.38	12.94	23.91	10.97	84.78
24.	सद्दू बडग्यां	15.70	09.02	06.68	42.55	08.20	13.63	05.43	66.22
25.	उसतेहड़	42.53	18.00	24.53	57.68	20.86	22.43	01.57	7.53
26.	हटवास	49.05	26.28	22.77	46.42	33.87	30.32	03.55	10.48
27.	डोल	46.82	40.02	06.80	14.52	15.51	33.41	17.90	115.41
28.	जांगल	42.03	46.84	04.81	11.44	14.21	51.68	37.47	263.69
29.	मंमूह गुरचाल	47.54	32.30	15.24	32.06	34.27	33.07	01.20	3.50
30.	खैरियां	37.07	14.64	22.43	60.51	27.59	21.51	06.08	22.04
31.	मिलख	39.51	25.18	14.33	36.27	24.35	24.47	0.12	0.49
32.	लादोह	78.02	30.73	47.29	60.61	58.00	34.08	23.92	41.24
33.	वदेहड़	53.30	25.51	27.79	52.14	41.22	28.91	12.31	29.86
34.	गंगोट	42.03	25.19	16.84	40.07	17.59	30.77	13.18	74.93
35.	गुरलधार	38.26	23.98	14.28	37.32	25.08	26.56	01.48	5.90
36.	बढ़ल	93.41	42.82	50.59	54.16	46.36	29.77	16.59	35.79
37.	क़स्बा जागीर	32.40	20.80	11.60	35.80	24.70	28.29	03.59	14.53
38.	कडोआ	30.75	20.82	09.93	32.29	22.67	32.29	09.62	42.43
39.	ढुगियारी	20.96	20.75	0.21	1.00	13.15	21.85	08.70	66.16
40.	बंडी	32.81	30.28	02.53	7.71	23.11	26.67	03.56	15.40
41.	घरोह	58.91	30.66	28.25	47.95	30.19	52.38	22.19	73.50
42.	खैरा	54.71	23.19	31.52	57.61	32.93	06.02	26.91	81.72
43.	ककडै	43.03	22.15	20.88	48.52	41.64	30.05	11.59	27.83
44.	गोशाल	27.40	23.49	03.91	14.27	10.01	27.21	17.20	171.83
45.	गोंधला	86.61	66.88	19.93	23.01	54.13	69.95	-15.82	29.23
46.	लंगचा	82.40	54.00	28.40	34.47	36.32	35.82	0.50	1.38
47.	खुरीक	157.39	86.24	71.15	45.21	99.76	179.22	79.46	79.65
48.	हल	44.54	81.55	37.01	83.09	22.72	25.66	02.94	12.94
49.	डेमुल	103.12	63.44	39.68	38.48	26.11	17.46	08.65	33.13
50.	लालूंग	130.57	81.35	49.22	37.70	51.25	43.34	08.16	15.92

51.	बैंश (पिपलीधार)	22.19	16.99	05.20	23.43	10.51	18.10	07.59	72.22
52.	चेबड़ी	40.03	31.82	08.21	20.51	30.62	42.27	11.65	38.05
53.	चलाहल	47.72	34.95	12.77	26.76	27.13	33.68	06.55	24.14
54.	खबाल	40.65	55.05	14.40	35.42	38.43	63.90	25.47	66.28
55.	तांगनू जंगलिख	37.07	51.35	14.28	38.52	32.54	44.05	11.51	35.37
56.	डाकगांव	75.23	66.14	09.09	12.08	52.74	64.51	11.77	22.32
57.	बावत	86.80	84.76	02.04	2.35	47.84	73.75	25.91	54.16
58.	गोरली मडोग	64.97	48.02	16.95	26.09	26.87	45.14	18.27	67.99
59.	किरण	75.05	56.60	18.45	24.58	32.13	51.68	19.55	60.85
60.	चडौली	72.11	46.60	25.51	35.38	41.93	47.80	05.87	14.00
61.	रामनगर	54.45	45.97	08.48	15.57	29.33	35.58	06.25	21.31
62.	कोट कियाना	45.93	28.51	17.42	37.93	33.59	34.53	0.94	2.80
63.	कुडू	65.71	31.63	34.08	51.86	37.80	34.19	03.61	9.55
64.	क्यार	50.88	49.81	01.07	2.10	15.22	33.28	18.06	118.66
65.	पुजारली (बियुलिया)	85.67	60.98	24.69	28.82	18.61	55.94	37.33	200.59
66.	नालदेहरा	45.07	39.01	06.06	13.45	26.49	48.72	22.23	83.92
67.	भलोह	38.33	22.68	15.65	40.83	25.55	32.49	06.94	27.16
68.	मझोली टिप्पर	47.31	36.20	11.11	23.48	30.52	31.38	0.86	2.82
69.	खमाडी	46.19	42.16	04.03	8.72	20.18	48.00	27.82	137.86
70.	मोगडा	37.04	13.43	23.61	63.74	15.58	16.11	0.53	3.40
71.	मलैण्डी	35.87	20.16	15.71	43.80	26.81	27.94	01.13	4.21
72.	करेवथी	37.65	22.38	15.27	40.56	13.14	20.71	07.57	57.61
73.	नीरथ	32.22	47.26	15.24	47.30	12.65	31.04	18.39	145.38
74.	देवठी	38.73	28.56	10.17	26.26	22.85	25.34	02.49	10.90
75.	दत्तनगर	63.05	44.94	18.11	28.72	25.84	35.93	10.09	39.05
76.	शिंगला	53.52	37.85	15.67	29.28	31.38	35.56	04.18	13.32
77.	पुजारली-3	102.27	46.03	56.24	54.99	83.90	43.65	40.25	47.97
78.	जगोठी	44.00	29.58	14.42	32.77	28.02	32.46	04.44	15.85
79.	खंगटेडी	85.73	24.29	61.44	71.67	66.55	28.13	38.42	57.73
80.	कटलाह	68.26	25.69	42.57	62.36	54.10	28.83	25.27	46.71
81.	घूण्ड	84.82	58.84	25.98	30.63	54.74	46.27	08.47	15.47
82.	ददास	47.16	24.67	22.49	47.69	31.22	31.07	0.15	0.48
83.	क्यार	64.62	56.33	08.29	12.83	32.76	31.86	0.90	2.75
84.	घोड़ना	67.51	42.47	25.04	37.09	40.70	30.98	30.98	76.12
85.	बगैण	52.39	33.31	19.08	36.42	22.08	35.28	13.20	59.78
86.	मंझोली	75.08	96.75	21.67	28.86	24.54	65.00	40.46	164.87
87.	कांडा बनाह	107.32	62.02	45.30	42.21	77.85	54.43	23.42	30.08
योग (iii)		**4,569.43**	**3,257.17**	**1,682.70**		**2,656.28**	**3,248.79**	**1,172.40**	
सकल योग (i), (ii) व (iii)		**6,950.90**	**5,788.38**	**2,512.75**		**4,815.43**	**5,516.00**	**1,318.85**	

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकडें।

परिशिष्ट-6

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.3; पृष्ठ 18)

महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

2017-18

पंचायती समिति

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला
1.	निरमंड	कुल्लू
2.	आनी	कुल्लू
3.	चौंतड़ा	मंडी

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	नोर	निरमंड	कुल्लू
2.	तुनन	निरमंड	कुल्लू
3.	कोट	निरमंड	कुल्लू
4.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू
5.	सराहन	निरमंड	कुल्लू
6.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू
7.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू
8.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू
9.	देवगढ़	नग्गर	कुल्लू
10.	कोहिला	आनी	कुल्लू
11.	फनौटी	आनी	कुल्लू
12.	पोखरी	आनी	कुल्लू
13.	टकारसी	आनी	कुल्लू
14.	कराणा	आनी	कुल्लू
15.	तान्दी	गोहर	मंडी
16.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी
17.	नौण	गोहर	मंडी
18.	तुन्ना	गोहर	मंडी
19.	कुटाहची	गोहर	मंडी
20.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी
21.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी
22.	बन्दली	सुंदरनगर	मंडी
23.	खिलड़ा	सुंदरनगर	मंडी
24.	सुलपुर जबोठ	गोपालपुर	मंडी
25.	जमणी	गोपालपुर	मंडी
26.	धवाल	गोपालपुर	मंडी
27.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी

28.	धनालग	गोपालपुर	मंडी
29.	दारपा	गोपालपुर	मंडी
30.	पिपली	चौंतड़ा	मंडी
31.	गलू	चौंतड़ा	मंडी
32.	ऊटपुर	चौंतड़ा	मंडी
33.	ऐहजू	चौंतड़ा	मंडी
34.	सैन्थल पडैन	चौंतड़ा	मंडी
35.	सायरीं	कंडाघाट	सोलन

2018-19

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	स्वाड़	बैजनाथ	कांगड़ा
2.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा
3.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा
4.	बल्ला	भवारना	कांगड़ा
5.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
6.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
7.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
8.	मंदल	धर्मशाला	कांगड़ा
9.	बरवाला	धर्मशाला	कांगड़ा
10.	चलबाड़ा-2	फतेहपुर	कांगड़ा
11.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा
12.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा
13.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा
14.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा
15.	भपू	इंदौरा	कांगड़ा
16.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा
17.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा
18.	अप्पर ठेहरू	लम्बागांव	कांगड़ा
19.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा
20.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा
21.	कलुण्ड	भवारना	कांगड़ा
22.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
23.	सद्दू बडग्रां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
24.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
25.	डोल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
26.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा

27.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
28.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा
29.	मंमूह-गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा
30.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा
31.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा
32.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा
33.	क़स्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा
34.	कदोहा	प्रागपुर	कांगड़ा
35.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा
36.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा
37.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा
38.	ढुगियारी	रैत	कांगड़ा
39.	घरोह	रैत	कांगड़ा
40.	बंडी	रैत	कांगड़ा
41.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा
42.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा
43.	खंगसर	लाहौल	लाहौल-स्पिति
44.	मूलिंग	लाहौल	लाहौल-स्पिति
45.	गोंधला	लाहौल	लाहौल-स्पिति
46.	गोशाल	लाहौल	लाहौल-स्पिति
47.	केलांग	लाहौल	लाहौल-स्पिति
48.	दारचा	लाहौल	लाहौल-स्पिति
49.	कारदंग	लाहौल	लाहौल-स्पिति
50.	खुरीक	स्पिति	लाहौल-स्पिति
51.	लालूंग	स्पिति	लाहौल-स्पिति
52.	डेमुल	स्पिति	लाहौल-स्पिति
53.	लांगचा	स्पिति	लाहौल-स्पिति
54.	हल	स्पिति	लाहौल-स्पिति
55.	चेबडी	बसंतपुर	शिमला
56.	बैंश (पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला
57.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला
58.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला
59.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला
60.	ढाकगांव	छोहारा	शिमला
61.	खाबल	छोहारा	शिमला
62.	चडौली	चौपाल	शिमला
63.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला
64.	बावत	चौपाल	शिमला

65.	किरण	चौपाल	शिमला
66.	कुडू	जुब्बल कोटखाई	शिमला
67.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला
68.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला
69.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला
70.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला
71.	मंझोली	चौपाल	शिमला
72.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला
73.	भलोह	मशोबरा	शिमला
74.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला
75.	ढ़ली	मशोबरा	शिमला
76.	जुंगा	मशोबरा	शिमला
77.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला
78.	खमाडी	ननखड़ी	शिमला
79.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला
80.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला
81.	मोगडा	नारकंडा	शिमला
82.	करेवथी	नारकंडा	शिमला
83.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला
84.	सरपारा	रामपुर	शिमला
85.	नीरथ	रामपुर	शिमला
86.	देवठी	रामपुर	शिमला
87.	पुजारली-3	रोहडू	शिमला
88.	जगोठी	रोहडू	शिमला
89.	घोड़ना	ठियोग	शिमला
90.	घूण्ड	ठियोग	शिमला
91.	कुठार	ठियोग	शिमला
92.	ददास	ठियोग	शिमला
93.	बगैण	ठियोग	शिमला
94.	क्यार	ठियोग	शिमला

परिशिष्ट-7

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.4; पृष्ठ 18)

बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के मध्य अंतर का समाधान न करना

2017-18

1. ऐसे मामले जहां रोकड़ बही में बैंक पासबुक से कम शेष दर्शाया गया

(₹ लाख में)

पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2017	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2017	अंतर
1.	आनी	कुल्लू	56.76	54.31	2.45
2.	चौंतड़ा	मंडी	195.03	187.39	7.64
योग (i)			**251.79**	**241.70**	**10.09**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2017	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2017	अंतर
1.	तुन्ना	गोहर	मंडी	19.40	19.35	0.05
2.	नौण	गोहर	मंडी	26.43	23.86	2.57
3.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी	18.82	9.41	9.41
4.	तान्दी	गोहर	मंडी	24.15	17.13	7.02
5.	ऊटपुर	चौंतड़ा	मंडी	33.25	23.62	9.63
6.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन	27.41	0.01	27.40
7.	सायरीं	कंडाघाट	सोलन	9.89	0.01	9.88
8.	सकोड़ी	कंडाघाट	सोलन	10.53	0	10.53
9.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन	33.86	0	33.86
10.	बाशा	कंडाघाट	सोलन	14.43	0	14.43
11.	नालकां	धर्मपुर	सोलन	41.52	0	41.52
12.	जाडला	धर्मपुर	सोलन	37.26	0.01	37.25
13.	गोयला	धर्मपुर	सोलन	38.11	0	38.11
14.	कराणा	आनी	कुल्लू	23.56	23.44	0.12
15.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	39.23	12.72	26.51
16.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	26.69	26.05	0.64
17.	नोर	निरमंड	कुल्लू	20.81	16.54	4.27
18.	टकारसी	आनी	कुल्लू	12.50	10.22	2.28
19.	कोहिला	आनी	कुल्लू	16.70	15.41	1.29
20.	पोखरी	आनी	कुल्लू	6.07	5.95	0.12
योग (ii)				**480.62**	**203.73**	**276.89**

रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के मध्य अंतर का सारांश

(₹ लाख में)

क्रमांक	इकाई का प्रकार	इकाइयों की संख्या	रोकड़ बही व बैंक पासबुक में अंतर
1.	पंचायत समिति	2	10.09
2.	ग्राम पंचायत	20	276.89
योग		**22**	**286.98**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

2018-19

1. ऐसे मामले जहां बैंक पासबुक में रोकड़ बही की तुलना में कम शेष राशि दर्शाई गई

(₹ लाख में)

ज़िला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	अंतर
1.	हमीरपुर	63.51	77.48	13.97
2.	कांगड़ा स्थित धर्मशाला	2,225.17	3,192.79	967.62
योग (i)		**2,288.68**	**3,270.27**	**981.59**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	अंतर
1.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा	32.28	32.65	0.37
2.	ढाकगांव	छोहारा	शिमला	6.51	16.78	10.27
योग (ii)				**38.79**	**49.43**	**10.64**
सकल योग (i) तथा (ii)				**2,327.47**	**3,319.70**	**992.23**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

2. ऐसे मामले जहां बैंक पासबुक में रोकड़ बही की तुलना में अधिक शेष राशि दर्शाई गई

(₹ लाख में)

ज़िला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	अंतर
1.	हमीरपुर	299.61	167.87	131.74
2.	शिमला	772.94	484.95	287.99
योग (i)		**1,072.55**	**652.82**	**419.73**

पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	अंतर
1.	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	181.47	172.29	9.18
2.	लम्बागांव	कांगड़ा	107.01	83.53	23.48
3.	इंदौरा	कांगड़ा	352.61	337.19	15.42
4.	फतेहपुर	कांगड़ा	166.54	145.10	21.44
5.	ठियोग	शिमला	109.64	108.51	01.13
योग (ii)			**917.27**	**846.62**	**70.65**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	अंतर
1.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला	18.26	0	18.26
2.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	24.52	0	24.52
3.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	17.72	0	17.72
4.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला	8.66	0	8.66
5.	चडौली	चौपाल	शिमला	43.22	0	43.22
6.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला	39.35	0	39.35
7.	बावत	चौपाल	शिमला	39.75	0	39.75
8.	किरण	चौपाल	शिमला	42.91	0	42.91
9.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला	8.14	0	8.14
10.	ढाकगांव	छोहारा	शिमला	17.85	6.58	11.27
11.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला	17.32	0	17.32
12.	खाबल	छोहारा	शिमला	05.27	0	05.27
13.	मंझोली	चौपाल	शिमला	50.48	0	50.48
14.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला	28.95	0	28.95
15.	क्यार	जुब्बल कोटखाई	शिमला	38.15	0	38.15
16.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	12.44	0	12.44
17.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला	27.00	0	27.00
18.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला	25.12	0	25.12
19.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	06.25	0	06.25
20.	खंगटेडी	रोहड़ू	शिमला	15.68	0	15.68
21.	जगोठी	रोहड़ू	शिमला	16.87	0	16.87
22.	कटलाह	रोहड़ू	शिमला	14.12	0	14.12
23.	पुजारली-3	रोहड़ू	शिमला	17.61	0	17.61

24.	बैंश (पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला	11.68	0	11.68
25.	चेबड़ी	बसंतपुर	शिमला	16.39	0	16.39
26.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला	20.84	0	20.84
27.	खमाडी	ननखड़ी	शिमला	24.74	0	24.74
28.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला	16.79	0	16.79
29.	शिंगला	रामपुर	शिमला	22.14	0	22.14
30.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	33.03	0	33.03
31.	सरपारा	रामपुर	शिमला	24.74	0	24.74
32.	नीरथ	रामपुर	शिमला	15.34	0	15.34
33.	देवठी	रामपुर	शिमला	15.89	0	15.89
34.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	16.58	0	16.58
35.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	13.57	0	13.57
36.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	22.42	0	22.42
37.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा	20.02	0	20.02
38.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	17.85	0	17.85
39.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा	32.79	0	32.79
40.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा	13.88	0	13.88
41.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा	39.72	0	39.72
42.	गाहढ़	भवारना	कांगड़ा	7.18	0.01	7.17
43.	बल्ला	भवारना	कांगड़ा	15.21	0	15.21
44.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा	24.08	22.82	01.26
45.	कलुण्ड	भवारना	कांगड़ा	20.51	0	20.51
46.	सद्दू बडग्रां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	5.99	0	5.99
47.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	18.13	0	18.13
48.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	19.94	0	19.94
49.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा	0.90	0	0.90
50.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा	20.69	0	20.69
51.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	26.03	0	26.03
52.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा	9.10	0.01	9.09
53.	घरोह	रैत	कांगड़ा	8.84	0	8.84
54.	कडोआ	प्रागपुर	कांगड़ा	8.41	0	8.41
55.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा	23.96	0	23.96
56.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा	13.18	0	13.18
57.	क़स्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा	12.97	0	12.97
58.	मंदल	धर्मशाला	कांगड़ा	18.56	18.52	0.04
59.	बरवाला	धर्मशाला	कांगड़ा	04.03	0.01	04.02
60.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा	7.44	0	7.44
61.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा	11.53	0	11.53
62.	मंमूह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	12.70	0	12.70

63.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा	09.09	0	09.09
64.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	13.83	0	13.83
योग (iii)				**1,226.35**	**47.95**	**1,178.40**
सकल योग (i), (ii) व (ii)				**3,216.17**	**1,547.40**	**1,668.78**

रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के मध्य अंतर का सारांश

(₹ लाख में)

क्रमांक	इकाई का प्रकार	इकाइयों की संख्या	रोकड़ बही व बैंक पासबुक में अंतर
1.	जिला परिषद्	3	1,401.32
2.	पंचायत समिति	5	70.65
3.	ग्राम पंचायत	65	1,189.04
योग		**73**	**2,661.01**

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकडें।

परिशिष्ट-8

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.6(ii); पृष्ठ 22)

खाता 'क' में शराब उपकर जमा न करना

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	शराब उपकर की राशि
1.	देवठी	रामपुर	शिमला	0.29
2.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	3.37
3.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला	0.59
4.	सिंहल	नारकंडा	शिमला	0.49
5.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	0.57
6.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	0.35
7.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	2.94
8.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	1.27
9.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	0.88
10.	शिंगला	रामपुर	शिमला	1.51
योग				**12.26**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूर्ति किये गए आंकडें।

परिशिष्ट-9

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.9; पृष्ठ 23)

2017-18 के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री का लेखांकन न करने का विवरण

ग्राम पंचायतें

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	खरीद की अवधि	राशि
1.	कोहिला	आनी	कुल्लू	2014-17	4.96
2.	पोखरी	आनी	कुल्लू	2011-16	2.73
3.	फनौटी	आनी	कुल्लू	2011-14	3.36
4.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू	2012-14	2.15
5.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू	2012-17	9.43
6.	देवगढ़	नग्गर	कुल्लू	2012-14	2.99
7.	नोर	निरमंड	कुल्लू	2012-14	2.32
8.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	2015-17	4.07
9.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	2012-14	5.63
10.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	2012-14	3.08
11.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	2015-16	0.11
12.	दारपा	गोपालपुर	मंडी	2017	2.91
योग					**43.74**

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकडें।

परिशिष्ट-10

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.10; पृष्ठ 24)

भौतिक सत्यापन न करना

2017-18			
क्रमांक	**पंचायत समिति का नाम**		**जिले का नाम**
1.	चौंतड़ा		मंडी
क्रमांक	**ग्राम पंचायत का नाम**	**खण्ड का नाम**	**जिले का नाम**
1.	शिरड	नग्गर	कुल्लू
2.	सराहन	निरमंड	कुल्लू
3.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू
4.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू
5.	नोर	निरमंड	कुल्लू
6.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू
7.	तुनन	निरमंड	कुल्लू
8.	कोट	निरमंड	कुल्लू
9.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू
10.	देवगढ़	नग्गर	कुल्लू
11.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन

2018-19			
क्रमांक	**ग्राम पंचायत का नाम**	**खण्ड का नाम**	**जिले का नाम**
1.	मंमूह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा
2.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
3.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
4.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
5.	सद्दू बडग्रां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
6.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा
7.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा
8.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा
9.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा
10.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा
11.	चलबाड़ा-2	फतेहपुर	कांगड़ा
12.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा
13.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा
14.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा
15.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
16.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा

17.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा
18.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा
19.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा
20.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा
21.	स्वाड	बैजनाथ	कांगड़ा
22.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा
23.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा
24.	ढुगियारी	रैत	कांगड़ा
25.	बंडी	रैत	कांगड़ा
26.	घरोह	रैत	कांगड़ा
27.	क़स्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा
28.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा
29.	घूण्ड	ठियोग	शिमला
30.	ददास	ठियोग	शिमला
31.	कुठार	ठियोग	शिमला
32.	घोड़ना	ठियोग	शिमला
33.	बगैण	ठियोग	शिमला
34.	क्यार	ठियोग	शिमला
35.	सिंहल	नारकंडा	शिमला
36.	करेवथी	नारकंडा	शिमला
37.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला
38.	ढली	मशोबरा	शिमला
39.	भलोह	मशोबरा	शिमला
40.	जुंगा	मशोबरा	शिमला
41.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला
42.	केलांग	लाहौल	लाहौल-स्पिति
43.	बरबोग	लाहौल	लाहौल-स्पिति
44.	गोशाल	लाहौल	लाहौल-स्पिति
45.	खंगसर	लाहौल	लाहौल-स्पिति
46.	मूलिंग	लाहौल	लाहौल-स्पिति
47.	गोंधला	लाहौल	लाहौल-स्पिति

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-11

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.1; पृष्ठ 25)

संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा आवास कर की वसूली न करने का विवरण

(₹ लाख में)

2017-18				
क्रमांक	**ग्राम पंचायत का नाम**	**खण्ड का नाम**	**जिले का नाम**	**राशि**
1.	नोर	निरमंड	कुल्लू	0.39
2.	कोट	निरमंड	कुल्लू	0.61
3.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	0.40
4.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	0.27
5.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	0.46
6.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू	0.15
7.	शिरड़	नग्गर	कुल्लू	0.09
8.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू	0.15
9.	देवगढ़	नग्गर	कुल्लू	0.28
10.	पोखरी	आनी	कुल्लू	0.59
11.	फनौटी	आनी	कुल्लू	0.41
12.	कोहिला	आनी	कुल्लू	0.66
13.	कराणा	आनी	कुल्लू	0.29
14.	सायरीं	कंडाघाट	सोलन	0.64
15.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन	0.62
16.	जाडला	धर्मपुर	सोलन	0.42
17.	भावगुढी	धर्मपुर	सोलन	0.23
18.	नालकां	धर्मपुर	सोलन	0.25
19.	गोयला	धर्मपुर	सोलन	0.83
20.	चम्मों	धर्मपुर	सोलन	0.15
21.	बन्दली	सुंदरनगर	मंडी	0.15
22.	खिलड़ा	सुंदरनगर	मंडी	0.20
23.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	0.43
24.	धवाल	सुंदरनगर	मंडी	0.33
25.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी	0.28
26.	जमणी	गोपालपुर	मंडी	0.85
27.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी	0.16
28.	सुलपुर जबोठ	गोपालपुर	मंडी	0.58
29.	दारपा	गोपालपुर	मंडी	0.35
30.	पिपली	चौंतड़ा	मंडी	0.63
31.	ऐहजू	चौंतड़ा	मंडी	0.53
32.	सैन्थल पडैन	चौंतड़ा	मंडी	0.02
33.	गलू	चौंतड़ा	मंडी	0.42

34.	ऊटपुर	चौंतड़ा	मंडी	0.79
35.	तान्दी	गोहर	मंडी	0.54
36.	कुटाहची	गोहर	मंडी	0.30
37.	तुन्ना	गोहर	मंडी	0.59
38.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी	0.26
39.	नौण	गोहर	मंडी	0.66
योग				**15.96**

2018-19				
क्रमांक	**ग्राम पंचायत का नाम**	**खण्ड का नाम**	**जिले का नाम**	**राशि**
1.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला	0.22
2.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	0.06
3.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	0.58
4.	क्यार	जुब्बल कोटखाई	शिमला	1.45
5.	कुडू	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.85
6.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.03
7.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.35
8.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.24
9.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.35
10.	जुंगा	मशोबरा	शिमला	0.10
11.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला	0.28
12.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला	0.15
13.	ढली	मशोबरा	शिमला	0.32
14.	घोड़ना	ठियोग	शिमला	2.03
15.	कुठार	ठियोग	शिमला	1.22
16.	ददास	ठियोग	शिमला	0.20
17.	बगैण	ठियोग	शिमला	0.77
18.	क्यार	ठियोग	शिमला	0.53
19.	घूण्ड	ठियोग	शिमला	1.36
20.	मझोली	चौपाल	शिमला	0.94
21.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला	0.39
22.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला	0.84
23.	सरपारा	रामपुर	शिमला	1.16
24.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	0.73
25.	देवठी	रामपुर	शिमला	1.16
26.	नीरथ	रामपुर	शिमला	0.41
27.	शिंगला	रामपुर	शिमला	0.67
28.	बावत	चौपाल	शिमला	0.52

29.	किरण	चौपाल	शिमला	0.49
30.	चडौली	चौपाल	शिमला	0.56
31.	खाबल	छोहारा	शिमला	0.24
32.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला	0.94
33.	ढ़ाकगांव	छोहारा	शिमला	0.56
34.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला	1.11
35.	खंगटेड़ी	रोहडू	शिमला	0.07
36.	पुजारली-3	रोहडू	शिमला	0.06
37.	जगोठी	रोहडू	शिमला	0.07
38.	खमाडी	ननखड़ी	शिमला	0.31
39.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला	0.44
40.	खमाडी	ननखड़ी	शिमला	0.31
41.	बैंश(पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला	0.15
42.	चेबड़ी	बसंतपुर	शिमला	0.44
43.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला	0.03
44.	क़स्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा	0.01
45.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा	0.57
46.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा	0.16
47.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	0.47
48.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	0.05
49.	खुण्डिया	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	0.19
50.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा	0.68
51.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	0.06
52.	स्वाड	बैजनाथ	कांगड़ा	0.05
53.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा	0.14
54.	सद्दू बड़ग्रां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	0.94
55.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	0.86
56.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	0.52
57.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	0.48
58.	डोल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	0.78
59.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	1.06
60.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा	0.23
61.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा	0.27
62.	ढ़ुगियारी	रैंत	कांगड़ा	0.22
63.	घरोह	रैंत	कांगड़ा	0.45
64.	कडोआ	प्रागपुर	कांगड़ा	0.03
65.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा	0.09

66.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	0.27
67.	मंदल	धर्मशाला	कांगड़ा	0.66
68.	बरवाला	धर्मशाला	कांगड़ा	1.81
69.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	0.38
70.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा	0.22
71.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा	0.49
72.	भपू	इंदौरा	कांगड़ा	0.15
73.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	0.07
74.	चलबाड़ा-2	फतेहपुर	कांगड़ा	0.81
75.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा	1.81
76.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	0.08
77.	अप्पर ठेहरू	लम्बागांव	कांगड़ा	0.03
78.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा	0.06
79.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा	0.04
80.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा	0.42
81.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा	0.23
82.	मंमूह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	0.31
83.	गाहढ़	भवारना	कांगड़ा	0.21
84.	खंगसर	लाहौल	लाहौल-स्पिति	0.43
85.	मूलिंग	लाहौल	लाहौल-स्पिति	0.12
86.	गोंधला	लाहौल	लाहौल-स्पिति	0.12
87.	खुरीक	स्पिति	लाहौल-स्पिति	0.06
88.	लालूंग	स्पिति	लाहौल-स्पिति	0.13
89.	डेमुल	स्पिति	लाहौल-स्पिति	0.07
90.	गोशाल	लाहौल	लाहौल-स्पिति	0.22
91.	केलांग	लाहौल	लाहौल-स्पिति	0.95
92.	दारचा	लाहौल	लाहौल-स्पिति	0.20
93.	कारदंग	लाहौल	लाहौल-स्पिति	0.04
94.	बरबोग	लाहौल	लाहौल-स्पिति	0.32
योग				**42.67**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाई द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-12

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.2; पृष्ठ 25)

दुकानों के बकाया किराए का विवरण

(₹ लाख में)

2017-18					
ज़िला परिषद्					
क्रमांक	**जिला परिषद् का नाम**	**अवधि**		**दुकानों की संख्या**	**राशि**
1.	कुल्लू	05/2017 से 07/2017		3	0.17
2.	मंडी	2016-17		8	7.69
योग (i)				**11**	**7.86**
पंचायत समिति					
क्रमांक	**पंचायत समिति का नाम**	**जिला**	**अवधि**	**दुकानों की संख्या**	**राशि**
1.	आनी	कुल्लू	2013-17	4	0.16
योग (ii)				**4**	**0.16**
ग्राम पंचायतें					
क्रमांक	**ग्राम पंचायतों के नाम**	**खण्ड का नाम**	**जिले का नाम**	**अवधि**	**दुकानों की संख्या**	**राशि**
1.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	2015-17	4	0.36
2.	सायरीं	कंडाघाट	सोलन	2013 -17	1	0.91
3.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन	---	--	0.65
4.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी	2014-17	5	0.05
योग (iii)					**10**	**1.97**
सकल योग (i), (ii) तथा (iii)					**25**	**9.99**

2018-19

(₹ लाख में)

ज़िला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
1.	कांगड़ा स्थित धर्मशाला	2014-18	01	01.83
		योग (i)	**01**	**01.83**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतों के नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
1.	खंगटेडी	रोहड़ू	शिमला	2016-18	06	0.07
2.	जुंगा	मशोबरा	शिमला	2008-18	04	1.24
3.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला	2009-18	02	4.11
4.	शिंगला	रामपुर	शिमला	2017-18	03	0.12
5.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	2006-18	02	0.13
6.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा	2014-18	14	1.24
7.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा	2016-18	05	0.46
8.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	------	05	0.42
9.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	2013-18	03	0.19
			योग (ii)		**44**	**07.98**
			सकल योग (i) तथा (ii)		**45**	**09.81**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-13

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.3; पृष्ठ 26)

ग्राम पंचायत क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना/ नवीकरण हेतु शुल्क की वसूली न होने का विवरण

2017-18

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	टावरों की संख्या	स्थापना वर्ष	राशि
1.	जाडला	धर्मपुर	सोलन	1	--	0.10
2.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन	6	2014-15	0.24
3.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन	1	2010-11	0.14
4.	बाशा	कंडाघाट	सोलन	1	2013-14	0.08
5.	सकोड़ी	कंडाघाट	सोलन	1	2014-15	0.06
6.	धनालग	गोपालपुर	मंडी	2	2009-13	0.30
7.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	1	--	0.08
8.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू	3	2005-07	0.94
9.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू	2	2010-11	0.13
10.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	1	2009	0.22
11.	टकारसी	आनी	कुल्लू	2	2010-15	0.15
12.	कराणा	आनी	कुल्लू	1	2004	0.34
योग				**22**	**2004-15**	**2.78**

2018-19

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	टावरों की संख्या	स्थापना वर्ष	राशि
1.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	02	2016-18	0.23
2.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	02	2013-18	0.24
3.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला	01	2009-18	0.18
4.	खमाडी	ननखड़ी	शिमला	-	2013-18	0.03
5.	देवठी	रामपुर	शिमला	01	2017-18	0.08
6.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	02	2008-18	0.38
7.	सरपारा	रामपुर	शिमला	01	2008-18	0.32
8.	चेबड़ी	बसंतपुर	शिमला	01	2008-18	0.28
9.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला	02	2012-18	0.30
10.	पुजारली(बियुलिया)	मशोबरा	शिमला	03	2008-18	0.42
11.	जुंगा	मशोबरा	शिमला	01	2017-18	0.22
12.	ददास	ठियोग	शिमला	04	2009-18	0.20
13.	घोड़ना	ठियोग	शिमला	01	2010-18	0.18
14.	घूण्ड	ठियोग	शिमला	04	2005-18	0.28

15.	कुठार	ठियोग	शिमला	01	2013-18	0.08
16.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	-	2016-18	0.05
17.	ढ़ाकगांव	छोहारा	शिमला	-	2015-17	0.04
18.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	01	2012-18	0.16
19.	घरोह	रैंत	कांगड़ा	01	2016-18	0.03
20.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	03	2009-17	0.58
21.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा	01	2008-18	0.64
22.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	01	2010-18	0.54
23.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	01	2008-18	0.09
24.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	02	2005-18	0.71
25.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	01	2012-18	0.17
26.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा	07	2010-18	1.18
27.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा	01	2014-18	0.07
28.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	03	2009-18	0.75
29.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा	02	2001-18	0.74
30.	ममूंह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	02	2009-18	0.42
31.	भपू	इंदौरा	कांगड़ा	01	2014-18	0.10
32.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा	01	2013-18	0.15
33.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा	02	2013-18	0.18
34.	खुरीक	स्पिति	लाहौल-स्पिति	01	2008-18	0.27
35.	दारचा	लाहौल	लाहौल-स्पिति	01	2008-09	0.22
36.	गोशाल	लाहौल	लाहौल-स्पिति	01	2008-18	0.22
योग				**59**		**10.73**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-14

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.4; पृष्ठ 27)

टी.डी.एस. की कटौती न करना

(राशि ₹ में)

2017-18					
क्रमांक	**जिला परिषद् का नाम**			**भुगतान की गई राशि**	**कटौती हेतु अपेक्षित टी.डी.एस @ 2%**
1.	सोलन			10,05,918	20,118
	योग (i)			**1,005,918**	**20,118**
क्रमांक	**ग्राम पंचायत का नाम**	**खंड**	**जिला**	**भुगतान की गई राशि**	**कटौती हेतु अपेक्षित टी.डी.एस @ 2%**
1.	पोखरी	आनी	कुल्लू	6,90,000	13,800
2.	कराणा	आनी	कुल्लू	98,000	1,960
3.	टकारसी	आनी	कुल्लू	2,18,000	4,360
4.	फनौटी	आनी	कुल्लू	6,32,000	12,640
5.	नोर	निरमंड	कुल्लू	1,62,000	3,240
6.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	6,54,050	13,081
7.	कोट	निरमंड	कुल्लू	2,03,750	4,075
योग(ii)				**26,57,800**	**53,156**
सकल योग (i) व (ii)				**36,63,718**	**73,274**

2018-19					
क्रमांक	**ग्राम पंचायत का नाम**	**खंड**	**जिला**	**भुगतान की गई राशि**	**कटौती हेतु अपेक्षित टी.डी.एस (@ 1% या 2%)**
1.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला	5,11,550	10,231
2.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला	14,31,000	14,310
3.	चडौली	चौपाल	शिमला	6,71,600	13,432
4.	देवठी	रामपुर	शिमला	13,05,300	13,053
5.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला	7,16,150	7,162
6.	बैंश (पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला	13,04,742	13,047
7.	चेबड़ी	बसंतपुर	शिमला	2,00,000	2,000
8.	खमाडी	ननखड़ी	शिमला	2,48,500	4,970
9.	खाबल	छोहारा	शिमला	2,53,100	2,531
10.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	65,000	13,00
योग				**67,06,942**	**82,036**
कुल टी॰डी॰एस॰ (2017-18 व 2018-19) - ₹1,55,310					

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-15(i)

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 27)

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रारंभ न करने के कारण निधियों का अवरोधन 2017-18

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिले का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	नालकां	सोलन	2016-17	2	2.54	--	2.54
2.	जाडला	सोलन	2016-17	3	4.00	--	4.00
3.	गोयला	सोलन	2015-16	1	0.50	--	0.50
4.	भावगुढी	सोलन	2016-17	5	8.00	--	8.00
5.	सकोड़ी	सोलन	2016-17	3	6.48	--	6.48
6.	सैन्थल पडैन	मंडी	2013-14	2	1.50	--	1.50
7.	कराणा	कुल्लू	2015-16	3	3.00	--	3.00
योग				**19**	**26.02**	**-**	**26.02**

परिशिष्ट-15 (ii)

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 28)

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रारंभ न करने के कारण निधियों का अवरोधन 2018-19

(₹ लाख में)

पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	रोहड़ू	शिमला	2017-19	18	10.25	-	10.25
योग (i)				**18**	**10.25**	**-**	**10.25**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिले का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	शिंगला	शिमला	2011-12	01	1.0	-	1.00
2.	खमाडी	शिमला	2012-13	01	1.29	-	1.29
3.	बैंश (पिपलीधार)	शिमला	2013-16	02	1.30	-	1.30
4.	खाबल	शिमला	2015-17	02	1.35	-	1.35
5.	मोगडा	शिमला	2015-16	01	0.77	-	0.77
6.	रामनगर	शिमला	2017-18	01	5.00	-	5.00
7.	मझोली टिप्पर	शिमला	2013-17	02	02.49	-	2.49
8.	पुजारली (बियुलिया)	शिमला	2009-18	07	5.39	-	5.39

9.	चेबड़ी	शिमला	2016-17	01	2.0	-	2.0
10.	जयपीडी माता	शिमला	2016-18	02	01.50	-	1.50
11.	मलैण्डी	शिमला	2016-17	01	1.0	-	1.0
12.	सरपारा	शिमला	2014-15	01	1.0	-	1.0
13.	जुंगा	शिमला	2009-18	13	11.77	-	11.77
14.	पुजारली-3	शिमला	2017-18	04	3.00	-	3.00
15.	भलोह	शिमला	2007-11	01	0.63	-	0.63
16.	नालदेहरा	शिमला	2009-18	07	05.38	-	5.38
17.	दीउदीमा	शिमला	2016-17	01	0.59	-	0.59
18.	घोड़ना	शिमला	2012-18	07	06.50	-	6.50
19.	करेवथी	शिमला	2016-17	01	01.47	-	1.47
20.	गोरली मडोग	शिमला	2015-18	03	02.50	-	2.50
21.	क्यार	शिमला	2012-18	06	07.00	-	7.00
22.	चडौली	शिमला	2015-16	01	0.39	-	0.39
23.	किरण	शिमला	2015-18	03	0.84	-	0.84
24.	देवठी	शिमला	2014-17	04	04.50	-	4.50
25.	झकलेड़	कांगड़ा	2017-18	01	2.50	-	2.50
26.	नरेना	कांगड़ा	2016-17	01	0.30	-	0.30
27.	जांगल	कांगड़ा	2016-17	01	1.50	-	1.50
28.	बढ़ल	कांगड़ा	2017-19	04	03.42	-	3.42
29.	गंगोट	कांगड़ा	2016-17	01	02.00	-	2.00
30.	ककडै	कांगड़ा	2017-18	01	5.00	-	5.00
31.	सद्दू बडग्रां	कांगड़ा	2013-14	01	0.60	-	0.60
32.	खैरा	कांगड़ा	2017-18	02	04.50	-	4.50
33.	मंदल	कांगड़ा	2015-18	05	08.50	-	8.50
34.	बलोर	कांगड़ा	2016-17	01	2.0	-	2.0
35.	भपू	कांगड़ा	2017-18	01	0.40	-	0.40
36.	बलोल	कांगड़ा	2016-17	01	0.70	-	0.70
37.	सलिहार	कांगड़ा	2017-18	01	0.80	-	0.80
योग (ii)				**94**	**100.88**	**-**	**100.88**
सकल योग (i) व (ii)				**112**	**111.13**	**-**	**111.13**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-16(i)

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 29)

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य पूर्ण न करने के कारण निधियों का अवरोधन

2017-18

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति नाम	जिले का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	निरमंड	कुल्लू	2016-17	10.00	29.00	12.60	16.40
योग				**10.00**	**29.00**	**12.60**	**16.40**
क्रमांक	**ग्राम पंचायत का नाम**	**जिले का नाम**	**अवधि**	**कार्यों की संख्या**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**राशि**
1.	हिन्नर	सोलन	2013-14	4	3.20	03.00	0.20
2.	चम्मों	सोलन	2011-15	14	21.45	15.15	6.30
3.	जाडला	सोलन	2014-16	6	12.75	4.97	7.78
4.	सायरीं	सोलन	2011-17	14	23.84	11.12	12.72
5.	गोयला	सोलन	2014-17	25	20.32	7.96	12.36
6.	भावगुढी	सोलन	2013-16	19	28.40	11.96	16.44
7.	वाकनां	सोलन	2016-17	3	9.00	4.26	4.74
8.	नालकां	सोलन	2016-17	10	15.75	6.25	9.50
9.	सकोड़ी	सोलन	--	1	5.00	4.50	0.50
10.	बाशा	सोलन	2012-16	5	4.80	2.01	2.79
11.	कराडसू	कुल्लू	2015-16	2	6.00	4.25	1.75
12.	पोखरी	कुल्लू	2013-14	1	2.50	2.01	0.49
13.	मंडलगढ़	कुल्लू	2015-16	3	6.00	1.68	4.32
14.	शिरड़	कुल्लू	2015-16	1	2.00	0.91	1.09
योग				**108**	**161.01**	**80.03**	**80.98**
सकल योग (i) व (ii)				**118**	**190.01**	**92.63**	**97.38**

परिशिष्ट-16(ii)

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 29)

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य पूर्ण न करने के कारण निधियों का अवरोधन

2018-19

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिले का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	डेमुल	लाहौल-स्पिति	2016-17	02	11.00	01.69	09.31
2.	हल	लाहौल-स्पिति	2016-17	01	0.50	0.25	0.25
3.	लांगजा	लाहौल-स्पिति	2011-12	01	02.50	0.45	02.05
4.	चेबड़ी	शिमला	2015-17	03	03.50	01.66	01.84
5.	मझोली टिप्पर	शिमला	2012-18	09	16.49	07.06	09.43
6.	कांडा बनाह	शिमला	2016-17	01	03.00	0.90	02.10
7.	खमाडी	शिमला	2015-17	03	03.30	02.43	0.87
8.	पुजारली-3	शिमला	2014-15	01	01.00	0.50	0.50
9.	चलाहल	शिमला	2015-16	01	01.60	01.17	0.43
10.	शिंगला	शिमला	2015-17	04	11.90	11.48	0.42
11.	गोरली मडोग	शिमला	2011-18	05	05.00	02.28	02.72
12.	क्यार	शिमला	2007-08	01	05.00	01.00	04.00
13.	दत्तनगर	शिमला	2016-17	02	03.00	02.83	0.17
14.	देवठी	शिमला	2017-18	04	05.60	04.78	0.82
15.	नालदेहरा	शिमला	2016-18	05	10.00	06.00	04.00
16.	खंगटेडी	शिमला	2015-18	02	09.14	07.64	01.50
17.	किरण	शिमला	2013-18	10	13.25	04.29	08.96
18.	सरपारा	शिमला	2015-16	01	01.50	01.50	0
19.	नीरथ	शिमला	2016-17	02	12.65	06.91	05.74
20.	चडौली	शिमला	2014-17	02	05.50	01.00	04.50
21.	बढ़ल	कांगड़ा	2017-18	11	20.15	12.07	08.08
22.	गंगोट	कांगड़ा	2016-18	03	09.00	04.24	04.76
23.	खैरा	कांगड़ा	2017-18	01	03.00	01.87	01.13
24.	पोलिंग	कांगड़ा	2017-18	01	05.00	03.18	01.82
25.	डोल	कांगड़ा	2017-18	04	05.65	04.78	0.87

26.	चलबाड़ा-2	कांगड़ा	2016-18	02	02.65	01.62	01.03
27.	ककडै	कांगड़ा	2014-16	03	02.50	01.95	0.55
28.	बल्ला	कांगड़ा	2015-17	04	08.75	06.68	02.07
29.	मकड़ोली	कांगड़ा	2017-18	01	0.50	0.30	0.20
30.	दियाणा	कांगड़ा	2017-18	03	02.90	01.80	01.10
31.	मिलख	कांगड़ा	2017-18	02	01.20	0.27	0.93
32.	सलिहार	कांगड़ा	2015-16	01	0.45	0.12	0.33
33.	नरेना	कांगड़ा	2017-18	02	07.90	07.39	0.51
34.	गुरलधार	कांगड़ा	2017-18	01	0.80	00	0.80
35.	हटवास	कांगड़ा	2017-18	02	0.70	0.25	0.45
36.	कोठी	कांगड़ा	2011-12	01	01.50	0.90	0.60
37.	कोटलू	कांगड़ा	2014-18	05	04.90	03.10	01.80
38.	कड़ोआ	कांगड़ा	2014-18	06	06.40	03.63	02.77
39.	रैहन	कांगड़ा	2017-18	02	01.90	01.33	0.57
40.	सद्दू बडग्रां	कांगड़ा	2014-15	01	10.00	06.50	03.50
41.	लादोह	कांगड़ा	2013-14	01	0.40	0.20	0.20
42.	उसतेहड़	कांगड़ा	2014-17	02	03.75	02.27	01.48
43.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	2017-18	01	0.50	0.28	0.22
44.	स्वाड	कांगड़ा	2017-18	01	08.00	05.16	02.84
योग				**121**	**233.93**	**135.70**	**98.23**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-17

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 30)

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण

पंचायत समिति

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	अवधि	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी की गई निधियां	शेष राशि
1.	कंडाघाट	सोलन	2014-15	3	11.43	9.60	1.83
2.	गोपालपुर	मंडी	2014-16	52	17.36	12.24	5.12
3.	गोहर	मंडी	2012-17	38	18.59	12.53	6.06
4.	निरमंड	कुल्लू	2014-15	5	12.45	6.20	6.25
5.	नग्गर	कुल्लू	2015-16	30	47.80	16.81	30.99
योग				**128**	**107.63**	**57.38**	**50.25**

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकडें।

परिशिष्ट-18 (i)

(संदर्भ परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 32)

अपूर्ण कार्यों के कारण 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण 2017-18

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष राशि
1.	सायरीं	कंडाघाट	सोलन	2015-17	13.96	1.77	12.19
2.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन	2015-17	20.75	0.16	20.59
3.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू	2015-17	18.62	0.75	17.87
4.	शिरड़	नग्गर	कुल्लू	2015-17	15.80	6.74	9.06
5.	देवगढ़	नग्गर	कुल्लू	2016-17	18.68	6.04	12.64
6.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू	2015-17	23.65	2.83	20.82
7.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू	2015-17	31.19	0.58	30.61
8.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	2015-17	24.68	10.08	14.60
9.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	2015-17	14.22	3.69	10.53
10.	नोर	निरमंड	कुल्लू	2015-16	11.21	4.40	6.81
11.	कोट	निरमंड	कुल्लू	2015-17	24.28	9.39	14.89
12.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	2015-17	15.49	2.67	12.82
13.	टकारसी	आनी	कुल्लू	2015-17	13.09	4.52	8.57
14.	पोखरी	आनी	कुल्लू	2015-17	11.21	6.50	4.71
15.	कराणा	आनी	कुल्लू	2015-17	19.55	13.45	6.10
16.	तुन्ना	गोहर	मंडी	2015-17	13.23	5.82	7.41
17.	कुटाहची	गोहर	मंडी	2015-17	11.65	10.05	1.60
18.	नौण	गोहर	मंडी	2015-17	17.98	4.25	13.73
19.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी	2015-17	14.73	4.37	10.36
20.	तान्दी	गोहर	मंडी	2015-17	12.79	2.19	10.60
21.	धवाल	सुंदरनगर	मंडी	2015-17	19.73	3.13	16.60
22.	खिलड़ा	सुंदरनगर	मंडी	2015-17	15.84	7.55	8.29
23.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	2015-17	14.60	0.18	14.42
24.	बन्दली	सुंदरनगर	मंडी	2015-17	17.23	15.98	1.25
25.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी	2015-17	16.33	6.77	9.56
26.	ऐहजू	चौंतड़ा	मंडी	2016-17	18.42	3.25	15.17
27.	ऊटपुर	चौंतड़ा	मंडी	2016-17	17.66	2.95	14.71
28.	गलू	चौंतड़ा	मंडी	2016-17	13.11	3.23	9.88
योग					**479.68**	**143.29**	**336.39**

परिशिष्ट-18 (ii)

(संदर्भ परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 33)

अपूर्ण कार्यों के कारण 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण 2018-19

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष राशि
1.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा	2015-18	50.36	16.24	34.12
2.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा	2015-18	14.99	4.57	10.42
3.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	2015-18	27.53	12.01	15.52
4.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	2015-18	32.36	22.04	10.32
5.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	2015-18	15.60	09.61	05.99
6.	चलबाड़ा-2	फतेहपुर	कांगड़ा	2015-18	15.95	10.96	04.99
7.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा	2015-18	60.94	30.42	30.52
8.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा	2015-18	17.72	14.27	03.45
9.	भपू	इंदौरा	कांगड़ा	2015-18	36.09	26.78	09.31
10.	बलोर	इंदौरा	कांगड़ा	2015-18	21.12	15.74	05.38
11.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	2015-18	15.45	06.95	08.50
12.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	2015-18	24.86	21.80	03.06
13.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	2015-18	18.10	13.84	04.26
14.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	2015-18	37.56	22.98	14.58
15.	सद्दू बडग्रां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	2015-18	15.65	09.64	06.01
16.	ममूंह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	2015-18	38.69	29.98	08.71
17.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा	2015-18	18.18	05.16	13.02
18.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा	2015-18	35.47	27.06	08.41
19.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा	2015-18	25.85	07.52	18.33
20.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा	2015-18	22.59	21.68	0.91
21.	घरोह	रैत	कांगड़ा	2015-18	41.49	29.43	12.06
22.	बंडी	रैत	कांगड़ा	2015-18	17.15	14.24	02.91
23.	ढुगियारी	रैत	कांगड़ा	2015-18	16.95	07.42	09.53
24.	बल्ला	भवारना	कांगड़ा	----	14.66	04.13	10.53
25.	डोल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2015-18	33.16	10.69	22.47
26.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2015-18	24.27	04.32	19.95
27.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2015-18	32.01	08.47	23.54
28.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा	2016-18	10.97	10.65	0.32
29.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	2015-18	25.72	13.57	12.15
30.	स्वाड	बैजनाथ	कांगड़ा	2015-18	38.20	17.11	21.09

31.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा	----	28.76	04.19	24.57
32.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा	----	18.31	04.70	13.61
33.	अप्पर ठेहरू	लम्बागांव	कांगड़ा	----	14.55	03.62	10.93
34.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	2015-18	41.17	10.37	30.80
35.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा	2015-18	16.04	05.72	10.32
36.	क़स्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा	2015-18	12.74	05.95	06.79
37.	खुरीक	स्पिति	लाहौल-स्पिति	2016-17	03.96	02.79	01.17
38.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2016-17	0.75	0.40	0.35
39.	किरण	चौपाल	शिमला	2016-17	09.00	06.29	02.71
40.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	2017-18	06.10	02.36	03.74
41.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा	2017-18	04.00	02.42	01.58
42.	पुजारली-3	रोहड़ू	शिमला	2016-18	22.69	17.16	05.53
43.	हल	स्पिति	लाहौल-स्पिति	2016-17	01.94	0.43	01.51
44.	लांगजा	स्पिति	लाहौल-स्पिति	2016-17	02.64	01.74	0.90
45.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा	2017-18	01.48	0.92	0.56
46.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	2017-18	0.60	0.04	0.56
47.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	2017-18	05.00	04.91	0.09
48.	खंगटेडी	रोहड़ू	शिमला	2015-18	25.73	16.90	08.83
49.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा	2016-17	03.00	0.28	02.72
50.	कड़ोआ	प्रागपुर	कांगड़ा	2016-18	05.80	03.79	02.01
योग					**1,023.90**	**544.26**	**479.64**

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकडें।

परिशिष्ट-19 (i)

(संदर्भ परिच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 33)

कार्य प्रारंभ न करने के कारण 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण 2017-18

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष राशि
1.	सकोड़ी	कंडाघाट	सोलन	2015-17	7.27	--	7.27
2.	बाशा	कंडाघाट	सोलन	2016-17	6.71	--	6.71
3.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन	2015-17	23.95	--	23.95
योग					**37.93**	--	**37.93**

परिशिष्ट-19 (ii)

(संदर्भ परिच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 33)

कार्य प्रारंभ न करने के कारण 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण 2018-19

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत के नाम	खंड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष राशि
1.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	2016-18	02.50	00	02.50
2.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	2017-18	07.80	00	07.80
3.	लांगजा	स्पिति	लाहौल-स्पिति	2016-17	0.76	00	0.76
4.	हल	स्पिति	लाहौल-स्पिति	2016-17	03.00	00	03.00
5.	डेमुल	स्पिति	लाहौल-स्पिति	2016-17	16.51	00	16.51
6.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2016-18	05.30	00	05.30
7.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला	2015-16	01.25	00	01.25
योग					**37.12**	**00**	**37.12**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-20

(संदर्भ परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 34)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अप्रयुक्त रहे निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	प्राप्ति	व्यय	शेष राशि
1.	नौण	गोहर	मंडी	0.19	0.13	0.06
2.	कुटाहची	गोहर	मंडी	0.10	0.01	0.09
3.	तान्दी	गोहर	मंडी	0.15	-	0.15
4.	तुन्ना	गोहर	मंडी	0.15	-	0.15
5.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी	0.34	-	0.34
6.	सैन्थल पडैन	चौंतड़ा	मंडी	0.20	0.04	0.16
7.	गलू	चौंतड़ा	मंडी	0.10	-	0.10
8.	ऊंटपुर	चौंतड़ा	मंडी	0.20	-	0.20
9.	ऐहजू	चौंतड़ा	मंडी	0.20	-	0.20
10.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी	0.10	-	0.10
11.	जमणी	गोपालपुर	मंडी	0.20	-	0.20
12.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	0.15	-	0.15
13.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी	0.14	-	0.14
14.	कराणा	आनी	कुल्लू	0.20	-	0.20
15.	कोहिला	आनी	कुल्लू	0.10	-	0.10
16.	पोखरी	आनी	कुल्लू	0.20	-	0.20
17.	टकारसी	आनी	कुल्लू	0.25	-	0.25
18.	फनौटी	आनी	कुल्लू	0.10	-	0.10
19.	शिरड़	नग्गर	कुल्लू	0.20	-	0.20
20.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू	0.20	-	0.20
21..	कराडसू	नग्गर	कुल्लू	0.10	-	0.10
22.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू	0.10	-	0.10
23.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	0.10	-	0.10
24.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	0.10	-	0.10
25.	नोर	निरमंड	कुल्लू	0.10	-	0.10
26.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	0.10	-	0.10
27.	कोट	निरमंड	कुल्लू	0.10	-	0.10
योग				**4.17**	**0.18**	**3.99**

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकडें।

परिशिष्ट-21

(संदर्भ परिच्छेद 2.6; पृष्ठ 34)

मनरेगा योजना के तहत भुगतान जारी करने में विलम्ब का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत के नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	अवधि	विलंबित दिन	राशि
1.	क़स्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा	-	24 से 120	04.13
2.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	2014-17	16 से 123	09.17
3.	घरोह	रैंत	कांगड़ा	2013-18	16 से 75	01.79
4.	बंडी	रैंत	कांगड़ा	2013-18	17 से 217	01.15
5.	ढुगियारी	रैंत	कांगड़ा	2013-18	17 से 82	11.70
6.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा	2013-18	16 से 122	01.00
7.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा	2013-18	19 से 105	02.30
8.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	2013-14	18 से 52	05.42
9.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा	2013-14	20 से 44	01.21
10.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	2013-18	19 से 90	03.90
11.	स्वाड	बैजनाथ	कांगड़ा	2013-18	18 से 82	03.88
12.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	2015-18	15 से 64	03.21
13.	सिंहल	नारकंडा	शिमला	2015-18	20 से 66	03.63
14.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला	2012-14	66 से 518	04.62
योग						**57.11**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-22

(संदर्भ परिच्छेद 2.10; पृष्ठ 40)

सामग्री की अनियमित खरीद

2017-18

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम	राशि
1.	मंडी	1.05
योग (i)		**1.05**

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	राशि
1.	गोहर	मंडी	0.42
2.	कंडाघाट	सोलन	11.40
योग (ii)			**11.82**

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	राशि
1.	बाशा	कंडाघाट	सोलन	08.48
2.	सकोड़ी	कंडाघाट	सोलन	13.32
3.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन	03.14
4.	सायरीं	कंडाघाट	सोलन	08.74
5.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन	24.65
6.	गोयला	धर्मपुर	सोलन	04.26
7.	चम्मों	धर्मपुर	सोलन	09.73
8.	नालकां	धर्मपुर	सोलन	14.99
9.	भावगुढी	धर्मपुर	सोलन	23.73
10.	जाडला	धर्मपुर	सोलन	04.62
11.	कोहिला	आनी	कुल्लू	5.05
12.	फनौटी	आनी	कुल्लू	03.56
13.	पोखरी	आनी	कुल्लू	04.31
14.	टकारसी	आनी	कुल्लू	01.18
15.	कराणा	आनी	कुल्लू	01.02
16.	कोट	निरमंड	कुल्लू	5.87
17.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	03.06
18.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	01.95
19.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	03.79
20.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू	02.15
21.	तुन्ना	गोहर	मंडी	0.90
22.	तान्दी	गोहर	मंडी	1.65
23.	कुटाहची	गोहर	मंडी	2.87
24.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी	2.29

25.	नौण	गोहर	मंडी	1.98
26.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी	1.57
27.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	2.93
28.	खिलडा	सुंदरनगर	मंडी	2.57
29.	धवाल	सुंदरनगर	मंडी	3.39
30.	सैन्थल पडैन	चौंतड़ा	मंडी	0.57
31.	ऊटपुर	चौंतड़ा	मंडी	1.34
32.	गलू	चौंतड़ा	मंडी	1.65
33.	ऐहजू	चौंतड़ा	मंडी	1.47
34.	पिपली	चौंतड़ा	मंडी	1.55
35.	सुलपुर जबोठ	गोपालपुर	मंडी	0.39
योग (iii)				**174.72**
सकल योग (i), (ii) व (iii)				**187.59**

2018-19

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	राशि (₹ लाख में)
1.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	08.40
2.	सिंहल	नारकंडा	शिमला	10.55
3.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला	06.26
4.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	02.62
5.	घूण्ड	ठियोग	शिमला	24.57
6.	घोड़ना	ठियोग	शिमला	16.21
7.	ददास	ठियोग	शिमला	33.50
8.	कुठार	ठियोग	शिमला	17.81
9.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला	20.27
10.	जुंगा	मशोबरा	शिमला	08.02
11.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	07.18
12.	क्यार	जुब्बल कोटखाई	शिमला	07.33
13.	कुडू	जुब्बल कोटखाई	शिमला	08.29
14.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला	10.12
15.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला	07.78
16.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	09.51
17.	शिंगला	रामपुर	शिमला	05.89
18.	देवठी	रामपुर	शिमला	05.97
19.	नीरथ	रामपुर	शिमला	04.00
20.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	15.21
21.	खंगटेडी	रोहडू	शिमला	09.50

22.	पुजारली-3	रोहड़ू	शिमला	16.37
23.	कटलाह	रोहड़ू	शिमला	08.88
24.	जगोठी	रोहड़ू	शिमला	04.20
25.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला	03.62
26.	बैंश (पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला	01.52
27.	चेबड़ी	बसंतपुर	शिमला	03.26
28.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला	04.88
29.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला	03.75
30.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला	05.15
31.	ढ़ाकगांव	छोहारा	शिमला	01.71
32.	खाबल	छोहारा	शिमला	05.24
33.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला	07.14
34.	चडौली	चौपाल	शिमला	04.90
35.	किरण	चौपाल	शिमला	05.66
36.	बावत	चौपाल	शिमला	08.68
37.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला	12.01
38.	मझोली	चौपाल	शिमला	03.01
39.	स्वाड	बैजनाथ	कांगड़ा	06.72
40.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	09.61
41.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा	07.82
42.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा	05.00
43.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	05.40
44.	गाहढ़	भवारना	कांगड़ा	05.80
45.	कलुन्द	भवारना	कांगड़ा	03.66
46.	बल्ला	भवारना	कांगड़ा	06.47
47.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा	05.70
48.	अप्पर ठेहरू	लम्बागांव	कांगड़ा	01.28
49.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा	09.82
50.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा	03.90
51.	बंडी	रैंत	कांगड़ा	03.80
52.	घरोह	रैंत	कांगड़ा	06.05
53.	ढुगियारी	रैंत	कांगड़ा	07.08
54.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा	01.46
55.	मंमूह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	02.30
56.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा	01.49
57.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा	06.11
58.	भपू	इंदौरा	कांगड़ा	02.63

59.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा	01.51
60.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	10.67
61.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा	07.00
62.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा	08.59
63.	क़स्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा	06.29
64.	कडोआ	प्रागपुर	कांगड़ा	09.38
65.	मंदल	धर्मशाला	कांगड़ा	07.61
66.	बरवाला	धर्मशाला	कांगड़ा	04.97
67.	सद्दू बडग्रां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	02.75
68.	डोल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	02.06
69.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा	03.46
70.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा	02.61
71.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा	04.53
72.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	02.76
73.	खुरीक	स्पिति	लाहौल-स्पिति	13.57
74.	लालूंग	स्पिति	लाहौल-स्पिति	11.21
75.	लांगजा	स्पिति	लाहौल-स्पिति	07.22
76.	डेमुल	स्पिति	लाहौल-स्पिति	09.10
77.	हल	स्पिति	लाहौल-स्पिति	14.52
78.	कारदंग	लाहौल	लाहौल-स्पिति	17.96
79.	दारचा	लाहौल	लाहौल-स्पिति	23.46
80.	केलांग	लाहौल	लाहौल-स्पिति	33.43
81.	बरबोग	लाहौल	लाहौल-स्पिति	19.99
82.	गोंधला	लाहौल	लाहौल-स्पिति	07.74
83.	मूलिंग	लाहौल	लाहौल-स्पिति	04.80
84.	गोशाल	लाहौल	लाहौल-स्पिति	08.56
योग				**686.82**
सकल योग (2017-18 व 2018-19)				**874.41**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-23

(संदर्भ परिच्छेद 2.11; पृष्ठ 41)

सरकारी धन का अनियमित भुगतान

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	राशि
1.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	10.42
2.	कुडू	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.01
3.	चडौली	चौपाल	शिमला	0.01
4.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला	01.70
5.	देवठी	रामपुर	शिमला	02.51
6.	खंगटेडी	रोहडू	शिमला	0.02
7.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	04.55
8.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.01
9.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला	08.48
10.	सिंहल	नारकंडा	शिमला	0.24
11.	सद्दू बड़ग्रां	नगरोटा	कांगड़ा	02.01
12.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	02.08
13.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा	02.27
14.	मंझोली	चौपाल	शिमला	0.01
15.	किरण	चौपाल	शिमला	0.02
16.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	01.29
17.	ममूंह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	02.13
18.	पुजारली-3	रोहडू	शिमला	01.58
19.	घरोह	रैत	कांगड़ा	0.02
20.	नीरथ	रामपुर	शिमला	02.19
21.	लांगजा	स्पिति	लाहौल-स्पिति	0.02
22.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.01
23.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला	04.78
24.	कड़ोआ	प्रागपुर	कांगड़ा	01.65
25.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला	02.20
26.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	05.53
27.	गाहढ	भवारना	कांगड़ा	1.84
28.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	04.72
29.	खाबल	छोहारा	शिमला	0.83
30.	बैंश(पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला	02.22
31.	जगोठी	रोहडू	शिमला	0.02

32.	बावत	चौपाल	शिमला	0.01
33.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा	02.25
34.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला	4.00
35.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा	0.76
योग				**72.39**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-24 (i)

(संदर्भ परिच्छेद 4.2; पृष्ठ 54)

2014-17 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन एवं वास्तविक व्यय का विवरण

2014-15

(₹ लाख में)

नगर निगम				
क्रमांक	**शहरी स्थानीय निकायों के नाम**	**बजट आकलन**	**वास्तविक व्यय**	**बचत/आधिक्य**
1.	शिमला	15,664.86	7,604.11	8,060.75
2.	धर्मशाला	3,477.68	2,776.35	701.33
योग (i)		**19,142.54**	**10,380.46**	**8,762.08**
नगर परिषद्				
1.	हमीरपुर	4,342.77	3,886.42	456.35
2.	मंडी	4,524.15	3,631.83	892.32
3.	नालागढ़	603.16	383.58	219.58
4.	सोलन	2,076.50	1,619.04	457.46
5.	जोगिन्दर नगर	318.72	148.44	170.28
6.	नगरोटा बांगवां	782.16	749.68	32.48
योग (ii)		**12,647.46**	**10,418.99**	**2,228.47**
नगर पंचायत				
1.	अर्की	83.66	90.16	-6.5
2.	बैजनाथ पपरोला	--	---	---
3.	भोटा	91.88	57.12	34.76
4.	सुन्नी	96.79	60.45	36.34
योग (iii)		**272.33**	**207.73**	**64.60**
सकल योग (i), (ii) व (iii)		**32,062.33**	**21,007.18**	**11,055.15**

2015-16

(₹ लाख में)

नगर निगम

क्रमांक	शहरी स्थानिक निकायों के नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य
1.	शिमला	16,612.30	11,722.43	4,889.87
2.	धर्मशाला	2,925.63	1,300.62	1,625.01
योग (i)		**19,537.93**	**13023.05**	**6,514.88**

नगर परिषद्

1.	हमीरपुर	1,066.33	646.13	420.20
2.	मंडी	1,889.21	1,642.36	246.85
3.	नालागढ़	699.57	432	267.57
4.	सोलन	2,362.86	1,680.87	681.99
5.	जोगिन्दर नगर	397.12	305.36	91.76
6.	नगरोटा बांगवां	238.96	221.66	17.30
योग (ii)		**6,654.05**	**4,928.38**	**1,725.67**

नगर पंचायत

1.	अर्की	100.00	99.34	0.66
2.	बैजनाथ पपरोला	---	----	----
3.	भोटा	76.14	51.19	24.95
4.	सुन्नी	156.84	65.86	90.98
योग (iii)		**332.98**	**216.39**	**116.59**
सकल योग (i), (ii) व (iii)		**26,524.96**	**18,167.82**	**8,357.14**

2016-17

(₹ लाख में)

नगर निगम

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य
1.	शिमला	21,517.52	13,388.50	8,129.02
2.	धर्मशाला	7,850.82	5,163.80	2,687.02
योग (i)		**29,368.34**	**18,552.3**	**10,816.04**

नगर परिषद्

1.	हमीरपुर	1,202.70	990.71	211.99
2.	मंडी	6,020.30	798.81	5,221.49
3.	नालागढ़	928.00	624.57	303.43
4.	सोलन	2,975.43	2,399.04	576.39
5.	जोगिन्दर नगर	229.15	145.41	83.74
6.	नगरोटा बांगवां	790.61	759.84	30.77
योग (ii)		**12146.19**	**5718.38**	**6427.81**

नगर पंचायत

1.	अर्की	141.24	84.83	56.41
2.	बैजनाथ पपरोला	674.22	43.73	630.49
3.	भोटा	219.95	92.80	127.15
4.	सुन्नी	191.75	92.90	98.85
योग (iii)		**1,227.16**	**314.26**	**912.90**
सकल योग (i), (ii) तथा (iii)		**42,741.69**	**24,584.94**	**18,156.75**

परिशिष्ट-24(ii)

(संदर्भ परिच्छेद 4.2; पृष्ठ 55)

2015-18 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन एवं वास्तविक व्यय का विवरण

2015-16

(₹ लाख में)

नगर निगम				
क्रमांक	**शहरी स्थानीय निकायों के नाम**	**बजट आकलन**	**वास्तविक व्यय**	**बचत (+)/आधिक्य (-)**
1.	शिमला	28,784.6	11,722.43	17,062.17
2.	धर्मशाला	7,900.92	5,163.80	2,737.12
योग (i)		**36,685.52**	**16,886.23**	**19,799.29**
नगर परिषद्				
1.	देहरा	459.44	271.52	187.92
2.	हमीरपुर	1,066.33	646.13	420.2
3.	कुल्लू	1,175.21	921.72	253.49
4.	मनाली	788.60	630.96	157.64
5.	नेरचौक	117.50	0	117.50
6.	सुजानपुर	329.16	326.93	2.23
7.	घुमारवीं	199.42	168.43	30.99
योग (ii)		**4,135.66**	**2,965.69**	**1,169.97**
नगर पंचायत				
1.	बंजार	50.67	38.92	11.75
2.	करसोग	152.67	30.59	122.08
3.	ज्वाली (नवनिर्मित)	--	--	--
4.	नादौन	394.23	167.45	226.78
5.	भुंतर	292.02	279.32	12.7
योग (iii)		**889.59**	**516.28**	**373.31**
सकल योग (i), (ii) व (iii)		**41,710.77**	**20,368.20**	**21,342.57**

2016-17

(₹ लाख में)

नगर निगम				
क्रमांक	**शहरी स्थानीय निकायों के नाम**	**बजट आकलन**	**वास्तविक व्यय**	**बचत(+) /आधिक्य (-)**
1.	शिमला	39,714.12	13,388.50	26,325.62
2.	धर्मशाला	5,130.37	2,670.83	2,459.54
योग (i)		**44,844.49**	**16,059.33**	**28,785.16**
नगर परिषद्				
1.	देहरा	517.50	280.09	237.41
2.	हमीरपुर	1,202.70	990.70	212.00
3.	कुल्लू	3,091.55	1,527.64	1,563.91
4.	मनाली	761.14	725.61	35.53
5.	नैर चौक	660.60	232.35	428.25
6.	सुजानपुर	333.42	408.52	(+)75.1
7.	घुमारवीं	260.94	293.61	(+)32.67
योग (ii)		**6,827.85**	**4,458.52**	**2584.87**
नगर पंचायत				
1.	बंजार	72.85	43.59	29.26
2.	करसोग	210.61	330.99	(+)120.38
3.	ज्वाली (नवनिर्मित)	366.94	28.00	338.94
4.	नादौन	504.82	284.69	220.13
5.	भुंतर	191.65	135.54	56.11
योग (iii)		**1,346.87**	**822.81**	**764.82**
सकल योग (i), (ii) व (iii)		**53,019.21**	**21,340.66**	**32,134.85**

2017-18

(₹ लाख में)

नगर निगम				
क्रमांक	**शहरी स्थानीय निकायों के नाम**	**बजट आकलन**	**वास्तविक व्यय**	**बचत (+)/आधिक्य (-)**
1.	शिमला	47,512.53	14,669.59	32,842.94
2.	धर्मशाला	3,543.47	2,475.77	1,067.7
योग (i)		**51,056.00**	**17,145.36**	**33,910.64**
नगर परिषद्				
1.	देहरा	381.90	271.52	110.38
2.	हमीरपुर	846.30	655.43	190.87
3.	कुल्लू	2,829.83	2,026.82	803.01
4.	मनाली	790.04	726.90	63.14
5.	नेरचौक	900.82	173.59	727.23
6.	सुजानपुर	334.38	317.64	16.74
7.	घुमारवीं	299.12	469.50	(+)170.38
योग (ii)		**6,382.39**	**4,641.40**	**2,081.75**
नगर पंचायत				
1.	बंजार	119.44	61.54	57.9
2.	करसोग	288.22	50.28	237.94
3.	ज्वाली (नवनिर्मित)	616.41	141.70	474.71
4.	नादौन	475.21	378.29	96.92
5.	भुंतर	211.02	180.69	30.33
योग (iii)		**1710.30**	**812.50**	**897.80**
सकल योग (i), (ii) व (iii)		**59,148.69**	**22,599.26**	**36,890.19**

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकडें।

परिशिष्ट- 25

(संदर्भ परिच्छेद 4.5.1 (क); पृष्ठ 58)

शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में बकाया आवास कर का विवरण

(₹ लाख में)

2017-18						
क्रमांक	**नगर निगम का नाम**	**अप्रैल 2016 तक अथशेष**	**2016-17 के दौरान मांग**	**कुल मांग**	**2016-17 के दौरान संग्रहण**	**मार्च 2017 तक बकाया राशि**
1.	धर्मशाला	86.67	209.67	296.34	63.11	233.23
योग (i)		**86.67**	**209.67**	**296.34**	**63.11**	**233.23**
क्रमांक	**नगर परिषद् का नाम**	**अप्रैल 2016 तक अथशेष**	**2016-17 के दौरान मांग**	**कुल मांग**	**2016-17 के दौरान संग्रहण**	**मार्च 2017 तक बकाया राशि**
1.	हमीरपुर	76.48	98.55	175.03	126.46	48.57
2.	मंडी	124.74	271.98	396.72	77.80	318.92
3.	नगरोटा बांगवां	15.23	12.30	27.53	7.89	19.64
4.	जोगिन्दर नगर	45.09	4.61	49.70	4.86	44.84
योग (ii)		**261.54**	**387.44**	**648.98**	**217.01**	**431.97**
क्रमांक	**नगर पंचायत का नाम**	**अप्रैल 2016 तक अथशेष**	**2016-17 के दौरान मांग**	**कुल मांग**	**2016-17 के दौरान संग्रहण**	**मार्च 2017 तक बकाया राशि**
1.	अर्की	38.31	8.00	46.31	10.45	35.86
2.	सुन्नी	50.31	9.81	60.12	9.85	50.27
3.	भोटा	10.16	1.74	11.90	5.23	6.67
योग (iii)		**98.78**	**19.55**	**118.33**	**25.53**	**92.80**
सकल योग (i), (ii) व (iii)		**446.99**	**616.66**	**1,063.65**	**305.65**	**758.00**

(₹ लाख में)

2018-19							
क्रमांक	**नगर निगम का नाम**	**अप्रैल 2017 तक अथशेष**	**2017-18 के दौरान मांग**	**कुल मांग**	**2017-18 के दौरान संग्रहण**	**छूट**	**मार्च 2018 तक बकाया राशि**
1.	धर्मशाला	233.81	209.04	442.85	227.27	--	215.58
योग (i)		**233.81**	**209.04**	**442.85**	**227.27**	**--**	**215.58**

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम	अप्रैल 2017 तक अथशेष	2017-18 के दौरान मांग	कुल मांग	2017-18 के दौरान संग्रहण	छूट	मार्च 2018 तक बकाया राशि
1.	हमीरपुर	48.57	122.85	171.43	113.40	--	58.03
2.	सुजानपुर	20.72	23.76	44.48	23.95	--	20.53
3.	देहरा	19.17	11.14	30.31	7.09	--	23.21
4.	मनाली	15.32	111.05	126.37	94.39	--	31.98
5.	कुल्लू	30.60	71.59	102.19	81.10	7.50	13.59
6.	घुमारवीं	47.52	16.38	63.90	36.45	--	27.45
योग (ii)		**181.90**	**356.77**	**538.68**	**356.38**	**7.50**	**174.79**
क्रमांक	**नगर पंचायत का नाम**	**अप्रैल 2017 तक अथशेष**	**2017-18 के दौरान मांग**	**कुल मांग**	**2017-18 के दौरान संग्रहण**	**छूट**	**मार्च 2018 तक बकाया राशि**
1.	नादौन	23.17	8.33	31.50	5.39	0.97	25.14
2.	बंजार	6.34	2.90	9.25	2.63	--	6.61
योग (iii)		**29.51**	**11.23**	**40.75**	**8.02**	**0.97**	**31.75**
सकल योग (i), (ii) व (iii)		**445.22**	**577.04**	**1,022.28**	**591.67**	**8.47**	**422.12**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें।

परिशिष्ट-26

(संदर्भ परिच्छेद 4.5.2; पृष्ठ 60)

दुकानों/ बूथों/ स्टालों से किराए की वसूली न करने का विवरण

2017-18

(₹ लाख में)

नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम	01 अप्रैल 2016 को अथशेष	उठाई गई मांग	कुल	31 मार्च 2017 तक संग्रहण	31 मार्च 2017 तक बकाया राशि
1.	शिमला	415.64	228.00	643.64	219.40	424.24
योग (i)		**415.64**	**228.00**	**643.64**	**219.40**	**424.24**
						नगर परिषद्
1.	मंडी	113.47	75.29	188.76	81.32	107.44
2.	नगरोटा बांगवां	13.47	15.80	29.27	13.75	15.52
3.	नालागढ़	60.75	71.66	132.41	55.33	77.08
4.	हमीरपुर	40.54	20.40	60.94	19.43	41.51
5.	जोगिन्दर नगर	2.87	2.61	5.48	3.04	2.44
6.	सोलन	104.04	42.84	146.88	26.69	120.19
योग (ii)		**335.14**	**228.60**	**563.74**	**199.56**	**364.18**
नगर पंचायत						
1.	सुन्नी	3.58	5.15	8.73	4.40	4.33
2.	भोटा	3.08	1.19	4.27	1.24	3.03
3.	अर्की	2.87	3.00	5.87	3.13	2.74
योग (iii)		**9.53**	**9.34**	**18.87**	**8.77**	**10.10**
सकल योग (i), (ii) व (iii)		**760.31**	**465.94**	**1,226.25**	**427.73**	**798.52**

2018-19

(₹ लाख में)

नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम	01 अप्रैल 2016 को अथशेष	2017-18 के दौरान उठाई गई मांग	कुल मांग	2017-18 के दौरान संग्रहण	31 मार्च 2018 तक बकाया राशि
1.	शिमला	424.24	235	659.24	247.46	411.78
2.	धर्मशाला	32.47	55.02	87.49	57.30	30.19
योग (i)		**456.71**	**290.02**	**746.73**	**304.75**	**441.97**

नगर परिषद्						
1.	घुमारवीं	04.38	3.48	7.87	3.45	4.41
2.	कुल्लू	30.24	45.14	75.38	44.99	30.39
3.	मनाली	63.15	96.24	159.39	85.94	73.46
4.	देहरा	20.49	09.56	30.05	12.36	17.69
5.	नेरचौक	0.30	0.24	0.54	0.19	0.35
6.	सुजानपुर	28.45	20.81	49.26	14.69	34.56
योग (ii)		**147.01**	**175.47**	**322.49**	**161.62**	**160.86**
नगर पंचायत						
1.	भुंतर	43.36	8.99	52.34	8.32	44.03
2.	नादौन	20.8	13.12	33.92	10.66	23.26
3.	बंजार	4.16	2.33	6.49	0.77	5.72
योग (iii)		**68.32**	**24.44**	**92.75**	**19.75**	**73.01**
सकल योग (i),(ii) व (iii)		**672.04**	**489.93**	**1,161.97**	**486.12**	**675.84**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें|

परिशिष्ट- 27

(संदर्भ परिच्छेद 4.5.3; पृष्ठ 61)

शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में मोबाइल टावरों की स्थापना/नवीकरण हेतु शुल्क की वसूली न करने का विवरण

(₹ लाख में)

2017-18

नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम	स्थापन वर्ष	राशि बकाया होने की अवधि	टावरों की संख्या	राशि
1.	धर्मशाला	2006-15	2006-07 से 2016-17	12	2.55
योग (i)				**12**	**2.55**

नगर परिषद्

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम	स्थापन वर्ष	राशि बकाया होने की अवधि	टावरों की संख्या	राशि
1.	नालागढ़	-----	2008-09 से 2016-17	4	1.07
2.	सोलन	2006-17	2015-16 से 2016-17	16	1.13
3.	हमीरपुर	2006-15	2009-10 से 2016-17	19	2.96
4.	मंडी	-----	2016-17 तक	7	12.20
5.	नगरोटा बांगवां	2005-14	2005 से 2018	8	1.01
6.	जोगिन्दर नगर	-----	2016-17 तक	8	2.36
योग (ii)				**62**	**20.73**

नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम	स्थापन वर्ष	राशि बकाया होने की अवधि	टावरों की संख्या	राशि
1.	सुन्नी	-----	2016-17 तक	12	1.56
2.	अर्की	-----	2016-17 तक	6	0.37
योग (iii)				**18**	**1.93**
सकल योग (i), (ii) व (iii)				**92**	**25.21**

(₹ लाख में)

2018-19					
नगर निगम					
क्रमांक	**नगर निगम का नाम**	**स्थापन वर्ष**	**राशि बकाया होने की अवधि**	**टावरों की संख्या**	**राशि**
1.	शिमला	-	2017-18	84	12.76
2.	धर्मशाला	2008-2012	03/2018 तक	5	5.26
योग (i)				**89**	**18.02**
नगर परिषद्					
क्रमांक	**नगर परिषद् का नाम**	**स्थापन वर्ष**	**राशि बकाया होने की अवधि**	**टावरों की संख्या**	**राशि**
1.	देहरा	2004	2009-18	1	0.35
2.	मनाली	2006-09	03/2018 तक	9	3.15
3.	घुमारवीं	2006-09	2010-18	4	1.11
4.	हमीरपुर	2006-17	03/2018 तक	16	3.56
5.	कुल्लू	--	03/2018 तक	16	3.68
योग (ii)				**46**	**11.85**
नगर पंचायत					
क्रमांक	**नगर पंचायत का नाम**	**स्थापन वर्ष**	**राशि बकाया होने की अवधि**	**टावरों की संख्या**	**राशि**
1.	बंजार	--	2014-18	--	0.55
2.	नादौन	--	03/2018 तक	--	1.06
योग (iii)				**--**	**1.61**
सकल योग (i), (ii) व (iii)				**130**	**31.48**

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकडें|

परिशिष्ट-28

(संदर्भ परिच्छेद 4.16; पृष्ठ 82)

अधिकारियों/ विभागों को दिए गए बकाया अग्रिमों का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा जो दिसंबर 2017 तक समायोजित नहीं किए गए

2017-18

नगर परिषद्, नालागढ़

क्रमांक	कर्मचारी/विभाग का नाम	अग्रिम दिए जाने की तिथि	राशि (₹ में)
1.	श्री हेम राज, जेई सेवानिवृत्त	12/1999 से 2/2014	93,060
2.	श्री बलजीत सिंह, ड्राफ्ट्समैन	06/2000 से 7/2016	3,07,200
3.	श्री दिनेश कुमार, लेखाकार		10,000
4.	श्री संजय अवस्थी, जेई सेवानिवृत्त	08/2000 से 10/2006	2,40,463
		योग(i)	**6,50,723**

नगर परिषद्, सोलन

क्रमांक	कर्मचारी/विभाग का नाम	अग्रिम का उद्देश्य	अग्रिम दिए जाने की तिथि	राशि (₹ में)
1.	श्री एमएल ठाकुर, जेई	फव्वारा के लिए नोज़ल, रेत खरीद, पानी के लिए नमूना परीक्षण	5/1999 से 04/2001	2,300
2.	त्रिलोकी नाथ अत्री, स्वच्छता निरीक्षक	उच्च सुरक्षा प्लेटों की खरीद	02/2013	1,432
3.	श्री कुलदीप गुप्ता, लिपिक	रेत हटाना	10/1999	500
4.	श्री सोहन लाल, सहयोगी	पानी के लिए नमूना परीक्षण	2003-04	1,200
5.	श्री कराणा चंद वर्मा, एसआई	वाहन की मरम्मत	2003-04	500
6.	हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट की खरीद	2005-06 से 2016-17	38,10,807
7.	श्री रामशाद अली, सहारनपुर	रावण की मूर्ति	2005-06	15,000
8.	हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग निर्यात निगम	स्टील और बिटुमेन	2006-07 से 2016-17	60,04,554
9.	अधिशासी अभियंता, उपमंडल एच०पी०एस०ई०बी०एल० सोलन	वार्ड नंबर 1 में स्ट्रीट लाईट हेतु स्थान	06/2017	78,740
10	सहायक अभियंता, उपमंदल आईपीएच सोलन	जीआई/सीआई पाईप की खरीद	2006-07 से 2014-15	87,072
11.	हिम उद्योग गोयल निवास, सोलन	आरसीसी पाईप की खरीद	2005-06 से 2007-08	1,85,510

12.	प्रबंधक एचपी एग्रो इंडस्ट्रीज सोलन	सीमेंट, स्टील और कूड़ेदान की खरीद	2006-07 से 2010-2011	1,812
13.	मेसर्स साबू तोर, काला अम्ब, नाहन	स्टील की खरीद	2011-12 से 2012-13	36
14.	श्री विनोद पाल, जेई	यात्रा भत्ता अग्रिम	04/2012	2,536
15.	सहायक अभियंता, उद्यान उपखण्ड हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सोलन	पौधों की खरीद	08/2010	2,000
16.	उप निदेशक, पशुपालन, सोलन	कुत्तों की नसबंदी	5/2016	80,000
योग (ii)				**1,02,73,999**
सकल योग (i) व (ii)				**1,09,24,722**

नगर निगम, शिमला

क्रमांक	लेखा शीर्ष	शीर्ष विवरण	अवधि	31.03.2016 को अथशेष (₹ में)	2016-17 वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अग्रिम (₹ में)	कुल (₹ में)	वर्ष 2016-17 के दौरान समायोजित अग्रिम (₹ में)	शेष (₹ में)
1.	460-40-01	लोक निर्माण कार्य	1.4.07 to 31.3.17	11,29,241	1,00,00,000	1,11,29,241	0	1,11,29,241
2.	460-40-02	स्टोर / सामग्री	1.4.07 से 31.3.17	1,68,71,606	1,50,27,511	3,18,99,117	0	3,18,99,117
3.	460-50-01	स्थायी अग्रिम	1.4.07 से 31.3.17	31,565	0	31,565	0	31,565
4.	460-50-02	परियोजना	1.4.07 से 31.3.17	91,26,477	0	91,26,477	0	91,26,477
5.	460-50-03	योजना	1.4.07 से 31.3.17	49,68,820	0	49,68,820	0	49,68,820
6.	460-50-05	अस्थायी अग्रिम	1.4.63 से 31.3.17	17,25,08,612	1,15,07,163	18,40,15,775	72,18,481	17,67,97,294
7.	460-60-01	स्ट्रीट लाईट	1.4.07 से 31.3.17	4,41,96,218	1,58,43,051	6,00,39,269	0	6,00,39,269
8.	460-60-03	जल आपूर्ति	1.4.07 से 31.3.17	1,61,16,827	0	1,61,16,827	0	1,61,16,827
9.	460-33-01	सार्वजनिक लैम्प पोस्ट	1.4.07 से 31.3.17	0	1,57,509	1,57,509	0	1,57,509
10.	460-60-05	अन्य जल	1.4.07 से 31.3.17	0	10,000	10,000	0	10,000
योग				**26,49,49,366**	**5,25,45,234**	**31,74,94,600**	**72,18,481**	**31,02,76,119**

2018-19

कर्मचारी को दिए गए बकाया अग्रिमों का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा जो दिसंबर 2018 तक समायोजित या प्रतिपूरित नहीं किए गए

नगर निगम, धर्मशाला

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम जिसे अग्रिम दिया गया	अग्रिम दिए जाने की तिथि	राशि (₹ में)
1.	श्री सरवन कुमार, चालक	4/2017 से 6/2017	20,000
2.	श्री संदीप कुमार भरमौरिया, प्रबंधक	1/2017 से 5/2017	5,28,000
3.	श्री मनजीत सिंह, चालक	6/2017	20,000
4.	श्री विधेश कुमार, चालक	6/2017	15,000
		योग (i)	**5,83,000**

नगर परिषद्, कुल्लू

कर्मचारी का नाम जिसे अग्रिम दिया गया	अग्रिम दिए जाने की वाउचर संख्या/तिथि	अग्रिम का उद्देश्य	राशि (₹ में)
श्री नीति बिभाष, स्वच्छता निरीक्षक	49, 8/2015	घर-घर कचरा संग्रहण	3,26,550
	56, 8/2015	स्वच्छ भारत मिशन	18,000
	38, 9/2015	एनजीटी केयर	4,000
		योग (ii)	**3,48,550**

नगर परिषद्, मनाली

कर्मचारी का नाम जिसे अग्रिम दिया गया	अग्रिम दिए जाने की वाउचर संख्या/तिथि	अग्रिम का उद्देश्य	राशि (₹ में)
श्री नाथू राम, ड्राइवर	77, 10/2017	जेसीबी रोबोट की मरम्मत	10,000
		योग (iii)	**10,000**
		सकल योग (i), (ii) व (iii)	**9,41,550**

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकडें।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in